हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

30 नबम्बर, 2015

खण्ड-3, अंक-1

अधिकृत विवरण

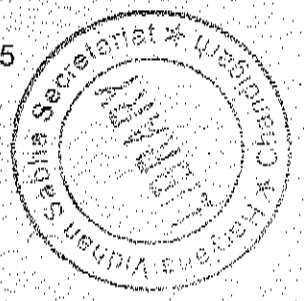

विषय सूची

सोमवार, 30 नबम्बर, 2015

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव-	(1) 1
स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाना	(1)10
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)11
नियम-45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)31
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)31
फतेहाबाद जिले की पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच वाद-विवाद से संबंधित मामला उठाना	(1)38
	(1)58
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	
(i) श्री कुलदीप शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा	(1)61
(ii) परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) द्वारा	(1)62
फतेहाबाद जिले की पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच वाद-विवाद से संबंधित मामला (पुनरारम्भ)	(1)62

मूल्य :

पंजाब के भूतपूर्व मंत्री तथा हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन (1)71
फतेहाबाद जिले की पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच वाद-विवाद से संबंधित मामला (पुनरारम्भ) (1)71
विभिन्न मामलों का उठाना
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-
किसानों की कपास की फसल पर सफेद मक्खी की वजह से हुए नुकसान का मुआवज़ा देने संबंधी (1)78
वक्तव्य-
वित्त मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (1)80
अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन (1)87
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (1)88
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों तथा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (1)94
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-
धान की खरीद में हुए घोटाले संबंधी (1)94
वक्तव्य-
स्वास्थ्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (1)95
बैठक का समय बढ़ाना (1)110
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (1)110
बैठक का समय बढ़ाना (1)119
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (1)119
वॉक आउट (1)128
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (1)128
बैठक का समय बढ़ाना (1)129
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (1)129
वॉक आउट (1)131
घोषणाएं-
(क) अध्यक्ष द्वारा (1)131
चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची
(ख) सचिव द्वारा-
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी (1)132
मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य (1)132
कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करना (1)133
सदन की मेज पर कागज-पत्र रखना (1)134

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 30 नवम्बर, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में अपराह्न 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के समाप्त होने के पश्चात् और इस सत्र के आरम्भ होने के बीच हमारे बीच में से बहुत सारी विभूतियाँ, जिनमें राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी, बड़े-बड़े महानुभाव और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक शामिल हैं, वे हमें छोड़कर चले गए हैं। वे जिस रिक्ति को छोड़कर गए हैं, उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं सदन की ओर से यह शोक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखता हूँ :-

चौधरी रण सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी रण सिंह के 17 नवम्बर, 2015 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 मई, 1930 को हुआ। वे 1957, 1960 तथा 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 1967 तथा 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 1967–72 के दौरान मंत्री रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री कैलाश चन्द शर्मा,
हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के भूतपूर्व उपाध्यक्ष

यह सदन हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री कैलाश चन्द शर्मा के 18 सितम्बर, 2015 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 23 मई, 1951 को हुआ। वे 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 1996–99 के दौरान हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। उनकी धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री मनोहर लाल]

श्रीमती मीना मंडल, हरियाणा की भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन हरियाणा की भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्रीमती मीना मंडल के 14 अक्तूबर, 2015 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 6 अप्रैल, 1965 को हुआ। वे 2005 में हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनी गईं। वे 2006–09 के दौरान राज्य मंत्री रहीं। वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थीं। उन्होंने गरीब व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद् के भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

यह सदन विश्व हिंदू परिषद् के भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल के 17 नवम्बर, 2015 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 सितम्बर, 1926 को हुआ। उन्होंने 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से धातु विज्ञान में स्नातक की। वे विद्यार्थी जीवन से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गये थे। वे 1980 में विश्व हिन्दू परिषद् के संयुक्त महासचिव तथा 1984 में महासचिव बने। वे 20 वर्षों से अधिक समय तक विश्व हिंदू परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे। वे हिंदूस्तानी संगीत में भी निपुण थे।

उनके निधन से देश एक जुझारू संगठनकर्त्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री छाजू राम, गांव सहजावास, जिला गुड़गांव।
2. श्री जयमल सिंह, गांव सिधरावली, जिला गुड़गांव।
3. श्री नरसिंह दास अरोड़ा, शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन सभी वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. मेजर ध्रुव यादव, गुड़गांव।
2. सहायक उप–निरीक्षक दलीप कुमार, गांव डेरोली अहीर, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सूबेदार सुरेश कुमार, गांव रामलवास, जिला भिवानी।
4. हवलदार रमेश कुमार, गांव खरकड़ावास, जिला महेन्द्रगढ़।
5. नायक बिजेन्द्र कुमार, गांव मस्तापुर, जिला रेवाड़ी।
6. लांस नायक दीपक कुमार, गांव झंडा, जिला यमुनानगर।
7. लांस नायक हीरा सिंह, गांव गोठड़ा, जिला भिवानी।
8. लांस नायक संदीप कुमार, गांव खालेटा, जिला रेवाड़ी।
9. लांस नायक सागर सिंह, गांव खेड़ी, जिला महेन्द्रगढ़।
10. प्रमुख नाविक सुखदेव सिंह, गांव कन्हड़ी, जिला फतेहाबाद।
11. सिपाही रामकुमार, गांव बेरी, जिला झज्जर।
12. सिपाही महेश कुमार, गांव मिसरी, जिला भिवानी।
13. सिपाही दयानंद, गांव सोरखी, जिला हिसार।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

गैस सिलेंडर हादसा

यह सदन 10 नवम्बर, 2015 को जिला पंचकूला के पिंजौर की हिमशिखा कालोनी में दो गैस सिलेंडर फटने से मारे गए नौ निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह के चचेरे भाई, श्री अर्जुन सिंह;

लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह की माता, श्रीमती मूर्ति देवी;

परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की माता, श्रीमती भरतो देवी;

विधायक श्रीमती लतिका शर्मा के जेठ की पुत्रवधू, श्रीमती पूनम शर्मा;

[श्री मनोहर लाल]

पूर्व मंत्री श्री मोहम्मद इलियास के समधी, श्री याकूब खान;

तथा पूर्व विधायक श्री हरिराम के पोते, श्री सुमित कुमार; के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू (पेहवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता की भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी रण सिंह के 17 नवम्बर, 2015 को हुए दु :खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 15 मई, 1930 को हुआ। वे 1957, 1960 तथा 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे 1967 तथा 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा 1967-72 के दौरान मंत्री रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री कैलाश चन्द शर्मा के 18 सितम्बर, 2015 को हुए दु :खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 23 मई, 1951 को हुआ। वे 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे 1996-99 के दौरान हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। उनकी धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में विशेष रूचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार से मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा की भूतपूर्व राज्य मंत्री श्रीमती मीना मण्डल के 14 अक्तूबर, 2015 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। इनका जन्म 06 अप्रैल, 1965 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनी गई। वे वर्ष 2006-09 के दौरान राज्य मंत्री रहीं। वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थीं। उन्होंने गरीब व कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसके साथ-साथ मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से विश्व हिन्दू परिषद् के भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल के 17 नवम्बर, 2015 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 15 सितम्बर, 1926 को हुआ। उन्होंने 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से धातु विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। वे विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गये थे। वे 1980 में विश्व हिन्दू परिषद् के संयुक्त महासचिव तथा 1984 में

महासचिव बने। वे 20 वर्षों से अधिक समय तक विश्व हिन्दू परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे। वे हिन्दूस्तानी संगीत में भी निपुण थे।

उनके निधन से देश एक जुझारू संगठनकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अब मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार से हैं :-

1. श्री छाजू राम, गांव सहजावास, जिला गुड़गांव।
2. श्री जयमल सिंह, गांव सिधरावली, जिला गुड़गांव।
3. श्री नरसिंह दास अरोड़ा, शाहाबाद, जिला कुरुक्षेत्र।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी वीर सैनिकों को भी अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार से हैं :-

1. मेजर ध्रुव यादव, गुड़गांव।
2. सहायक उप-निरीक्षक दलीप कुमार, गांव डेरोली अहीर, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सूबेदार सुरेश कुमार, गांव रामलवास, जिला भिवानी।
4. हवलदार रमेश कुमार, गांव खरकड़ावास, जिला महेन्द्रगढ़।
5. नायक बिजेन्द्र कुमार, गांव भस्तापुर, जिला रेवाड़ी।
6. लांस नायक दीपक कुमार, गांव झंडा, जिला यमुनानगर।
7. लांस नायक हीरा सिंह, गांव गोठड़ा, जिला भिवानी।
8. लांस नायक संदीप कुमार, गांव खालेटा, जिला रिवाड़ी।
9. लांस नायक सागर सिंह, गांव खेड़ी, जिला महेन्द्रगढ़।
10. प्रमुख नाविक सुखदेव सिंह, गांव कन्हड़ी, जिला फतेहाबाद।
11. सिपाही राम कुमार, गांव बेरी, जिला झज्जर।
12. सिपाही महेश कुमार, गांव मिसरी, जिला भिवानी।
13. सिपाही दया नंद, गांव सोरखी, जिला हिसार।

[सरदार जसविन्द्र सिंह संधू]

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्-शत् नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से मैं 10 नवम्बर, 2015 को जिला पंचकूला के पिंजौर की हिमशिखा कालोनी में दो गैस सिलेंडर फटने से मारे गए नौ निर्दोष लोगों के दु :खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से केन्द्रीय राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह के चचेरे भाई श्री अर्जुन सिंह, लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह की माता श्रीमती मूर्ति देवी, परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की माता श्रीमती भरतो देवी, विधायक श्रीमती लतिका शर्मा के जेठ की पुत्रवधू श्रीमती पूनम शर्मा, पूर्व मंत्री श्री मोहम्मद इलियास के समधी श्री याकूब खान तथा पूर्व विधायक श्री हरिराम के पोते श्री सुमित कुमार के दु :खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं एवं दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन के माननीय नेता की अनुमति से इसमें एक शोक प्रस्ताव और जोड़ना चाहता हूं कि श्री सत प्रकाश जी मक्कड़ मेरे हल्के पेहवा में स्थित संत ईश्वर सिंह अकेड़मी के प्रिंसीपल थे। वे बड़े विद्वान आदमी थे। वे परसों जयपुर से पेहवा आ रहे थे तो रोहतक में एक भयानक सड़क दुर्घटना में उनका दु:खद निधन हो गया। उनके साथ उनका साला भी था। वे अपनी छह बहनों के एकमात्र भाई थे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनका नाम भी आज के इस शोक प्रस्ताव में जोड़ लिया जाये। धन्यवाद।

Smt. Kiran Chaudhary (Tosham) : Sir, this House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Chaudhary Ran Singh, former Minister of Haryana, on November 17, 2015.

He was born on May 15, 1930. He was elected to the Joint Punjab Lelgislative Assembly in 1957, 1960 and 1962. He was elected to the Haryana Legislative Assembly in 1967 and 1968, and remained Minister in the late Ch. Bansi Lal Ji's Government during 1967-72. He was dedicated to the task of upliftment of the downtrodden and poorer sections of the society.

In his death, the State has lost a seasoned legislator and an able administrator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House also places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Kailash Chand Sharma, former Deputy Chairman of Haryana State Planning Board, on September 18, 2015.

He was born on May 23, 1951. He was elected to the Haryana Legislative Assembly in 1987. He remained Deputy Chairman of the Haryana State Planing Board during 1996-99. He took keen interest in religious and social activities.

In his death, the State has lost an able legislator and administrator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad and untimely demise of Smt. Meena Mandal, former Minister of State, on October 14, 2015.

She was born on April 6, 1965. She was elected to the Haryana Legislative Assembly in 2005 and remained a Ministaer of State during 2006-09. She was an active social workers. She worked for the upliftment of the downtrodden and poorer sections of the society. She was also a Minister with me and we shared a lot of good moments together. We miss her today.

In her death, the State has lost an able legislator and administrator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Ashok Singhal, Former International Executive President of Vishav Hindu Parishad, on November, 17, 2015.

He was born on September 15, 1926. He had passed his graduation in Metallurgy, from Banaras Hindu University in 1950. He was associated with Rastriya Sawyam Sewak Sangh from his student life. He became Joint General Secretary of Vishav Hindu Parishad in 1980 and General Secretary in 1984. He remained International Executive President of Vishav Hindu Parishad upto more than 20 years. He was proficient in Hindustani music.

The nation has deprived off the services of a combative organizer due to his sad demise. This House express its sentiments towards the members of the bereaved family of deceased. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of our revered freedom fighters who played a significant role in achieving the freedom of our country.

These great freedom fighters are :

1. Shri Chhaju Ram, village Sahjawas, District Gurgaon
2. Shri Jaimal Singh, village Sidhrawali, District Gurgaon.
3. Shri Narsingh Das Arora, Shahbad, District Kurukshetra.

This House salutes these great freedom fighters and resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

This House bids tearful adieu to those brave soldiers who showed indomitable courage and made the supreme sacrifice of their lives while safeguarding the unity and integrity of our motherland.

[Smt. Kiran Chaudhary]

These great martyrs are :

1. Major Dhruv Yadav, Gurgaon.
2. Assistant Sub-Inspector Dalip Kumar, village Deroli Ahir, District Mahendragarh.
3. Subedar Suresh Kumar, village Ramalwas, District Bhiwani.
4. Havildar Ramesh Kumar, Village Kharkharawas, District Mahendgraagarh.
5. Naik Bijender Kumar, village Mastapur, District Rewari.
6. Lance Naik Deepak Kumar, village Jhanda, District Yamunanagar.
7. Lance Naik Heera Singh, villagae Gothra, District Bhiwani.
8. Lance Naik Sandeep Kumar, village Khaleta, District Rewari.
9. Lance Naik Sagar Singh, village Kheri, District Mahendragarh.
10. Leading Seaman Sukhdev Singh, village Kanhri, District Fatehabad.
11. Sepoy Ramkumar, village Beri, District Jhajjar.
12. Sepoy Mahesh Kumar, village Missri, District Bhiwani.
13. Sepoy Dayanand, village Sorkhi, District Hisar.

This House salutes these great soldiers for their supreme sacrifice of laying down their lives for the nation and resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad and untimely demise of those nine innocent persons who lost their lives in two cylinder blasts in Himshikha Colony, Pinjore of district Panchkula, on November 10, 2015.

This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of:

Shri Arjun Singh, cousin of General V.K. Singh, Union Minister of State;

Smt. Murti Devi, mother of Rao Narbir Singh, Public Works Minister;

Smt. Bharto Devi, mother of Shri Krishan Lal Panwar, Transport Minister;

Smt. Poonam Sharma, wife of nephew of Smt. Latika Sharma, MLA;

Shri Yakub Khan, Samdhi of Shri Mohammad Iliyas, Ex-Minister; and

Shri Sumit Kumar, grandson of Shri Hari Ram, Ex-MLA;

This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

I also add on to what my Hon'ble Member Shri Jaswinder Singh Sandhu had taken some name. So, I also join him in adding my condolences to the members of the bereaved family.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने जो अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ। पिछले अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात् और इस अधिवेशन के आरम्भ होने के बीच, कई महान विभूतियाँ दुनिया को छोड़ कर चली गई हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी रण सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। बड़े ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक चौधरी रण सिंह जी संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। सरलता और सहजता उनके जीवन के विशेष आभूषण थे। वह समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण व उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहते थे।

मुझे श्री कैलाश चन्द शर्मा, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के निधन पर गहरा शोक है। स्वामी विवेकानन्द के जीवन से प्रेरित श्री कैलाश चन्द शर्मा जी पढ़ने-पढ़ाने, समाज को शिक्षित करने तथा धार्मिक व सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरुचि रखते थे। वह जीवन भर समाज के सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक व नैतिक उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। उनका ध्येय एक ऐसे समाज की रचना करना था जिसमें सभी जातियों, संप्रदायों व समुदायों को विभिन्न प्रकार की असमानताओं से ऊपर उठकर विकसित होने का स्वस्थ वातावरण सुलभ हो सके।

मुझे श्रीमती मीना मंडल, भूतपूर्व राज्य मंत्री, हरियाणा के निधन पर गहरा शोक है। जरूरत मंदों व असहाय लोगों की सहायता करना, महिलाओं तथा गरीबों के विकास के लिए कार्य करना व लोगों की शिकायतों का निवारण करना उनकी आदतों में शुमार था।

मैं श्री अशोक सिंघल, विश्व हिन्दू परिषद के भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के निधन पर भी गहरा दुख प्रकट करता हूँ।

इनके साथ ही मैं स्वतंत्रता सेनानियों, जिनके नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शोक प्रस्ताव में लिए हैं, के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने-अपने ढंग से देश को आजाद कराने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। मुझे हरियाणा के उन सभी शहीदों जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये तथा जिनके नाम मुख्यमंत्री जी ने अपने शोक प्रस्ताव में लिए हैं, की कुर्बानी पर भी गहरा दुख है। मैं इन महान आत्माओं के बलिदान को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ।

मैं जिला पंचकूला में पिंजौर की हिमशिखा कॉलोनी में दो गैस सिलेंडरों के फटने से मारे गये लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए भी दुख प्रकट करता हूँ जो हमारे सांसदों या विधायकों के निजी संबंधी थे और जिनका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने शोक प्रस्ताव में किया है।

मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनकी आत्माओं को शांति प्राप्त हो सके। मैं इस सदन की भावनायें शोक-संतप्त परिवारों तक पहुँचा दूंगा।

[श्री अध्यक्ष]

अब मैं सदन से विनती करूँगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल शुरू होने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। धान की खरीद में हुए घोटाले के मुद्दे पर हमारी पार्टी ने एक एडजर्नमैंट मोशन दिया हुआ है। हमारी प्रार्थना है कि पहले उस पर चर्चा की जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला हरियाणा के अन्दर हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, अभी आप बैठ जाईये, प्रश्नकाल के बाद इसके बारे में आपको सूचना दे दी जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है वह कृपया आप हमें बता दें? काम रोको प्रस्ताव का मतलब यह होता है कि सदन के सभी काम रोककर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। धान की खरीद का एक अहम मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपके काम रोको प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। हरियाणा में धान की खरीद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार ने यह कहा था कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। धान की खरीद का एक ऐसा इश्यू है जिसमें आप यह मानकर चलें कि धान की खरीद जो हुई है उसमें जो घोटाला हुआ है वह सही मायने में देखा जाए तो 6000 करोड़ रूपये का घोटाला बनता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी पार्टी ने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है उस पर पहले चर्चा की जाए। प्रश्नकाल पर चर्चा उसके बाद करवा ली जाए। यह एक ऐसा इश्यू है जिस पर पहले चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, प्रश्न काल के बाद आपको आपके काम रोको प्रस्ताव के बारे में जानकारी दे दी जायेगी। आपका जो काम रोको प्रस्ताव था उसको मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में कन्वर्ट कर दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव पर सभी माननीय सदस्य चर्चा कर सकते हैं और चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं जबकि कालिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा सिर्फ वहीं सदस्य कर सकते हैं जिन्होंने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है और वे ही सदस्य उस पर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। आप हमें यह आश्वस्त कर दें कि कालिंग अटैंशन मोशन पर कोई भी सदस्य चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और उस पर कोई भी सदस्य सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, प्रश्न काल के बाद सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटैंशन मोशन का मैटर नहीं है यह जो एडजर्न मोशन के बारे में रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस की किताब में रूल 66 बनाया गया है वह इसलिए बनाया गया है कि इस तरह का जो भी महत्वपूर्ण और आकस्मिक मुद्दा सदन में आये उसको इस रूल के तहत सदन में लेकर आया जाए। अध्यक्ष महोदय, पहली दफा सरकार की देखरेख में धान की सरकारी खरीद में जो स्कैण्डल हरियाणा सरकार ने खुद करवाया है इससे पहले हरियाणा में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसको आप कालिंग अटैंशन मोशन में न बदलकर एडजर्न मोशन के रूप में ही रखिये। आज हरियाणा का किसान अपने आपको ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है। 1450 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने जो भाव तय किया था उसकी बजाए किसान से 1100 रूपये और 1200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल मालिकों ने सरकार की सह पर अपनी मनमानी से धान की खरीददारी की है। इसलिए आप इसे एडजर्न मोशन के रूप में ही मेहरबानी करके रखें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बिल्कुल सही है। यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। इस पर हमने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं अपने आप को करैक्ट कर देती हूं मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं बल्कि काम रोको प्रस्ताव भेजा हुआ है उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह मुद्दा किसानों के सामने आना चाहिए कि किसानों के साथ इस प्रकार की ज्यादती कैसे की जा रही है। किसान को बिल्कुल ही मार दिया है, उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा है। आढ़ती और दूसरे लोग इस काम में दबाकर करोड़ों रूपये खा रहे हैं इसलिए सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपको बाद में इस पर बोलने का पूरा मौका दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सवाल जवाब होंगे।

Affiliation of B. Ed. Colleges

***908. Dr. Hari Chand Middha :** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the time by which all the B.Ed. Colleges of the State are likely to be affiliated with Ch. Ranbir Singh University, Jind; and

(b) the reasons for which the B.Ed. Colleges of the State have not been affiliated with said university till to date even after the provision made in the Bill ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम विलास शर्मा) : चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जीन्द के साथ सभी शिक्षण महाविद्यालयों को सम्बद्ध करने बारे मामले में राज्य सरकार द्वारा पुर्नविचार किया

[श्री राम बिलास शर्मा]

जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र को उन्नत करने के लिए वर्ष 2014 में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। उस समय यह निर्णय भी लिया गया था कि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द एक शिक्षण एवं आवासीय विश्वविद्यालय होगा जिसके साथ कोई भी सामान्य डिग्री महाविद्यालय सम्बद्ध नहीं होगा। हरियाणा में बी.एड कोर्सिज़ के 495 कॉलेजिज़ हैं तथा अभी तक सरकारी व प्राईवेट दोनों मिलाकर कुल 43 यूनिवर्सिटीज़ चलाई जा रही हैं। वर्ष 2014 में जाने वाली सरकार द्वारा भिवानी में चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी और जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। मैं माननीय सदस्य को उनके प्रश्न के उत्तर में यह बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। फिलहाल इस विषय में हरियाणा सरकार विचार कर रही है।

श्री हरि चन्द मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि न तो वहाँ पर स्टॉफ है, न ही सुविधाएं हैं तथा न ही सफाई आदि का प्रबंध ही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आखिर वहाँ पर किस लिए विश्वविद्यालय बनाया गया है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हरि चन्द मिड्ढा जी की चिंता जायज है। इनका यह कहना ठीक है कि वर्ष 2014 में उस समय की सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाई थी जबकि न तो वहाँ पर इन्फ्रास्ट्रक्चर था और न ही वहाँ पर टीचिंग स्टॉफ ही था। अब हरियाणा सरकार इस यूनिवर्सिटी को सही दिशा में ले जा रही है तथा इसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगी हुई है।

To Upgrade the Power Feeders

***911. Shri Kehar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Power Feeders of Village Bahin, Hathin and Mondkola of Hathin Assembly constituency; if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented togetherwith the details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्णलाल पंवार) : श्रीमान जी, नहीं।

श्री केहर सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिजली आपूर्ति न होने के कारण पूरे हरियाणा प्रदेश में हा-हाकार मचा हुआ है। मेरे हल्के हथीन के एक बड़े गाँव बहीन जिसकी आबादी 10,000 हज़ार है, में 33 के.वी. का एक सब-स्टेशन है जिसमें 4 फीडर हैं। 33 के.वी. सब-स्टेशन केवल एक ही फीडर को बिजली देने में सक्षम है तथा परिणामस्वरूप बाकी के 3 फीडर बंद रहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जब से मौजूदा सरकार बनी है तब से हरियाणा प्रदेश में 24 घण्टे में से मात्र 5-6 घण्टे ही बिजली मिलती है तथा उसमें भी दर्ज़नों बार कट लगाए जाते हैं। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि बहीन, माँदपुर, अंधौत, आली ब्राह्मण तथा नाँगल जाट गाँवों के लोग 90-96 प्रतिशत् बिजली के बिल अदा करते हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब

हथीन में गए थे तो वहाँ पर वे एक वायदा करके आए थे कि वे 33 के.वी. सब-स्टेशन को अपग्रेड करके 66 के.वी. सब-स्टेशन बनाएंगे लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि इस बारे में आज सदन में जो जवाब आया है वह 'ना' में आया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस सब-स्टेशन का दर्जा बढ़ाया जाए ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त इस सरकार ने नहरों के टेल-एंड तक पानी देने की बात कही थी। हरियाणा प्रदेश में आज बिजली तथा नहरों के अंतिम छोर तक पानी न होने के कारण मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र हथीन में हा-हाकार मचा हुआ है। मेरी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इन समस्याओं की तरफ अवश्य ध्यान दिया जाए।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहीन, मण्डकोला व हथीन के पॉवर-हाऊस का दर्जा बढ़ाने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो बहीन फीडर है उसके अंदर बहीन और नॉगल जाट गाँव आते हैं, जिस पर पहले ही 190 ऐम्पियर के अगेंस्ट 135 ऐम्पियर लोड चल रहा है तथा वहाँ पर और अतिरिक्त ऐम्पियर की कैपेसिटी है। दूसरा इन्होंने मण्डकोला फीडर की बात कही है। इस फीडर में मण्डकौला, नौरंगाबाद और रीवर 3 गाँव आते हैं। इस फीडर पर भी 190 ऐम्पियर के अगेंस्ट 160 अम्पेयर का लोड चल रहा है तथा 12 घण्टे बिजली की सप्लाई चल रही है। तीसरा इन्होंने हथीन फीडर के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस फीडर में 190 ऐम्पियर के अगेंस्ट 170 ऐम्पियर का लोड चल रहा है लेकिन बहलाब और कौंडल फीडर ओवरलोडिड हैं। 270 में से 100 एम्पियर लोड के लिए हमने दो 11 के.वी.ए. के पावर हाउसिज अलग एलॉयस बनाकर चालू कर दिए हैं। इसके अलावा जो माननीय साथी की चिंता है इसके लिए मैं इनको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर और आगरा से 440 के.वी.ए. की जो लाइन आती है उसकी समयपुर के 220 के.वी.ए. पावर हाउस से फीडिंग होती है। 1200 मेगावाट से ज्यादा ओवर लोड होने के बाद पीछे से उस लाइन को काट दिया जाता है जिस कारण आगे जाकर बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मौजूदा सरकार ने सैक्टर-72, गुड़गांव से एक लाइन की शुरूआत की है जोकि 85 किलोमीटर की होगी और यह लाइन 80 करोड़ रूपये की लागत से बनेगी। यह लाइन विशेष तौर से सोहना और नूंह जोकि इंडस्ट्रियल एरियाज है, को फीड करेगी। इसके अलावा यह लाइन हमारे पलवल जिले को भी फीड करेगी। रंगीलापुर और राजपुरा के 220 के.वी.ए. के जो पावर हाउसिज हैं उनको भी यह यह लाइन फीड करेगी।

श्री केहर सिंह: अध्यक्ष महोदय,जननायक चौधरी देवीलाल और चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल में बिजली की आपूर्ति भरपूर मात्रा में रही। खेतीहर किसान और सभी उपभोक्ता उस समय बिजली की आपूर्ति से खुश थे। उस समय ट्यूबवैल्ज के बिल और घरों के बिजली के बिल ऊंट के मुंह में जीरे के समान थे लेकिन आज की मौजूदा सरकार ने बिजली के रेट में बेलहाशा वृद्धि की है जिसकी वजह से दिनांक 23.11.15 को इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के नेता और किसानों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, यह सप्लीमैंट्री आपके प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में बिजली के रेट में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी ने फैसला लिया कि हम शक्ति भवन के सामने धरने पर बैठेंगे। आज धरने का 8वां दिन है। पूरे प्रदेश की महिलाएं शक्ति भवन के सामने धरने पर बैठी

[श्री केहर सिंह]

हैं। आज बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि के कारण किसान दु :खी हैं तथा रो रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज हाहाकार मचा हुआ है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो बिजली के रेट में वृद्धि की गई है उसको वापिस लिया जाए क्योंकि यह मांग केवल इंडियन नैशनल लोकदल की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की है।

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, आपने जो प्रश्न दिया है मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि बिजली के बढ़े हुए रेट को वापिस लिया जाए। मुख्यमंत्री महोदय जी सामने आते हैं तो बिजली के रेट घटाने की बात करते हैं लेकिन बाद में विज्ञप्ति आती है कि बिजली के रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश इस बढ़े हुए बिजली के बिलों से निजात चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या बिजली के बढ़े हुए दामों को वापिस लिया जाएगा या हरियाणा के किसानों और आवाम पर और ज्यादा भ्रष्टाचार किया जाएगा? (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि रंगीलापुर और राजपुरा तक की जो 85 किलोमीटर की लाइन है इसमें 117 टावर्ज लगने हैं जिनमें से 50 टावर्ज कम्पलीट हो चुके हैं तथा 67 टावर्ज का फाउंडेशन स्टोन वगैरह का काम पूरा हो चुका है तथा 30.4.2016 तक सारा काम कम्पलीट करके हम इस लाइन को चालू कर देंगे।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, इससे पहले कि आप अगले प्रश्न को टेक-अप करें मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहूंगा कि अपनी नई विधान सभा के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हुआ है जैसे आपने पिछले विधान सभा सत्र से पहले विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा और सुझाव देना चाहता हूं वैसा ही एक प्रशिक्षण शिविर हमें एक बार फिर से लगाने की आवश्यकता है ताकि जो प्रश्न काल की मर्यादा और महत्व है उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों और विशेषकर नये माननीय सदस्यों को जानकारी प्राप्त हो सके। मेरी इस बात से सदन के सभी वरिष्ठ सदस्य भी सहमत होंगे।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इनको श्री राज कुमार सैनी जी, माननीय लोक सभा सांसद, कुरूक्षेत्र को भी नसीहत देनी चाहिए जो कि आये दिन अनाप-शनाप ब्यानबाज़ी करते रहते हैं।

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि उनके बारे में यहां पर किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया जा सकता क्योंकि वे लोक सभा के माननीय सांसद हैं।

श्री अध्यक्ष : संधू जी, कृपया करके आप बैठ जाईये। अब श्री असीम गोयल जी अपना प्रश्न पूछेंगे।

New Enterprises Promotion Policy

***960. Shri Aseem Goel :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether any preference has been given to the existing long-

established Industries like handicrafts, plywood industry at Yamuna Nagar, scientific instrument industry at Ambala, metal insustry at Jagadhari and textile industry at Panipat under the New Enterprises Promotion Policy-2015, if so, the details thereof?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : जी हाँ श्रीमान जी, राज्य सरकार ने समूहों को विकसित और उनकी खो चुकी नेतृत्व की स्थिति को फिर से बहाल करने के लिए पहल की है जैसे कि यमुनानगर में प्लाईवुड उद्योग, अम्बाला में वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, जगाधरी में धातु उद्योग और पानीपत में वस्त्र उद्योग। समूह विकास कार्यक्रम का लाभ लेते हुए इन समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है और इन समूहों में समान सुविधा केन्द्रों को स्थापित किया जा रहा है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार अधिकतम 3.00 करोड़ रुपयों के साथ इस परियोजना की लागत का 20% हिस्सा प्रदान करेगी इस योजना के तहत भारत सरकार परियोजना की लागत का 70% की सीमा तक अनुदान सहायता देगी (15.00 करोड़ रुपए की परियोजना की लागत तक सीमित) राज्य सरकार ने अधिकतम रुपए 2.50 करोड़ के साथ परियोजना की लागत के 50% तक के अपने योगदान का प्रावधान किया है (रुपए 15 करोड़ से अधिक परन्तु 20 करोड़ से अधिक नहीं)

राज्य सरकार ने समान सुविधा केन्द्रों (सी.ऍफ.सी.) की स्थापना के लिए राज्य छोटे समूह विकास योजना की निधि को भी कम से कम 10 मौजूदा इकाईयों के लिए 90% राज्य का योगदान : व 10% एस.पी.वी. परियोजना की लागत 2 करोड़ तक के लिए नीति तैयार की है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय साथी श्री असीम गोयल जी ने जो प्रश्न पूछा है वह जो हरियाणा प्रदेश की नई उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2015 है उसमें जो हरियाणा प्रदेश में पुराने क्लस्टर्स लगे हुए थे अर्थात जो पुराने उद्योग थे। चाहे वह हस्तशिल्प उद्योग हैं, यमुनानगर में प्लाईवुड का उद्योग है, अम्बाला में वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण का उद्योग है, जगाधरी में धातु उद्योग है, पानीपत में कपड़ा उद्योग है, के बारे में पूछा है कि क्या सरकार की नई उद्योग नीति में इनको कोई विशेष वरीयता दी गई है। माननीय सदस्य के साथ कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस बारे में प्रश्न किये थे। इन सभी के द्वारा यह चिंता व्यक्त की गई थी हरियाणा सरकार की नई उद्यम नीति में केवल नये उद्योगों को ही प्रोत्साहन देने की योजना बनाई जा रही है। माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की जो नई उद्यम प्रोत्साहन नीति है उसमें हमने विशेष योजना के तहत कि जो हमारे पुराने क्लस्टर्स हैं अर्थात जो हमारे ट्रैडीशनल क्लस्टर्स हैं जिनमें हरियाणा प्रदेश को लीडरशिप का स्टेट्स मिला हुआ था और जिनके नाम से हरियाणा को जाना जाता था। चाहे वह अम्बाला का साईंटिफिक इंस्ट्रूमैंट्स के निर्माण का उद्योग हो, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि हमने यह योजना बनाई कि राज्य सरकार उसमें तीन करोड़ रूपये तक की लागत से कॉमन फैसिलिटी सैंटर बनाएगी ताकि इससे उनको सभी आधारभूत और मूलभूत सुविधायें प्राप्त हो सकें। राज्य सरकार उसमें 20 प्रतिशत और इससे ज्यादा का हिस्सा भी प्रदान करती है। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार की एक योजना रही है जिसमें 15 करोड़ रूपये तक की सहायता मिलती है जिसमें 70 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती थी, 10 प्रतिशत राज्य सरकार देती थी और 20 प्रतिशत सम्बंधित क्षेत्र के क्लस्टर्स के उद्योगों को देना पड़ता था। हमने अपनी नई उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत 70 प्रतिशत केन्द्र सरकार के अंशदान के बाद जो 10 प्रतिशत राज्य सरकार देती थी उसको बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया है ताकि हमारे सभी पुराने क्लस्टर्स को बेनीफिट दिया जा सके। इसके

[कैप्टन अभिमन्यु]

अलावा स्टेट गवर्नमैंट ने अपनी मिनी क्लस्टर स्कीम भी बनाई है। मैं यहां पर स्टेट गवर्नमैंट की मिनी क्लस्टर स्कीम की पूरी डिटेल देकर सदन का समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। माननीय सदस्य की इस बारे में बार-बार चिंता उजागर हुई है इसलिए मैं केवल माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि हमारे जो टैक्सटाईल मशीनरी क्लस्टर हैं उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है जिसके तहत टैक्सटाईल मशीनरी क्लस्टर के लिए कॉमन फैसीलिटी को एशटैब्लिश किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए हमें केन्द्र सरकार से 18 करोड़ 85 लाख रूपये की इन-प्रिंसीपल अप्रूवल प्राप्त हो चुकी है। हमें विश्वास है कि इसकी फाईनल अप्रूवल भी हमें 31 मार्च, 2016 तक प्राप्त हो जायेगी। इसी प्रकार से यमुना नगर में इंजीनियरिंग क्लस्टर के लिए 15 करोड़ 58 लाख रूपये की इन-प्रिंसीपल अप्रूवल भी हमें भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इसकी फाईनल अप्रूवल भी 31 मार्च, 2016 तक अपेक्षित है। ऐसे ही यमुना नगर में जो प्लाईवुड क्लस्टर की 250 के लगभग इकाईयां हैं उनके लिए इसी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए 16 करोड़ 47 लाख रूपये की इन-प्रिंसीपल अप्रूवल भी हमें भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इस बारे में भी हमारा मानना है कि इसकी फाईनल अप्रूवल भी हमें 31 मार्च, 2016 तक मिल जानी चाहिए। इसी तरह से जो वहां के स्टील यूटेंशियल क्लस्टर अर्थात जो मैटल क्लस्टर्स हैं उनके उत्थान के लिए हमने 16 करोड़ 77 लाख की स्कीम केन्द्र सरकार को भेज दी है। हमें उम्मीद है कि हमारी इस स्कीम के लिए सिडबी की अप्रेज़ल 31 दिसम्बर, 2015 तक हो जानी चाहिए। इसी प्रकार से अम्बाला का साईंटिफिक इंस्ट्रूमैंट्स क्लस्टर है जिसमें 600 के करीब इकाईयां आती हैं इनके लिए भी एक प्रपोज़ल बनाया जा रहा है। इस प्रपोज़ल को बनाकर हम शीघ्र ही इसको भारत सरकार को भेज देंगे। जहां तक इसके डी.पी.आर. का सम्बंध है इसके लिए हमने फरवरी, 2016 की समय सीमा तय की है अर्थात इसकी डी.पी.आर. हम फरवरी, 2016 तक भारत सरकार को सबमिट कर देंगे।

श्री असीम गोयल : आदरणीय स्पीकर सर, जिन उद्योगों के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया है ये सभी हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा भारतवर्ष के स्वाबलम्बन के लिए बनाई गई विशेष योजना 'मेक इन इंडिया' के तहत आते हैं। इन सभी उद्योगों से अर्थात जिन शहरों में ये उद्योग स्थापित है इनसे उन शहरों की विशेष पहचान भी है। इसके साथ ही मैं एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि ये सभी इण्डस्ट्रीज़ हमारे प्रदेश की रेवेन्यू की रीढ़ रही हैं। इन सभी इण्डस्ट्रीज़ से पहले बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा कि अम्बाला शहर के अंदर एक मिक्सी का उद्योग था। पूरे प्रदेश में यह पहला शहर है जहां मिक्सी चौंक भी बना हुआ है। अम्बाला शहर में प्रत्येक घर के अंदर मिक्सी के भिन्न-भिन्न पार्ट्स बनते थे लेकिन पिछले काफी लम्बे समय से इस उद्योग की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से आज वह उद्योग पूरी तरह से ठप्प हो गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अम्बाला में इस मृत प्राय : हो चुके मिक्सी उद्योग को पुनर्जीवित करने के विशेष कदम उठाते हुए कोई बड़ा आर्थिक पैकेज देने की घोषणा करें। इसी प्रकार से मैंने पहले भी ए.के.आई.सी. के बारे में निवेदन किया था कि अमृतसर-अम्बाला-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरीडोर पर आ चुका है। हवाई सफर के हिसाब से भी अम्बाला चण्डीगढ़ के नजदीक पड़ता है जहाँ पर इन्टरनैशनल लेवल का ऐयरपोर्ट है तथा अम्बाला में रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है जिसके कारण अम्बाला में उद्योग को विकसित करने

की अपार सम्भावनाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सभी इंडस्ट्रीज के पुनर्जीवन के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पर कोई विचार करेगी ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक जी के प्रश्न के उत्तर में उनको भरोसा दिलाता हूँ कि मिक्सी उद्योग को किस प्रकार से उसका पहले वाला स्टेटस दिलाया जा सकता है उसके लिए माननीय सदस्य की तरफ से कोई सुझाव या डिटेल प्रोपोजल भेजा जाये। इस बारे में हमारे विभाग की तरफ से भी स्टडी करवाई जायेगी तथा रिपोर्ट तैयार की जायेगी कि किस प्रकार से उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने कंसल्टैंट को भी इंगेज किया है। अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने यहाँ पर अम्बाला का विशेष रूप से जिक्र किया है और उनकी यह बात भी सही है कि अम्बाला में बहुत ज्यादा पोटैंशियल है। अम्बाला तो चण्डीगढ़ के नजदीक है जहाँ पर इन्टरनैशनल ऐयरपोर्ट बना हुआ है। इसके अलावा पंचकुला से यमुनानगर के लिए भी नैशनल हाईवे बनाया जा रहा है। इस पूरे उत्तर हरियाणा में किस प्रकार से उद्योग का जाल फैलाया जा सके, हरियाणा सरकार उसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। साहा में भी एक विशेष फूड पार्क की मंजूरी मिली है और वहाँ पर फूड पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा अम्बाला में 10 एकड़ भूमि पर 50 करोड़ रूपये की लागत से एक टूल रूम विकसित करने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति ली जा चुकी है और यह काम भी हम जल्दी आरम्भ करने वाले हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हरियाणा में उद्योगों का जाल फैलाया जायेगा। गोहाना में आई.एम.टी. की स्थापना के लिए लाठ, जौली, बिधल और भैंसवाल के लोग माननीय मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने इस बारे में मंत्री जी से प्रार्थना भी की थी कि 6 हजार एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए सैक्शन-4 और सैक्शन-6 के नोटिस जारी हो चुके हैं और केवल अवार्ड घोषित होना शेष है। वह एक बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पर लोगों को रोजगार की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार वहाँ पर अवार्ड की घोषणा करके आई.एम.टी. की स्थापना करेगी? वहाँ पर पहले ही भूमि अधिग्रहण की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हालाँकि यह एक सैप्रेट प्रश्न है लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि माननीय सदस्य वहाँ से नुमाइंदे रहे हैं और 10 साल इनकी सरकार रही है और फिर भी गोहाना बैकवर्ड एरिया कैसे रह गया ? यह बात भी ठीक है कि वहाँ पर उद्योग की सम्भावनाएं हैं और वहाँ पर उद्योग को लाया जाना चाहिए। हमारी सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है कि जिन परियोजनाओं के लिए पिछली सरकार ने एक्विजीशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी किस प्रकार से उस एक्विजीशन की प्रक्रिया को सफल कर सकें। हम किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण निर्णय नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पिछली सरकारों ने यदि कोई काम प्रारम्भ किया है और वह काम यदि राज्य के हित में आगे बढ़ाया जा सकता है तो निश्चित तौर पर हम उसको आगे बढ़ायेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वह कामयाब हो।

श्री राजदीप सिंह फौगाट : अध्यक्ष महोदय, दादरी शहर में 1932 में एक सी.सी.आई. सीमेंट की फैक्ट्री लगी थी। वह डालमिया साहब ने लगाई थी और दादरी शहर का नाम उन्हीं

[श्री राजदीप सिंह फोगाट]

के नाम पर पहले डालमिया दादरी होता था। वर्ष 1985 में केन्द्र सरकार ने उस फैक्ट्री को अपने अधीन कर लिया और धीरे-धीरे आज वह फैक्ट्री बंद हो गई है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि दादरी में नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन थी जिसमें उस समय लगभग 850 ट्रक होते थे लेकिन आज वह भी बंद हो गई है। आपकी ही पार्टी के हमारे भिवानी से सांसद श्री धर्मबीर सिंह जी से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इस जमीन पर तो आवारा पशुओं को रोकने के लिए बाड़ा बनाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, वह 238 एकड़ जमीन है जो कि शहर के बीच में पड़ती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसको पुन: चलाया जाये ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, यह सैप्रेट प्रश्न है माननीय विधायक भाई राजदीप जी ने पिछले सत्र में भी इस प्रश्न को उठाया था और इसका उत्तर उनको उस वक्त भी दिया गया था और उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी बातचीत की है अगर इसमें उनके पास कोई सुझाव हो तो हम उस सुझाव पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे। उनको पिछली बार भी इस प्रश्न का उत्तर दिया था। यह सैप्रेट प्रश्न है उसका डिटेल में रिस्पॉंस देने की बजाय अगर वह उसको दोबारा से पढ़कर हमसे बातचीत करेंगे तो उसमें कोई समाधान निकाला जा सकता है।

श्री राजदीप सिंह फोगाट : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में केन्द्रीय मंत्री श्री गीते जी से भी मिला था उन्होंने मुझे इसके लिए 100 प्रतिशत आश्वस्त करते हुए कहा था कि वैसे तो यहां पर सरकारी योजनाओं के तहत कोई उद्योग नहीं लग सकता लेकिन हम किसी प्राईवेट एजेंसी को देकर यहां पर उद्योग लगाने का काम करेंगे। मैं इस बात को आपके सामने भी रखता हूँ कि आप वहां जल्दी से कोई न कोई उद्योग लगाने का काम करें। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सांसद धर्मबीर जी ने जो ब्यान दिया था उसके लिए मैं चाहता हूँ कि उनकी पार्टी भी अपनी तरफ से सदन में माफी मांगे। हालांकि धर्मबीर जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने अपने ब्यान पर माफी मांगने का काम नहीं किया। जबकि उनके इस ब्यान से पूरे शहर में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसे ब्यानबाजी न करें और वह अपना ब्यान वापिस लें। इसके साथ ही मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार मेरे क्षेत्र में उद्योग लगाने का काम कब तक करेगी?

(श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री राजदीप सिंह फोगाट किस के ब्यान पर किसको माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? यह सारा रिकार्ड से एक्सपंज करवाया जाए।

श्रीमती किरण चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी यह पूछ रहे हैं कि सांसद जी ने जो ब्यान दिया था वह सही है या नहीं? अगर सही नहीं है तो ऐसे सांसदों को सरकार को यह कहना चाहिए कि वह ऐसे अनाब शनाब न ****।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती किरण चौधरी जी से यह पूछा जाए कि ****शब्द क्या है। ये पढ़ी लिखी हैं फिर भी उस सांसद को ऐसा कह रही हैं जो सदन में मौजूद नहीं है और जो अपनी बात नहीं रख सकता तो उसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना तो गलत है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्रीमती किरण चौधरी : विज साहब, प्लीज आप मेरा मुंह मत खुलवाईये। हम अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पृथला विधान सभा क्षेत्र में पूर्व सरकार द्वारा 4 नवम्बर 2012 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें पृथला में इण्डस्ट्रीज एरिया डवैल्पमेंट करने की सूचना थी। जिसको सैक्टर-12 में इण्डस्ट्रीज एरिया डवैल्पमेंट करने के लिए निश्चित किया गया था लेकिन आज तक उसमें कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि क्या पृथला में इण्डस्ट्रीज एरिया डवैल्पमेंट करने के बारे में कोई प्लान है या नहीं है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह सैप्रेट प्रश्न है इसका उत्तर हम माननीय सदस्य को अलग से वह जब चाहें दे सकते हैं।

Upgradation of School

***925. Shri Om Parkash Barwa** : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government upgrade a Government Girls High School of Barwa upto Government Senior Secondary School of Loharu Constituency?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान। यह विद्यालय राजकीय विद्यालयों की स्तरोन्नति के नियमों को पूरा नहीं करता क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम है और विद्यालय की भूमि कम है। एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 1 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री ओमप्रकाश जी बड़वा अपने गांव में विद्यालय का दर्जा बढ़वाना चाहते हैं वैसे तो इनके गांव के एक किलोमीटर की दूरी पर पहले ही एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चल रहा है अगर उसके बाद भी श्री ओमप्रकाश बड़वा जी की एक किलोमीटर के अन्दर एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और खुलवाने की इच्छा है तो स्कूल के जो नॉर्म्स होते हैं वह पहले उनको पूरा कराएं क्योंकि एक स्कूल को अपग्रेड करने के लिए उसके जो नॉर्म्स होते हैं वह ये हैं कि उस स्कूल में 14 कमरे होने चाहिए, उस स्कूल के प्रांगन के लिए दो एकड़ जमीन होनी चाहिए, 8वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के बच्चों की संख्या कम से कम 150 होनी चाहिए, लेकिन उस विद्यालय में बच्चों की संख्या 126 है तो मैं श्री ओमप्रकाश जी को कहना चाहूंगा कि वह पहले इन सभी नॉर्म्स को पूरा कराएं।

श्री ओमप्रकाश बड़वा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ने जो जवाब दिया है मैं उस बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि सरकार ने 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर बड़ी अहमियत भी दे रखी है, हमने यह प्रश्न इसलिए लगाया था। क्योंकि मेरा गाँव 15 हजार की आबादी का बहुत बड़ा गाँव है। जो प्लस टू का बॉयज का स्कूल है उसमें लड़कों की संख्या बहुत अधिक है। सभी कंडीशंज पूरी करता है। अगर सर्वे में किसी कंडीशन की गलत सूचना दी गई है तो मैं कह नहीं सकता। कमरों की संख्या भी पूरी है, जगह भी पूरी है अगर बच्चों की संख्या कम है वह भी पूरी हो जायेगी, इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस स्कूल को अपग्रेड किया जाए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान ओमप्रकाश जी यदि यह बात कहते हैं कि इस बारे में सर्वे गलत हुआ है तो मैं माननीय विधायक जी के जिम्मे यह काम लगाता हूं कि वे एक महीने के अन्दर अन्दर सारे नार्म्स पूरे करवा दें तो इनके विद्यालय को अपग्रेड कर दिया जायेगा।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में नार्म्स के बारे में बात की है कि जो विद्यालय नार्म्स पूरे करते हैं उनको हम अपग्रेड कर देंगें। मेरे हल्के रतिया में एक लाम्बा गाँव है वहां का स्कूल सभी नार्म्स पूरे करता है चाहे वह कमरों की बात हो या चाहे ग्राउंड की बात हो। इस बारे में डी.ई.ओ. आफिस में दो साल पहले इस स्कूल को अपग्रेड करने की प्रपोजल आई हुई है। मैंने इस बारे में पिछले सत्र में भी बात कही थी लेकिन वह स्कूल अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह स्कूल कितने समय के अन्दर अपग्रेड कर दिया जायेगा क्योंकि लाम्बा गाँव का स्कूल सरकार के सारे नार्म्स पूरे करता है इसलिए इस स्कूल को कब तक अपग्रेड कर दिया जायेगा?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक डाक्टर रविन्द्र बलियाला जी ने पिछले सत्र में इस स्कूल के बारे में जिक्र किया था उस समय मैंने यह कहा था कि आप लाम्बा गाँव के स्कूल के बारे में अलग से लिखकर भिजवा दें। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 22 जून 2015 को पानीपत में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के कार्यक्रम का एक अभियान शुरू किया था। इसलिए इस स्कूल को अपग्रेड करने के बारे में सरकार अवश्य विचार करेगी।

Transparent Administration in the State

***962. Sh. Gian Chand Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) the steps taken by the Government to provide transparent administration in the State togetherwith the number of cases of corruption registered by the State Vigilance Bureau; and

(b) the number of cases under investigation together with the details of action taken?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हरियाणा सरकार पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाने के लिये प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कई कदम उठाये गये हैं। इसमें शामिल है :-

(i) विभिन्न पदों पर भर्ती में साक्षात्कार के लिये अधिकतम 12% अंक रखे गये हैं।

(ii) पुलिस विभाग में भर्तियों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का क्रियान्वयन।

(iii) तहसील और उप-तहसील में सब विलेखों और दस्तावेजों का ई-पंजीकरण।

(iv) शराब के ठेकों का आंबटन ई-निलामी के द्वारा किया गया है।

(v) पंजीकृत डीलरों को मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के तहत "सी" फार्म आनलाईन जारी किया जाना।

(vi) डीलरों का पंजीकरण, वैट रिटर्न और करों का भुगतान आनलाईन किया गया है।

(vii) ई-नीलामी के जरिसे खान पट्टेदार का चयन

(viii) सभी शहरी स्थानीय निकायों में ई-टैंडरिंग सिस्टम।

हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के लिये शुन्य सहिष्णुता की नीति का पालन कर रही है। राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा 26.10.2014 से 24.11.2015 की अवधि के दौरान 226 मामले दर्ज किये गए हैं।

(ख) उपरोक्त 226 मामलों में से, 149 मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये गये हैं तथा बाकी 77 मामले अन्वेषणाधीन हैं।

स्पीकर सर, यह विषय बहुत बड़ा है लेकिन समय इतना है। अगर मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा तो बहुत लम्बा उत्तर हो जायेगा। लेकिन विधायक जी ने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में उत्तर देते हुए मैं सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले एक साल में लगातार प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कम्प्यूटराईजेशन और आई.टी. का सहारा लेते हुए और अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं को बदलते हुए उस काम में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। एक बडा महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया कि नौकरियों के अन्दर जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता था, भाई भतीजावाद होता था और लगातार शिकायतें आती थी। उन नौकरियों में इन्टरव्यू के जो मार्क्स मिलते थे जिनमें धांधली करने की सबसे ज्यादा सम्भावना होती थी उनको कम करते हुए आब्जैक्टिव क्राईटेरिया के द्वारा 12 प्रतिशत इन्टरव्यू के मार्क्स को मैक्सिमम फिक्स किया है। इसके अलावा पुलिस रिक्रुटमैंट भी बहुत बड़े स्तर पर होने जा रही है। उस भर्ती में भी एक ट्रांसपेरैंट रिक्रुटमैंट प्रोसैस यानी टी.आर.पी. जो भारत सरकार के पुलिस अनुसंधान रिसर्च इन्सटीच्यूशन देता है उसके सुझाव के अनुसार टी.आर.पी. प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश की जितनी भी तहसीलों में होने वाली तमाम प्रकार की रजिस्ट्रियां हैं उनमें ई-स्टैम्पिंग और ई-रजिस्ट्रेशन की प्रकिया को लागू करने का निर्णय सरकार ने किया है। पहली बार हरियाणा में हमारे एक्साईज विभाग के लिक्कर वैंड्ज के जितने भी ऑक्शन हुए वे पूरी तरह से ई-ऑक्शन 15.00 बजे प्रणाली के माध्यम से दिये गये हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सी-फार्म की बहुत लम्बे अर्से से हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों की माँग रही है जिसको हमारी सरकार ने ऑनलाईन करने का काम किया है। मुझे सदन को बताते हुए यह खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 6-7 महीने के अंदर अढाई लाख से ज्यादा सी-फार्म ऑनलाईन जारी किए जा चुके हैं जिसके लिए एक भी व्यापारी को किसी भी कराधान एवं आबकारी विभाग के अधिकारी के चक्कर नहीं काटने पड़े हैं। (थंपिंग) अध्यक्ष महोदय, डीलर्ज़ की वैट की रजिस्ट्रेशन, उनकी रिटर्न की फाईलिंग की प्रक्रिया तथा यहाँ तक कि टैक्सिज़ की पैमेंट की प्रक्रिया को भी ऑनलाईन कर दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश की खनन की नीलामी की प्रक्रिया भी अब ई-ऑक्शन के माध्यम से की गई है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के ठेके से लेकर अधिकांश ठेके हरियाणा प्रदेश में अब ई-टैंडरिंग के माध्यम से किए जाते हैं। हाई पावर्ड परचेज़ कमेटी की पूरी की पूरी प्रोक्योरमैंट का कार्य भी ई-टैंडरिंग के माध्यम से किया जाता है। हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की consent to operator and consent to establish की प्रक्रिया में पिछले 7-8 महीने पहले लगभग 1000 एप्लीकेशंज़ पैंडिंग थीं तथा यह पैंडेंसी महीनों में नहीं बल्कि सालों में थी। हमारी सराकर ने उस पैंडेंसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है तथा अब केवल सौ दिन

[कैप्टन अभिमन्यु]

से भी कम समय की पैंडेंसी रह गई है तथा pending applications की संख्या भी 100 से भी कम रह गई है। हमारा लक्ष्य इस पैंडेंसी को और भी कम करने का है जिसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सोसायटीज़ और ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से ऑनलाईन कर दी गई है। इंडस्ट्रीज़ का जो enterprise memorandum होता है उसके दोनों चरण ई.एम.1 और ई.एम.2, को भी पूरी तरह से ऑनलाईन कर दिया गया है जिसके अंतर्गत हजारों रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुके हैं। आज हरियाणा प्रदेश में आधार कार्ड का उपयोग करते हुए 20,50,000 के करीब पैंशनधारियों के बैंक अकॉउंट खुल चुके हैं जो एक भगीरथ कार्य वर्तमान हरियाणा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। (थंपिंग) विभिन्न सरकारी संस्थानों चाहे आई.टी.आईज़ हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजिज़ हों अथवा यूनिवर्सिटीज़ हों, उनमें विद्यार्थियों के मैक्सिमम एडमिशंज़ की प्रक्रिया को हमने ऑनलाईन करने का काम किया है। यहाँ तक कि मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि आई.टी.आई विभाग लगभग पूरा का पूरा पेपरलैस हो चुका है और वहाँ पर कार्य ऑनलाईन चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, उसके उत्तर में मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर zero tolerance की नीति को अपनाकर पिछले एक वर्ष 26.10.2014 से 24.11.2015 तक के हमारी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के 226 केस स्टेट विजिलैंस ब्यूरो द्वारा रजिस्टर्ड किए गए हैं जबकि पिछले 5 साल में प्रतिवर्ष की एवरेज केवल 100 केसिज़ रजिस्टर्ड करने की थी वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार के पहले वर्ष में ही 225 का आँकड़ा पार हो गया है। इन 226 केसिज़ में से 173 केसिज़ में सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत बालान पेश किए जा चुके हैं तथा 149 केसिज़ कोर्ट में चल रहे हैं तथा बकाया 77 केसिज़ इन्वैस्टिगेशन की प्रक्रिया में हैं। मैं यहाँ यह बात उजागर करना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य केवल केस रजिस्टर करना ही नहीं हैं बल्कि केस के फॉलो-अप में उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जाए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए लेकिन गढढ़े इतने ज्यादा हैं कि सारी कार्रवाई करते-करते थोड़ा समय तो अवश्य लगेगा। विपक्ष के माननीय नेता ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार अपेक्षा की है कि इन तमाम मामलों में कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इन मामलों में कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। इन 226 केसिज़ में तो कार्रवाई चल ही रही है। इसके अतिरिक्त और भी जितने मामले संज्ञान में आए हैं, हर मामले की जाँच किसी ने किसी चरण में किसी न किसी प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ रही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि यह सरकार किस प्रकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आगे बढ़ रही है। जब इस सरकार का गठन हुआ था तो हमने सदन में सदन के नेता को बताया था कि हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को 400 पेज की भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक किताब दी है और वह शायद आप तक पहुंच गई होगी। आपने कहा था कि हमारी सरकार नई सरकार है इसलिए हमें थोड़ा समय दिया जाए लेकिन इस पर कार्रवाई जरूर होगी। अध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार का एक वर्ष हो गया है और हमने आपके माध्यम से हर सैशन में इस इशू को याद दिलवाने का काम किया है।

हमने हर बार आग्रह किया हैं कि क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगें। सदन के नेता ने हर बार हमें आश्वासन दिया था कि हम 100 फीसदी इस पर कार्रवाई करेंगें। उसके बाद हम 23 नवम्बर, 2015 को मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गए थे और वहां पर भी मैंने उस चार्ज शीट की किताब हैंडओवर की थी और हमने इनसे पूछा था कि क्या आप इन पर कार्रवाई करेंगें ?

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से आग्रह करूंगा कि वे इस तरह की बातें करके सदन का समय खराब न करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब मैं भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के लिए खड़ा होता हूं तो इनको पता नहीं क्यों तकलीफ होती है।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, ये उससे सम्बन्धित बात ही कर रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि सरकार की तरफ से तो अब तक कारवाई नहीं हो रही लेकिन ये जो हमारे विपक्ष के साथी हैं जिन्होंने ये सारा कांड किया है वे हमारे द्वारा भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के समय बीच में खड़े हो जाते हैं और इनको तकलीफ हो जाती है। क्या कांग्रेस वाले लोग चाहते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार बढ़े?

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या कोई मैम्बर प्रश्नकाल के दौरान इस तरह का मुद्दा उठा सकता है ? ये अपनी बात जीरो आवर में उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, चौटाला जी इन्कवायरी की ही डिमांड कर रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में मंत्री जी ने खुलकर बताया कि हम इतने केसिज कोर्ट तक लेकर गए और इतने चालान किए। जो चार्जशीट हमने दी है इसके बारे में क्या मंत्री जी हमें आश्वस्त करेंगें कि इस पर कारवाई होगी यदि कारवाई होगी तो कब तक होगी या नहीं होगी ताकि यदि इस पर कार्रवाई न हो तो कम से कम हम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटा सकें। अगर सरकार अपनी बात पर कायम है तो इस हाउस को बताया जाना चाहिए कि कितने समय में इस पर कारवाई की जाएगी?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने जो प्रश्न चल रहा था उसके संदर्भ में पहले भी जो बात कही है उसी बात को बार बार दोहराते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार की तरफ से इस मामले में कार्रवाई करने के आश्वासन की अपेक्षा की है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार की अपनी प्रक्रिया और प्रणाली रहती है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार किसी भी मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। एक साल में जितने भी केसिज हमारे नोटिस में आए हैं हमने उनमें कार्रवाई की है। अध्यक्ष महोदय, जिस केस का उल्लेख ये कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा घपला है जिसको सारा हरियाणा जानता है। मानेसर में 400 एकड़ जमीन के केस में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और उसमें1500 करोड़ रूपये का नुकसान इंगित किया गया है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से समय की बरबादी हो रही है इसलिए आप प्रश्नकाल को सस्पैंड कर दें।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, जितने प्रश्न आते हैं उससे रिलेटिड प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हम इनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं इसमें समय की बर्बादी कौन कर रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जब भ्रष्टाचार पर चर्चा होती है तो न जाने मेरे कुछ काबिल साथियों को क्यों तकलीफ होती है। प्रदेश में अगर कोई भी बेकायदगियां हुई हैं या अनियमितताएं हुई हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और जैसे जैसे कुछ और भी पता चलेगा उन पर कार्रवाई करना सरकार का काम है और सरकार उन पर कार्रवाई अवश्य करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से मानेसर वाले मामले में सी.बी.आई. को जांच दी जा चुकी है। इसके अलावा एक और मामला जो रैक्सिल दवाई से सम्बंधित था उसमें भी सी.बी.आई. को जांच दी जा चुकी है। इसी प्रकार के बहुत से मामले हर रोज़ सरकार के संज्ञान में आ रहे हैं। पिछली सरकार द्वारा विभिन्न मामलों में बरती गई अनियमितताओं, की गई कारगुजारियों और बेकायदगियों के बारे में हमें तो माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से पता चलता है। कि किस प्रकार से रोहतक में इण्डस्ट्रियल सैक्टर में 222 प्लॉट्स की अलॉटमैंट को फैक्ट्रियां बनने के बाद भी निरस्त करना उचित समझा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मामले में उस समय कितनी अनियमिततायें और बेकायदगियां हुई होंगी। इन सभी मामलों की गहराई में जाने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि पूरे मामले को अच्छी तरह से समझ करके उसकी जो बेकायदगी है उसको निकाल करके और यह देखकर कि उस पर कानून की कौन सी धारा लगती है उसको समझ करके उसके बाद उस पर लीगल ऑपीनियन लेकर उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाये ताकि कोई भी दोषी बच न पाये। इस प्रकार के जितने भी मामले होंगे उनकी हम निश्चित तौर पर जांच करेंगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय नेता को यह भरोसा दिलाता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य, कृपया करके बैठ जायें। माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि जो कोई भी किसी भी मामले में दोषी होगा वह सज़ा से नहीं बच पायेगा। जो निर्दोष होगा उसे कुछ नहीं कहा जायेगा इसलिए आप इस बात की चिंता न करें कि किसी निर्दोष को परेशान किया जायेगा।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए और काम-काज़ में पारदर्शिता लाने के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमारी सरकार की जितनी सराहना की जाये वह कम होगी। अध्यक्ष जी, मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जिस एजेंडा और जिस घोषणा-पत्र को लेकर हमारी सरकार सत्तासीन हुई थी उसमें दो बातें मुख्य रूप से कही गई थी कि पारदर्शी काम-काज़ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। हमारी सरकार ने ये जो भी कदम उठाये हैं मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने ये सभी ऐतिहासिक निर्णय किये हैं। आज सभी प्रकार की भर्तियों की प्रकिया को पारदर्शी बनाया गया है। मैं समझता हूं कि सभी प्रकार की भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार के स्तर पर जो निर्णय किये गये हैं वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिनके आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम सामने आयेंगे जो कि प्रदेश और देश की बहुमुखी तरक्की में अपना अविस्मरणीय योगदान देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह बताना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले माननीय हाई कोर्ट द्वारा अपने आदेशों द्वारा जो 222 प्लॉट्स का

आबंटन रद्द किया गया उस आबंटन में जो तथ्य सामने आये हैं कि एक-एक परिवार को 10-10 प्लॉट्स दिये गये हैं। इनमें 50 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनको इन प्लॉट्स का आबंटन मैरिट के बजाय किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर किया गया। इस सम्बंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करके सरकार उनको किस प्रकार से दण्डित करने जा रही है? जहां तक मुझे इसकी जानकारी है उसके मुताबिक मैं यह बताना चाहूंगा कि इन प्लॉट्स में से बहुत से प्लॉट्स पर फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। इसलिए इस बारे में गम्भीर चिंता का विषय यह है कि उन प्लॉट्स पर लोगों का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है और वहां पर लोग फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि इन फैक्ट्रियों और वहां पर नौकरी कर रहे लोगों की रोजी-रोटी की रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि ऐसे ही पंचकुला में जो 13 प्लॉट्स अलॉट हुए थे इनमें से 12 प्लॉट्स किसी व्यक्ति विशेष के रिश्तेदारों को दिये गये थे उन प्लॉट्स पर भी लोगों ने उद्योगों की स्थापना कर ली है। माननीय उच्च न्यायालय के मौजूदा निर्णय से उनको भी चिंता हो गई है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा न हो जाये। इसलिए मैं इस बारे में यह पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों/व्यक्तियों ने यह गलत आबंटन किया है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जायेगी इस बारे में सदन को पूरी जानकारी दी जाये।

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। हमने हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता से वायदा किया था कि हम भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद मुक्त सरकार देंगे और वह हमने करके दिखाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : शांत हो जाओ, नहीं तो लालू प्रसाद यादव आ जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष ग्रोवर : दांगी साहब, आपकी पार्टी का बेड़ा पार भी लालू जी के कारण ही हुआ है। आप भी भ्रष्टाचार के सहारे ही ऊपर चढ़े हो, भ्रष्टाचार के बगैर आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रोवर जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय हाई कोर्ट का अभी कुछ दिन पहले निर्णय आया है। रोहतक जो कि मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर 222 औद्योगिक प्लाटों की वर्ष 2009 में चुनाव से 2 दिन पहले बंदरबाँट की गई और अपने चहेतों को बिना किसी प्रोजैक्ट रिपोर्ट के और बिना नियमों के वे प्लॉट आबंटित कर दिये गये। माननीय हाई कोर्ट ने उन औद्योगिक प्लाटों के आबंटन को रद्द कर दिया है। वहाँ पर 90 प्रतिशत उद्योग लग चुके हैं और अब माननीय हाई कोर्ट ने उन प्लाटों का आबंटन रद्द कर दिया है। हम हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पिछली सरकार के जिन अधिकारियों ने बिना प्रोजैक्ट रिपोर्ट देखे और नियमों को ताक पर रख कर जो प्लाटों का आबंटन किया है उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी और जो प्रोजैक्ट लग चुके हैं उनकी चिन्ता करते हुये क्या सरकार उनको कोई राहत देगी ?

[श्री मनीष ग्रोवर]

अध्यक्ष महोदय, अभी तक मुझसे पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग प्यार करते थे क्योंकि मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के इलाके से आया था जहाँ पर बहुत विकास हुआ है लेकिन आज उसी रोहतक में प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारी सरकार को बने एक साल हो गया है और रोहतक नगर निगम की मेयर जिन्होंने घोटाले किये हैं वह आज भी वहाँ पर बैठी हुई है। रोहतक नगर निगम में फर्नीचर घोटाला हुआ है और भी कई घोटाले हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदन और माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि रोहतक नगर निगम की मेयर के दो साल के कार्यकाल में जो घोटाले हुये हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों साथियों ने बड़े गम्भीर प्रश्न उठाये हैं मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। पिछली सरकार की 10 साल की कारगुजारियों को देख कर मुझे श्री रामबिलास शर्मा जी का वह रमलू वाला किस्सा याद आ रहा है। अब इस बारे में श्री रामबिलास शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदन का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस बारे में मंत्री जी अपना जवाब दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, जो पिछली सरकार गई है उसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट से 11 मामलों में स्ट्रिक्चर जैसे आदेश आये हैं। गैस्ट टीचर्स के मामले में भी इसी प्रकार के आदेश आ चुके हैं। अभी हाल ही में रोहतक के 222 औद्योगिक प्लाटों के बारे में निर्णय आ चुका है और पंचकुला में 14 औद्योगिक प्लाटों को भी रद्द कर दिया गया था जिसमें उस समय के माननीय मुख्यमंत्री पर सीधे-सीधे बात आती है। अब श्री अभय सिंह चौटाला जी विपक्ष का नेता होने के नाते अपने अधिकार के तहत अपनी सप्लीमैंट्री पूछ रहे हैं। यह बात भी सही है कि जब रंज बुत देते हैं तो खुदा याद आता है। (शोर एवं व्यवधान) गीता जी, आपका तो मैं समर्थन करता रहता हूँ लेकिन किरण चौधरी जी तो यूं ही ऐसी बात कर रही हैं। उनका तो सरकार में रहते हुए भी दो बार तो डिपार्टमैंट बदला गया था। वह तो इनमें दम था कि यह ऊपर से रातों रात अपना डिपार्टमैंट बदलवा कर ले आई। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, जब मंत्री जी को पता है कि हमारे अन्दर इतनी हिम्मत है तो उनको हमारी परवाह करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, भी यही कह रहे हैं।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार अढ़ाई करोड़ लोगों ने बनाई है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जनादेश लेकर यहां बैठी है। मनोहर लाल जी दिखाई देने में, बोलने में साधारण लग सकते हैं परन्तु भ्रष्टाचार पर नकेल डालने में यह सरकार कार्रवाई करेगी उसमें चाहे कोई भी कितना ही बड़ा क्यों न हो चाहे हिन्दुस्तान लेवल का हो, चाहे हरियाणा लेवल का हो, हमारे को यह जनादेश मिला है कि भ्रष्टाचार में जो-जो लोग भी शामिल पाए जाएंगे उनके लिए हमने कुछ इंक्वायरी मुकर्रर कर दी हैं जिनके तहत आने वाले समय में माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हरियाणा की यह बी.जे.पी. सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेगी इसमें किसी से चुकेगी नहीं।

To Ban Calf Leather Items

***931. Shri Karam Singh Dalal :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to State:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to ban the sale of items made from Calf Leather in the State; and

(b) If so, the time by which such ban will be introduced in pursuance of the stated Policy of Government on cow protection in the State?

कृषि मन्त्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) श्रीमान जी, अत: प्रश्न ही नही उठता।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि क्या राज्य में बछड़े की चर्म से बनी वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा सवाल पूछा है उसके संबंध में सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है और इस प्रकार की सरकार की कोई नीति भी नहीं है कि गाय संरक्षण पर कोई नीति बनाकर ऐसा प्रतिबन्ध कब तक लागू हो जाएगा। जब ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है तो ऐसी नीति का कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि सरकार जब हरियाणा में गऊ रक्षा के लिए कानून बनाती है जिसका यहां तमाम सदन ने और सारी पार्टियों ने एक मुस्त सरकार का समर्थन किया है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ गाय के बछड़े की खाल से बनने वाली वस्तुएं चाहे वह बैग हैं, जूते हैं, चप्पल हैं आदि बनाई जा रही हैं और सरकार कह रही है कि हम उस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब यह कानून प्रदेश में आया तो लोगों के अन्दर खुशियां जाहिर हुई थी लेकिन आज सरकार की लापरवाही की वजह से, इस तरह के कानून की वजह से, इस तरह की रोक न लगाने की वजह से ऐसी वस्तुओं का उपयोग हो रहा है। हरियाणा के लोग क्या बछड़ों की खाल से बनी जूतियां पहन सकते हैं ? जब बछड़ों की खाल से बनी वस्तुओं का उपयोग हो सकता है तो फिर यह सरकार गाय की संरक्षक बनने का ढ़ोंग क्यों कर रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि आज दिन में तो गांव में, शहरों में बछड़ों और गायों के झुण्ड के झुण्ड घूमते हुए नजर आते हैं और रात को गायब हो जाते हैं। जिससे सरकार के मंत्रियों का और पुलिस का रोज तमाशा बन रहा है जिसको तमाम हरियाणा ही नहीं तमाम देश देख रहा है। इनकी कानून व्यवस्था काबू से बाहर है। बछड़ों का इस तरह से गांवों व बाजारों से गायब हो जाना इसमें सरकार की मिली-भगत है और सरकार जो गऊ रक्षा का ----(शोर एवं व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप अपने मुद्दे पर बोलिये आपकी इस बात में वह प्रश्न कहां है जो आप कह रहे हैं?

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : नहीं आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हो आप तो भाषण दे रहे हो।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब गाय की हत्या के ऊपर रोक लगी है तो बछड़ा तो बिल्कुल जवान बच्चा होता है। गाय हमारी माता है और गाय के बछड़ों की खाल के निर्माण की वस्तुओं पर सरकार प्रतिबंध लगाने की बजाय उल्टा प्रोत्साहन दे रही है। सर, ये बड़ी गम्भीर समस्या है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि क्या सरकार प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और जो बछड़ों का गांव से, बाजार से गायब होना और उनकी हत्या होना जारी है, उस पर रोक लगाएगी ? जो बछड़े की खाल से बनने वाली बीजों का उत्पादन हो रहा है क्या उस पर भी रोक लगाने पर सरकार पुनर्विचार करेगी तथा मंत्री जी इस पर कोई आश्वासन देंगे?

श्री ओमप्रकाश धनखड : मान्यवर, मैं सदन का आभारी हूं कि महान सदन ने सर्वसम्मति से सदन में एक कानून पास किया जिसके कारण पूरे देश में हरियाणा प्रदेश की प्रशंसा हुई। इस गोपाष्टमी पर उस कानून की नोटिफिकेशन हो गई और वह कानून लागू हो गया। जितनी भी प्रकार की गायें हैं किसी भी गाय पर अगर कोई अत्याचार करेगा उन सब के लिए एक सक्षम सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है। लेकिन परम्परागत रूप से इस बारे में जो काम चलता आ रहा है उसके बारे में भी इस कानून में चिन्ता की गई है ताकि दुलीना जैसा काण्ड दोबारा से न हो जाए। इसलिए जिस भी गाय की स्वाभाविक रूप से डैथ होगी उसकी चर्म को अगर कोई चर्मकार बन्धु उतारते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन का नियम इस कानून में निहित है। उनकी व्यवस्था इस कानून में दी गई है। इस प्रकार का अधिकार उनको नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं से मिलेगा ताकि वे अपना काम अच्छी प्रकार से कर सकेंगे।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है अगर प्रावधान किया गया है तो वे कृपया सदन को इस बारे में जानकारी दें?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक्ट के प्रोवीजन के बारे में भी बता दूंगा। दूसरी बात मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रकार की गौकशी कहीं पर होगी और उस गौकशी के कारण कोई भी बछड़ा या बछड़ी, बैल या गाय है, उसका चमड़ा भी नहीं उतारा जायेगा उसको केवल दफन ही करना पड़ेगा यह भी उस कानून का एक हिस्सा है। जबकि माननीय सदस्य केवल बछड़े की बात करते हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है अगर प्रावधान किया गया है तो वे कृपया सदन को इस बारे में जानकारी दें? (शोर एवं व्यवधान) यह *** नहीं है, यह विधानसभा है। मंत्री जी को तैयार होकर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जो आर.एस.एस. के बारे में जो शब्द बोले गये हैं वे शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जाएं।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जब यह कानून सदन में पास किया गया था उस समय श्री करण सिंह दलाल जी ने भी वोट किया था। श्री करण सिंह दलाल को उस एक्ट को पढ़कर आना चाहिए था। उस एक्ट की सैक्शन 4(3) में लिखा हुआ है:-

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

"The removal of skin and hide from dead cows, other than slaughtered cows, by the authorized contractor shall not be construed as cow slaughter :

Provided that the authorized contractor engaged in removal or transportation of skin and hide from the dead cows, other than slaughtered cows, shall obtain the authorization to this effect from the competent authority."

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन किया है और आपने इन सब चीजों पर बैन किया हुआ है तो फिर क्या चमड़े की जूतियां या बछड़े या बछड़ी के चमड़े की चीजें हरियाणा में मिल सकती हैं? क्या इन चीजों पर हम कोई बैन नहीं लगायेंगे और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर अपने ही कानून को आप कन्ट्राडीन कर रहे हैं अपनी ही बात को मना कर रहे हैं?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, श्री करण सिंह दलाल जी उन लोगों में से हैं जो यह कहेंगे की गाय का दूध मत निकालिये, गाय के थन को मत छेड़िये। जो इस तरह की अति संवेदनशीलता की बहस चलाते हैं ये उन लोगों में से हैं। जब हमने यह कानून पास किया तो नेट पर ऐसी बात चलाने वाले ये लोग थे। अध्यक्ष महोदय, गाय पर अत्याचार किया जा रहा है, दो समय उसका दूध निकाला जाता है। (शोर एवं व्यवधान) एक अच्छे कानून को गलत जगह पर ले जाने की पूर्व-नियोजित मंशा के तहत यह सवाल किया गया है। जब यह सवाल आया था मैंने उसी वक्त कहा था, इनका यह सवाल गलत मंशा का है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सदन में तैयारी करके नहीं आए हैं तथा सदन को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, ये बछड़ियों, साण्डों व बैलों की चिंता कर रहे हैं अथवा नहीं। जब केन्द्र में इनकी सरकार थी, उस समय विभिन्न राज्यों से गाय के संरक्षण के बारे में कानून बनकर आए थे तो उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। (शोर एवं व्यवधान) कर्नाटक राज्य में बने एक अच्छे कानून को इनकी सरकार के समय में 3 बार वापिस किया गया था। इन्होंने एक अच्छे काम को डैस्ट्रॉय करने का काम किया था। (शोर एवं व्यवधान) एक अच्छे कानून का समर्थन करके इन्होंने जो पुण्य कार्य किया था, उस पर अब सवाल उठाकर ये पाप में बदलने जा रहे हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर विषय पर मेरा एक प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या 959 पर लगा हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, आपके गंभीर विषय के प्रश्न को भी टेक-अप करेंगे। अभी आप बैठिए। शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी में काबिलियत नहीं है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री करण सिंह दलाल जी बड़े ही विद्वान हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल ही अनर्थक विषय पर सदन का समय बर्बाद किया है, मैं आपके माध्यम से उनको एक बात बताना चाहूँगा। (विघ्न) मैं अनर्थक शब्द इसलिए कह रहा

[कैप्टन अभिमन्यु]

हूँ क्योंकि वे खुद जानते हैं कि कानून की परिभाषा में जहाँ पर कॉऊ लिखा हुआ है, जिसके अंदर उसकी पूरी प्रोजनी शामिल है। यदि वह slaughtered cow है तो उसके ऊपर वे तमाम प्रकार के प्रावधान लागू होंगे जो बिल में डाले गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जानबूझकर सदन में एक अनर्थक विषय लाकर इस महान् सदन का समय बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए सदन के सदस्य के नाते इनको माफी माँगनी चाहिए कि इन्होंने सदन के साथ गलत व्यवहार किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, क्या आप गाय के संरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी खुद मेरी बात को मान रहे हैं कि स्लॉट्रिंग के बिना बछड़ा कैसे मर सकता है ? हाँ, गाय तो उम्र पाकर मर सकती है। इस प्रकार से बछड़ा तो जवान ही मारा जाएगा तभी तो उसकी खाल आएगी। इसका मतलब स्लॉट्रिंग तो कहीं न कहीं जरूर हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा में ये slaughtering item कैसे लागू हो रही है ? मैं फिर कहता हूँ कि जब बछड़ा मारा जाएगा तभी उसकी खाल आएगी। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास The Haryana Gauvansh Sanrakshan And Gausamvardhan Bill, 2015 की कॉपी है जिसकी सैक्शन-2-सी में साफ तौर से लिखा है कि-

> "cow" means and includes a bull, bullock, ox, heifer or calf and a disabled, diseased or barren cow;

इसका मतलब काऊ के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। Cow slaughter का मतलब calf slaughter भी अपने आप उसमें आ जाता है। (शेम)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं, वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य, श्री करण सिंह दलाल को पूरा उत्तर नहीं सुनना था तो ये क्यों सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम ये पूरा उत्तर तो अवश्य सुन लें। पहली बात तो यह है कि cow slaughter में calf slaughter आदि ये सारी बातें आ गईं। दूसरी बात इसी बिल के सैक्शन-4 के सब-सैक्शन-3 में यह लिखा है कि-

> "The removal of skin and hide from dead cows, other than slaughtered cows, by the authorized contractor shall not be construed as cow slaughter;"

मैं सदन को बताना चाहूँगा कि dead cows के जितने भी वंशज हैं, उसमें काऊज़ भी हो सकती हैं तथा उसमें कॉफ भी हो सकते हैं, उनके ऊपर यह cow slaughter का कानून लागू नहीं होगा। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि गाय बीमारी की वजह से मर सकती है लेकिन बछड़ा कैसे मर सकता है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, बीमारी से कोई भी मर सकता है।(विघ्न)

श्री मनोहर लाल : दलाल साहब, आप पहले पूरा उत्तर सुन लें। चमड़ा और काऊ स्लोटर दोनों में अंतर है। हमने गोवध पर प्रतिबंध किया है। हमने गौ संरक्षण और गौ संवर्धन की बात की है लेकिन बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां हमारे जैसा कानून नहीं है। समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जिन का व्यवसाय चमड़े से जुड़ा हुआ है यदि कोई किसी प्रकार का चमड़े का आयात करके काम करता है तो वह व्यवसाय से जुड़ा हुआ विषय है न कि भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। यदि देश भर में गो वध के निषेध का कानून बनता है तो यह सारे देश में अपने आप बंद हो जाएगा। व्यवसाय के नाते जो चमड़े की चीजें बाहर से आती हैं हम उसको बन्द नहीं कर सकते हैं। हमारा विरोध चमड़े के व्यवसाय से नहीं है बल्कि हमारा विरोध गाय के वध से है। गाय के प्रति हमारी श्रद्धा का जो भाव है हमारा विषय केवल उतना ही है इसलिए जहां तक काऊ स्लोटर का विषय है हमने उसको बंद किया है। चमड़े के व्यवसाय पर हम किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं करेंगें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज़ पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Government Hospital at Julana

***951. Sh. Parminder Singh Dhull :** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the newly built Government Hospital at Julana is likely to be fully functional togetherwith the details of facilities original conceptualized to be provided alongwith details of vacant posts of doctors of different categories and other staff ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, जुलाना में वर्ष 1989 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया गया था और यह 30.08.2013 से नए भवन में कार्यरत है। सभी श्रेणियों के 66 स्वीकृत पदों में से 51 पद भरे हुए हैं तथा 15 पद रिक्त हैं।

To Set up New Industry

***938. Sh. Balwant Singh Sadhaura :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to State whether it is a fact that Sadhaura constituency is lagging behind in Industry; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any new Industry in the said constituency under the new Industrial policy of the State Government; if so, the details thereof?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : हाँ श्रीमान जी, नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015, दिनांक 14.08.2015 को सूचित कर दी है, जिसके तहत संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा भौगोलिक संवितरण के लिए औद्योगिक पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिये गये हैं

[कैप्टन अभिमन्यु]

(सी और डी ब्लॉक)। सढौरा क्षेत्र में सढौरा ब्लॉक डी श्रेणी में आता है तथा बिलासपुर, मुस्तफाबाद ब्लाक सी श्रेणी में आता है। अपेक्षित है कि सढौरा क्षेत्र को इस नीति में दिये गये लाभों का फायदा होगा।

Construction of Road

***940. Shri Nagender Bhadana :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from village Dabua to village Pali; and

(b) if so, the time by which the work on the abovesaid road is likely to be started?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त दर्शाए गई सड़क का कार्य के अन्दर आरम्भ होने का अनुमान है।

Development Works in District Mewat

***959. Shri Zakir Hussain :** Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that many works in District Mewat have been done in contravention of Government Rules and instructions without calling of tenders, quotations, sanction of estimates or completion reports by the Panchayat Department under various schemes from the year 2009-2015; and

(b) if so, the action taken or likely to be taken by the Government?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) हाँ, श्रीमान जी। प्रथम दृष्टतया यह पाया गया है कि जिला मेवात में कुछ कार्य हिदायतों अनुसार पूर्ण प्रक्रिया न अपनाते हुए क्रियान्वित करवाये हैं।

(ख) मामले में दृष्टित जांच हेतु एक कमेटी का गठन कर दिया गया है तथा यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Quantum of Power Theft

***947. Shri Ranbir Singh Kapriwas :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district-wise quantum of power theft reported alongwith the extent of penalty imposed togetherwith the amount realized by the department in the State; and

(b) the disrict-wise number of transformers and wires provided in the State?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) वित्त वर्ष 2015-16 (अप्रैल से सितम्बर 2015 तक) के लिए रिपोर्ट की गई बिजली चोरी, लगाया गया जुर्माना तथा वसूल की गई धनराशि का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	जिला का नाम	पकड़े गए चोरी के मामलों की संख्या	लगाया गया जुर्माना (रुपए लाखों में)	वसूल की गई धनराशि (रुपए लाखों में)
1	अम्बाला	449	305.93	203.8
2	पंचकुला	82	70.87	14.47
3	कुरूक्षेत्र	888	404.58	308.38
4	कैथल	1191	386.33	196.44
5	यमुनानगर	933	392.72	288.48
6	करनाल	1170	449.88	221.05
7	पानीपत	816	329.54	152.95
8	सोनीपत	644	176.48	96.67
9	रोहतक	425	195.9	142.29
10	झज्जर	284	140.46	60.88
11	फरीदाबाद	1646	557.9	210.77
12	पलवल	940	227.57	114.34
13	मेवात	729	168.22	52.27
14	गुड़गांव	810	660.33	232.02
15	महेन्द्रगढ़	328	140.54	71.62
16	रेवाड़ी	578	378.57	163.98
17	भिवानी	2043	363.57	163.98

[श्री मनोहर लाल]

1	2	3	4	5
18	हिसार	1284	353.28	208.83
19	फतेहाबाद	1483	357.49	157.95
20	सिरसा	793	232.22	116.64
21	जीन्द	942	300.77	179.45
	कुल	**18458**	**6585.3**	**3386.67**

(ख) वित्त वर्ष 2015-16 (अप्रैल से सितम्बर 2015 तक) के दौरान उपलब्ध करवाए गए वितरण ट्रांसफार्मर तथा तारों का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	जिला का नाम	ट्रांसफार्मर (संख्या)	एच.टी. लाईन (कि.मी.)	एल.टी. लाईन (कि.मी.)
1	अम्बाला	141	24	3
2	पंचकूला	138	4	3
3	कुरूक्षेत्र	160	62	2
4	कैथल	3162	16	10
5	यमुनानगर	217	41	26
6	करनाल	3220	189	7
7	पानीपत	174	13	10
8	सोनीपत	869	161	35
9	रोहतक	83	24	29
10	झज्जर	125	59	10
11	फरीदाबाद	210	302	378
12	पलवल	751	245	211
13	मेवात			
14	गुड़गांव	297	62	65
15	महेन्द्रगढ़	554	13	1
16	रेवाड़ी	53	8	1
17	भिवानी	267	36	6

1	2	3	4	5
18	हिसार			
19	फतेहाबाद	475	166	41
20	सिरसा	201	22	11
21	जीन्द	313	30	21
	कुल	11410	1467	866

Development Works in Colonies

***954 Shri Lalit Nagar :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that basic facilities are not available to the people residing in colonies from Palla Bridge to Basantpur upto Tilpat in Tigaon Assembly Constituency; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to start the development works in the abovesaid colonies; if so, the details thereof?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : विवरण सदन के पटल पर रख़ा गया है।

विवरण

तिगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नगर निगम, फरीदाबाद की सीमा के अन्दर पल्ला पुल से बसंतपुर, तिलपत तक की कालोनियों में रहने वाले लोगों के लिए सीवर पाईप लाईन, वाटर पाईप लाईन बिछाने, बरसाती पानी की निकासी, नालियां तथा सड़कों / गलियों के निर्माण जैसे विकास कार्यों हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

To Open a Government College in Dadri

***955. Shri Rajdeep Phogat :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College in Dadri; if so, the time by which it is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी।

Shortage of Specialist Doctors

***922. Shri Pirthi Singh :** Will the Health Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that there is shortage of Specialist Doctors and no provision of Digital X-Ray machine in General Hospital of Narwana; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to meet out the shortage of Specialist Doctors and to install the Digital X-Ray machine in the said Hospital; and

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative the time by which the shortage of Specialist Doctors is likely to be met out and the Digital X-Ray machine is likely to be provided in the abovesaid Hospital?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी। एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। वर्तमान में नागरिक अस्पताल, नरवाना में 12 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 7 चिकित्सक कार्यरत हैं जिसमें से एक नेत्र रोग विशेषज्ञ (वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी), एक एम.डी. बायोकैमिस्ट्री तथा एक एम.डी. कम्यूनिटी मैडिसिन शामिल हैं। वर्तमान में वर्णित अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाने बारे कोई प्रस्ताव नहीं है।

Community Centre in Jind City

***909. Dr. Hari Chand Middha :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a community centre opposite Mata Jayanti Devi Temple in Jind City ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : नहीं श्रीमान् जी।

Compensation to Farmers

***912. Shri Kehar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether is any proposal under consideration of the Government to provide compensation or Job to the family members of farmers in lieu of the loss caused due to the lines of Power Grid Corporation; If so, the details thereof?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान।

To Provide Drinking Water

***923 Shri Pirthi Singh :** Will the Public Health Engineering Minister be Pleased to state-

(a) whether it is a fact that people are suffering from serious diseases like Cancer and Hepatitis-C due to contaminated ground water in outer colonies of Narwana city; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide pure drinking water in abovesaid colonies togetherwith the time by which pure drinking water is likely to be provided?

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) :

(क) नहीं श्रीमान जी। नरवाना शहर की जल आपूर्ति नहर पर आधारित है तथा भूमिगत जल पर नहीं।

(ख) नरवाना शहर की स्वीकृत कालोनियों में पाईप लाईन बिछाने का अनुमान पहले से ही अनुमोदित किया जा चुका है तथा कार्य 31.03.2017 तक पूर्ण किया जाएगा।

To Metal the Passage

***927. Shri Om Parkash Barwa :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage between village Behal to Dhani in Loharu Constituency?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं श्रीमान् जी।

Haryana Clinical Establishment Act

***930. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether the Haryana Clinical Establishment (Registration and Regulation Act) has been notified in the State; if so, the aims and objectives of the Act;

(b) whether the Authorities/Bodies have been constituted in the State as per the provisions of the said Act; and

(c) if not, the reasons thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हाँ, श्रीमान। हरियाणा नैदानिक स्थापना (पंजीकरण तथा विनियम) अधिनियम, 2014, हरियाणा राज्य में विभिन्न मान्यता प्राप्त औषधि प्रणालियों के नैदानिक स्थापनाओं को पंजीकरण और नियमन प्रदान करने के लक्ष्य और उद्देश्य के साथ 28.03.2014 को अधिसूचित कर दिया गया है। मामला अधिसूचना हेतू धारा 1(3) के अन्तर्गत कार्यवाही में है।

(ख) हाँ श्रीमान।

(ग) लागू नहीं।

Construction of RMC Road

***941. Shri Nagender Bhadana :** Will the Irrigation Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct RMC road from Mujjesar (Near Sector-22) to Sohna road on both sides of the Gonchhi Drain; and

(b) if so, the time by which the work on the abovesaid road is likely to be started?

कृषी मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Nirmal Bharat Yojna

176. Dr. Hari Chand Middha : Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state-

(a) the total number of houses in which the toilets have been constructed in the Haryana State under the Nirmal Bharat Yojna during the period from the year 2014 till to date together with the districtwise and block level details list thereof;

(b) whether it is a fact that benefit has been provided to those people in whose houses, the toilets have already been constructed;

(c) if so, the action taken against the delinquent persons?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित वर्ष 2014 से अब तक अर्थात 31 अक्तूबर, 2015 तक कुल 169287 शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। 1 अप्रैल, 2014 से 31 अक्तूबर, 2015 तक निर्मल भारत अभियान / स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के अन्तर्गत बनवाऐं गये शौचालयों का जिलावार / खण्ड वार विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक न0	जिला का नाम	खण्ड	कुल
1	2	3	4
1	अम्बाला	अम्बाला-I	2250
		अम्बाला-II	1556
		बराड़ा	2274
		नारायणगढ़	3988
		साहा	1758
		शहजादपुर	4869
		कुल	**16695**
2	भिवानी	भादरा	1346
		भवानी खेड़ा	538
		बहल	704
		भिवानी	2776
		दादरी-I	1406
		दादरी-II	1234

1	2	3	4
		कैरू	885
		लौहारू	642
		सिवानी	1258
		तोशाम	862
		कुल	**11651**
3	फरीदाबाद	बल्लभगढ़	1569
		फरीदाबाद	740
		कुल	**2309**
4	फतेहाबाद	भटटुकलां	310
		भूना	631
		फतेहाबाद	1031
		जाखल	329
		रतिया	735
		टोहाना	528
		कुल	**3564**
5	गुड़गांव	फरूख नगर	1153
		गुड़गांव	495
		पटौदी	2194
		सोहना	2503
		कुल	**6345**
6	हिसार	आदमपुर	511
		अगरोहा	674
		बरवाला	1529
		हांसी-I	1425
		हांसी-II	528
		हिसार-I	1213
		हिसार-II	478
		नारनौंद	1319
		उकलाना	745
		कुल	**8422**

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

1	2	3	4
7	झज्जर	बहादुरगढ़	1790
		बेरी	1747
		झज्जर	2211
		मातनहेल	1238
		साहलावास	1185
		कुल	**8171**
8	जीन्द	अलेवा	407
		जीन्द	622
		जुलाना	947
		नरवाना	1082
		पिल्लूखेड़ा	751
		सफीदों	515
		उचाना	1274
		कुल	**5598**
9	कैथल	गुहला	2572
		कैथल	2608
		कलायत	1940
		पुंडरी	1806
		राजौंद	1466
		सीवन	2510
		कुल	**12902**
10	करनाल	असंध	1544
		घरौंडा	1041
		इन्द्री	1391
		करनाल	1045
		नीलाखेड़ी	1179
		निसिंग	1677
		कुल	**7877**
11	कुरूक्षेत्र	ववैन	596
		लाड़वा	1280

1	2	3	4
		पिहोवा	1808
		शाहबाद	1385
		थानेसर	1511
		कुल	**6580**
12	महेन्द्रगढ़	अटेली नंगल	2374
		कनीना	1207
		महेन्द्रगढ़	2629
		नांगल चौधरी	2034
		नारनौल	1895
		कुल	**10139**
13	मेवात	फिरोजपुर झिरका	1223
		नगीना	1584
		नूह	1538
		पुनहाना	1177
		तावरू	961
		कुल	**6483**
14	पलवल	हसनपुर	858
		हथीन	1629
		होडल	700
		पलवल	2121
		कुल	**5308**
15	पंचकूला	बरवाला	1329
		मोरनी	898
		पिंजौर	1292
		रायपुर रानी	1911
		कुल	**5430**
16	पानीपत	बापौली	2288
		इसराना	1544
		मडलौडा	1157
		पानीपत	1535

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

1	2	3	4
		समालखा	1482
		कुल	**8006**
17	रेवाड़ी	बावल	715
		जाटूसाना	1464
		खोल	619
		नाहर	553
		रेवाड़ी	1289
		कुल	**4640**
18	रोहतक	कलानौर	824
		लाखन माजरा	713
		महम	925
		रोहतक	1894
		सांपला	1185
		कुल	**5541**
19	सिरसा	बडागुढा	840
		डबवाली	911
		ऐलनाबाद	999
		नाथूसेरी चौपटा	1201
		ओडान	97
		रानिया	677
		सिरसा	1572
		कुल	**6297**
20	सोनीपत	गन्नौर	702
		गोहाना	776
		कथुरा	233
		खरखौदा	1175
		मुंडलाना	469
		राई	328
		सोनीपत	2069
		कुल	**5752**
21	यमुनानगर	बिलासपुर	4778

1	2	3	4
		छछरौली	6066
		जगाधरी	2557
		मुस्तफाबाद	2322
		रादौर	3631
		सढौरा	2223
		कुल	21577
		कुल योग	169287

(ख) नहीं श्रीमान जी।

(ग) सवाल ही नहीं उठता।

Construction of Stadium in Hathin

184. Shri Kehar Singh : Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a sports stadium in Hathin town; if so, the time by which the construciton work of said sports stadium is likely to be started?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

Repair of Bus-Stand

190. Shri Pirthi Singh : Will the Transport Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that building of Narwana Bus-Stand is in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the building of said Bus-stand togetherwith the time by which the proposal is likely to be materialized?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) :

(क) श्रीमान् जी, नहीं

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

Details of Immovable Properties of Gaushala Trust Bhiwani

193. Shri Karan Singh Dalal : Will the Agriculture Minister be pleased to state:-

[Shri Karan Singh Dalal]

(a) the details of immovable properties owned and under control of Shree Gaushala Trust, Bhiwani as on the date of its registration dated 21.05.1963 with Registrer of Firms and Societies Punjab alongwith the names of the original donors/owners of immovable properties with terms and conditions of donation and will of donors;

(b) the details of all immovable properties purchased acquired or received in donations by the abovesaid trust since its inception i.e. 21.05.1963 till date; and

(c) the details of all immovable properties sold by the Shree Gaushala Trust, Bhiwani since 21.05.1963 till date alongwith the details of resolutions passed for such sales, details of agreement of sale and sale deeds?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : (क, ख व ग) श्रीमान जी, जिला रजिस्ट्रार, फर्मज़ एवं समिति, भिवानी के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्डनुसार श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी संयुक्त पंजाब में सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अर्न्तगत पंजीकरण संख्या 11 वर्ष 1963-64 में दिनांक 21.05.1963 को पंजीकृत हुई थी। कार्यालय रिकार्डनुसार, उक्त समिति से संबंधित अचल सम्पति, खरीदी व बेची गई अचल सम्पतियों के कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत इस प्रकार के दस्तावेज लेने का कोई प्रावधान नहीं था।

To Set up Herbal Park in Morni

198. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Forest Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Herbal Park in the Morni Hills; and

(b) if so, the total area identified and expenditure likely to be incurred for the purpose togetherwith the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) हाँ, श्रीमान जी, मोरनी की पहाड़ियों में हर्बल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) मोरनी की पहाड़ियों में 262.5 एकड़ क्षेत्र का चयन करके विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में 49.35 लाख रू. की लागत से इस क्षेत्र में हरड़, बेहड़ा, आंवला, अमलतास, बेलपत्तर, नीम, अर्जुन आदि प्रजातियों के 1,15,500 औषधीय पौधे रोपित किए गये हैं। ये औषधीय पौधे मोरनी, भूड़ी, बरवा, थन्डोग तथा थापली गांव के अधीन वन क्षेत्रों में रोपित किये गये हैं।

To Solve the Problem of Dirty Water

201. Sh. Lalit Nagar : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that dirty water from Delhi accumulates in the colonies across the Palla Bridge at present in Tigaon Assembly constituency; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to check or to solve the said problem togetherwith the details thereof ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) :

हां, श्रीमान जी। तिगांव विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में नगर निगम, फरीदाबाद की सीमा में पड़ने वाली कुछ कालोनियों में दिल्ली से नालियों के माध्यम से गंदा पानी आता है।

आयुक्त नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा गंदे पानी के उचित निपटान हेतु तथा समस्या का स्थाई समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु दिल्ली सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया गया है।

तथापि नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा दिल्ली राज्य से आने वाले गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए 20 एच.पी. तथा 3 एच.पी. की क्षमता के 2 मोटर पम्प सहित निस्तारण प्रणाली निर्मित की गई है।

To Solve the Problem of Drinking Water

204. Shri Rajdeep Phogat : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether any steps have been taken by the Government to solve the problem of drinking water in village Ranila of Dadri constituency; if so, the time by which the said problem is likely to be solved ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : गांव रानीला को पीने का पानी गांव में स्थित नहर आधारित दो जलघरों से प्रदान किया जा रहा है। पहले पुराने जलघर पर कच्चे पानी की समस्या थी, क्योंकि कच्चे पानी का स्त्रोत भागेश्वरी माईनर से था और खुला इनलेट चैनल 6 किलोमीटर लम्बा था। इस समस्या के समाधान के लिए, सांजरवास माईनर से कच्चा पानी लेने के लिए 98.00 लाख रुपये का एक अनुमान अनुमोदित करवाया गया था। पाईपलाईन का कार्यपूरा हो चुका है और अस्थाई तौर पर चालू कर दी गई है। लेकिन, पम्प का निर्माण और पम्पिंग मशीनरी लगाने, बिजली का कनैक्शन स्थानांतरित करने के कार्य प्रगति पर हैं और इनके 31-3-2016 तक पूरे होने की संभावना है। इस समय गांव रानीला में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है।

Total Amount Spent on the Pilgrimages

177. Dr. Hari Chand Middha : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

[Dr. Hari Chand Middha]

(a) the total amount spent on the pilgrimages in Haryana State during the financial year 2014-15 and year 2015-16; and

(b) the total amount spent on the famous pilgrimage village Pandu-Pindara in Jind Assembly Constituency during the above mentioned period?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी,

(क) कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा इसके कार्यक्षेत्र में स्थित तीर्थ यात्रियों के लिए वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 3,48,58,469/- रु. की राशि तथा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 2,21,27,856/- रु० (24.11.2015 तक) की राशि खर्च की गई थी।

(ख) जीन्द विधानसभा क्षेत्र स्थित पाण्डु-पिण्डारा तीर्थ पर वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 (24.11.2015 तक)के दौरान कोई राशि खर्च नहीं की गई थी।

Repair of Hospital Building

185. Sh. Kehar Singh : Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the building of the Hospitals, particularly the building of the Hospital of village Mandkola of Hathin Constituency are in dilapidated condition; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the building of the abovesaid Hospitals; if so, the time by which the abovesaid work is likely to be started togetherwith the details thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, हथीन निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा0स्वा0केन्द्र) उटावड़, नांगल जाट तथा कोट के भवनों की दशा अच्छी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथीन के नए ब्लॉक का निर्माण हाल ही में किया गया है। यद्यपि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडकोला के मुख्य भवन के कुछ भाग तथा रिहायशी भवनों की हालत उचित अवस्था में नहीं है। कथित आवासों की मुरम्मत के लिए 19.05 लाख रुपये लोग निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के) को जारी किए जा चुके हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंडकोला के भवन की मुरम्मत हेतु अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

Repair of Roads

191. Shri Pirthi Singh : Will the Agriculture Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the roads from village Pipaltha to Kharal and Kharal to Dhamtan Sahib of Narwana Assembly Constituency were constructed by the Marketing Board during the year 2001-02 and never been repaired since then; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the abovesaid roads togetherwith the time by which these roads are likely to be repaired?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

नरवाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की **पिपलथा से खरल** तथा **खरल से धमतान साहिब** सड़कों का निर्माण विपणन मण्डल के द्वारा वर्ष 2002 में किया गया था। **पिपलथा से खरल** सड़क पर निर्माण के पश्चात् हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा कोई विशेष मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है। **खरल से धमतान साहिब** सड़क वर्ष 2009-10 में लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) को स्थानांतरित कर दी गई थी तथा इस सड़क की जुलाई, 2013 के दौरान 20 मिली मीटर मोटी प्रीमिक्स कारपेट की परत डालकर मरम्मत की गई थी। **पिपलथा से खरल** सड़क की मरम्मत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा मरम्मत कार्य 31.3.2016 तक पूरा किए जाने की संभावना है। **पिपलथा से धमतान साहिब** सड़क की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है, क्योंकि यह अच्छी स्थिति में है तथा जुलाई, 2018 तक दोष दायित्व अवधि में है।

Complaint Against the Mismanagement in Gaushala Trust

194. Shri Karan Singh Dalal : Will the Agriculture Minister be pleased to state-

(a) whether any complaint regarding mismanagement in Shree Gaushala Trust, Bhiwani was received by the Deputy Commissioner, Bhiwani during the year 2012-13, and

(b) if so, action taken on the said complaint the details of complaint alongwith the details of enquiry conducted and action taken report?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनकड़) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) दिनांक 19.06.2012 को भिवानी सुधार एवं विकास समिति, भिवानी (रजि0) की ओर से प्राप्त शिकायत जांच हेतु उपायुक्त, भिवानी द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी को भेजी गई थी। बाद में जांच उपायुक्त, भिवानी द्वारा दिनांक 11.09.2014 को श्री निशांत यादव, सहायक कलैक्टर, प्रशिक्षु को जांच हेतु दी गई थी। दिनांक 02.03.2015 को श्री गऊशाला ट्रस्ट द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय में एक सिविल याचिका नं0 5194 ऑफ 2015 डाली गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2015 को उक्त सिविल याचिका में उपायुक्त, भिवानी को याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2015 पर विचार करने उपरान्त कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के आदेश दिये गये हैं।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

परन्तु जांच के दौरान श्री निशांत यादव के स्थानान्तरण के कारण जांच उपमण्डल अधिकारी (ना0), भिवानी को दिनांक 08.09.2015 को भेजी गई। शिकायत में दोनों पक्षों की सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी 02.12.2015 निश्चित की हुई है।

शिकायत में मुख्य आरोप श्री गौशाला ट्रस्ट के प्रबन्धन पर कृषि भूमि के प्रबन्धन में त्रुटियां, पशुओं पर होने वाले आय-व्यय के हिसाब में त्रुटियां, कथित गैर कानूनी रूप से कम कीमत पर कृषि भूमि को बेचने बारे, गैर कानूनी रूप से पतराम गैट के नजदीक जोहड़ को भरने बारे व श्री गौशाला ट्रस्ट की प्रबन्धन समिति में एक वर्ग विशेष के शामिल होने बारे व समाज के अन्य वर्गों को श्री गौशाला ट्रस्ट की प्रबन्धन समिति में शामिल होने से वंचित रखने बारे हैं।

Status of the Various Power Generation Units

199. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be pleased to state the current status of the various power generation units operating within Haryana?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

हरियाणा राज्य के लिए हरियाणा के अन्दर चल रही विभिन्न बिजली उत्पादन इकाईयां निम्न प्रकार से हैं :-

	बिजली केन्द्र का नाम एवं यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
ए	**पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन, पानीपत,(1367.8 मेगावाट)**	
	(एच.पी.जी.सी.एल. का अपना)	
	यूनिट-I	117.8
	यूनिट-II	110
	यूनिट-III	110
	यूनिट-IV	110
	यूनिट-V	210
	यूनिट-VI	210
	यूनिट-VII	250
	यूनिट-VIII	250
	कुल ए	**1367.8**

1	2	3
बी	**दीनबंधु छोटू राम थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, यमुनानगर**	
	(600 मेगावाट)-(एच.पी.जी.सी.एल. का अपना)	
	यूनिट-I	300
	यूनिट-II	300
	कुल बी	**600**
सी	राजीव गांधी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, यमुनानगर	
	(1200 मेगावाट)-(एच.पी.जी.सी.एल. का अपना)	
	यूनिट-I	600
	यूनिट-II	600
	कुल सी	1200
डी	इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन, झाड़ली, झज्जर-	
	(एन.टी.पी.सी. का अपना)	
	यूनिट-I	500 (हरियाणा का हिस्सा = 231 मेगावाट)
	यूनिट-II	500 (हरियाणा का हिस्सा = 231 मेगावाट)
	यूनिट-III	500 (हरियाणा का हिस्सा = 231 मेगावाट)
	कुल डी (हरियाणा का हिस्सा)	**693**
ई	महात्मा गांधी सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन, झज्जर-	
	(सी.एल.पी. का अपना)	
	यूनिट-I	660 (हरियाणा का हिस्सा = 594 मेगावाट)
	यूनिट-II	660 (हरियाणा का हिस्सा = 594 मेगावाट)
	कुल ई (हरियाणा का हिस्सा)	**1188**

1	2	3
एफ	**फरीदाबाद गैस पॉवर प्लांट (एन.टी.पी.सी. का अपना)**	432
जी	**सौर ऊर्जा परियोजनाएं - (आई.पी.पी. का अपना)**	
	मैसर्ज वी.के.जी. एनर्जी प्रा. लि. गांव रायपुर रानी जिला पंचकूला	1
	मैसर्ज जामिल नई दिल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि., गांव पंचनौटा, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़	1
	मैसर्ज चन्द्रालीला पॉवर एनर्जी (प्रा.) लि., गांव सिलारपुर मेहता, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़	0.8
	मैसर्ज एच.आर. मिनरल्स एण्ड एलोयज (प्रा.) लि., गांव कलानौर, जिला रोहतक	1
	मैसर्ज सी.एण्ड.एस. इलैक्ट्रिक लि. गांव नगड़ा, तहसील भाढ़ड़ा, जिला भिवानी	1
	मैसर्ज एस.डी.एस. सौलर प्रा.लि., गांव बालरामंद, जिला हिसार	1
	मैसर्ज तायल एण्ड कं. गांव बीड़ फिरोजदी, जिला पंचकूला	1
	मैसर्ज सुखबीर सौलर एनर्जी प्रा.लि., गांव कुमथला, तहसील ऐलानाबाद जिला सिरसा	1
	मैसर्ज सिवाना सौलर पॉवर प्रोजेक्ट, भिवानी	5
	कुल जी	12.8
एच	**बगासी / बायोमास आधारित पॉवर प्लांट - (आई.पी.पी. का अपना)**	
	हरियाणा कोओपरेटिव शुगर मिल्स लि., गांव भाली आनंदपुर, जिला रोहतक	12
	महम शुगर मिल्स, महम, जिला रोहतक	2
	ताऊ देवी लाल शुगर मिल्स, गोहाना, गांव आहुलाना, गोहाना, सोनीपत	2
	हैफेड शुगर मिल, असंध गांव फफड़ाना तहसील असंध, जिला करनाल	2

1	2	3
	शाहबाद कोओपरेटिव शुगर मिल्स शाहबाद, जिला कुरूक्षेत्र	18
	जी.ई.एस.सी.ओ. बायोमास, गांव दिनौद, जिला भिवानी	8
	स्टारवायर (इंडिया) लि. बायोमास, गांव बारागुडा, जिला सिरसा	9.9
	ए.बी. ग्रेन्स, जटवाड़, नारायणगढ़	5
	श्री ज्योति, भिवानी	9.5
	कुल एच	**69.4**
आई	**लघु हाईड्रो प्रोजेक्टस अंडर रिन्यूएबल एनर्जी**	
	वेर्स्टन यमुना कैनाल हाईड्रो प्रोजेक्ट भुंडकलां - (एच.पी.जी.सी. एल. का अपना) (यमुनानगर) (6x8 मैगावाट तथा 2x7.2 मैगावाट)	62.4
	माईक्रो हाईड्रो पॉवर स्टेशन, काकरोई (1x0.30 मैगावाट) (आई.पी.पी. का अपना)	0.30
	भोरूखा (4x1.5 मैगावाट) गांव छछरौली, जिला यमुनानगर (आई.पी.पी. का अपना)	6.0
	पी.एण्ड आर. घोघड़ीपुर, करनाल (आई.पी.पी. का अपना)	2.0
	पुरी ऑयल मिल, मुस्तापुर, (1x1.4 मैगावाट) (आई.पी.पी. का अपना) खुखनी (1x1.4 मैगावाट)	2.8
	कुल आई	**73.5**
	कुल (ए से आई)	**5636.5**

* वर्तमान समय में, बिजली घर-ए डब्ल्यू.वाई.सी. हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट यमुनानगर की 8 मैगावाट की यूनिट-2 को छोड़कर एच.पी.जी.सी.एल. की सभी उपरोक्त यूनिटें कार्यरत हैं जो अगस्त 2014 से केपिटल ओवरहॉलिंग के अन्तर्गत है तथा दिसम्बर 2015 के पहले सप्ताह तक बिजली उत्पादन शुरू करने की संभावना है।

* रोजाना राज्य की बिजली मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा पॉवर परचेज सैन्टर की आवश्यकतानुसार विद्युत परियोजनाएं बिजली पैदा करती हैं।

To Improve the Condition of Health Centers

202. Shri Lalit Nagar : Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the condition of Government Hospitals of Tigaon Assembly Constituency particularly the Health Centers of village Palla, Kheri, Tigaon and Karali is pitiable; if so, whether there is any proposal under condideration of the Government to improve the condition of the said hospitals togetherwith the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं श्रीमान जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पल्ला तथा तिगांव, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेड़ी एवं कुराली के भवनों की दिशा दयनीय नहीं है। यद्यपि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिगांव तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेड़ी के आवासों को नकारा घोषित किया जा चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पल्ला तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुराली के आवासों की मुरम्मत 2012-13 में 23.28 लाख रूपये के खर्च से करवाई गई थी।

To Metal the Passage

205. Shri Rajdeep : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage from village Barsana to Tiwala of Dadri Assembly constituency; if so, the time by which it is likely to be metalled ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं श्रीमान् जी।

New Industrial Policy

178. Dr. Hari Chand Middha : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state-

(a) whether any New Industrial Policy has been framed by the present State Government; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideraion of the Government for Jind under the New Industrial Policy ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : (क व ख) हाँ श्रीमान जी,

नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 दिनांक 14-8-2015 को अधिसूचित कर दी गई थी जिसमें जींद ब्लॉक सी श्रेणी में आता है। इस नीति में भौगोलिक संवितरण के लिए (सी और डी ब्लॉक) में उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन दिए गये हैं, जिसमें औद्योगिकरण व आर्थिक आधार से, उनमें ज्यादा प्रोत्साहन दिए गये हैं। अपेक्षित है कि जींद क्षेत्र को इस नीति में दिये गये लाभों का फ़ायदा होगा।

To Open Girls College

186. Shri Kehar Singh : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Girls Collage in any village of Hathin Assembly Constituency; if so, the time by which the said Collage is likely to be opened togetherwith the detatils thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां, श्रीमान् जी।

राज्य सरकार द्वारा हथीन में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) हरियाणा को इस महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य 28 फरवरी, 2016 से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। विभाग भी इस महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2016-2017 से आरम्भ करने के कदम उठा रहा है।

Construction of Road

192. Shri Pirthi Singh : Will the Agriculture Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that tender for construction of road from village Kharal to Dhabi Tek Singh was passed in the year 2004 and the earth work had also been completed by Panchayat but the said road has not been constructed so far; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the abovesaid road togetherwith the time by which it is likely to be constructed?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

Amout of Revenue Collected

195. Shri Karan Singh Dalal : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state-

(a) the duties of District Collectors in the State; and

(b) the amount of revenue collected in each District during the financial year 2010-11 to 2015 till date ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

(क) महोदय, जिला उपायुक्त विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। जिला उपायुक्त, जिलाधीश तथा कलैक्टर का कार्य भी करता है। जिला कलैक्टर के रूप में वह राजस्व प्रशासन का मुख्य कार्यवाही अधिकारी है और राजस्व का संग्रह और भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में सभी बकायों के लिए जिम्मेवार है और जिला में सबसे ज्यादा राजस्व न्यायिक अधिकारी है। वह पंजीकरण कार्य के लिए एक रजिस्ट्रार है।

(ख) महोदय, वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 अब तक सभी जिलों में राजस्व प्राप्ति की कुल राशि इस प्रकार से है:-

क्र संख्या	वर्ष	प्राप्ति (करोड़ों में)
1	2010-2011	2601.88
2	2011-2012	3125.29
3	2012-2013	2707.09
4	2013-2014	3028.10
5	2014-2015	3764.47
6	*2015-2016	1691.93

*दिनांक 23-11-2015 तक

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 (अब तक) एकत्र हुए राजस्व की जिलेवार राशि का विवरण अनुबन्ध "ए" में संग्लन है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

अनुबन्ध-क

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक स्टाम्प ड्यूटी प्राप्ति आज तक **(राशि करोड़ों में)**

क्रम संख्या	जिला	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (till date)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	56.06	87.11	88.95	72.32	85.73	1.54
2.	भिवानी	35.33	59.53	78.55	63.08	29.45	30.37
3.	फरीदाबाद	205.36	243.26	313.69	403.08	390.80	257.59
4.	फतेहाबाद	50.64	62.42	48.77	34.05	27.59	19.91
5.	गुड़गावां	1303.17	1279.92	813.40	1148.06	2050.13	574.80
6.	हिसार	68.26	87.33	110.70	75.75	62.70	42.05
7.	झज्जर	60.56	64.06	99.37	106.25	63.91	46.45
8.	जीन्द	35.17	50.63	48.82	47.58	57.45	74.01
9.	कैथल	37.51	49.52	49.00	27.72	44.66	25.35
10.	करनाल	89.34	134.95	134.30	132.60	106.95	56.31
11.	कुरुक्षेत्र	67.93	105.67	85.49	65.99	65.69	31.93
12.	महेन्द्रगढ़	8.75	22.99	26.17	25.91	24.45	26.43
13.	मेवात	32.74	27.67	54.69	60.66	37.31	24.52
14.	पलवल	42.09	65.34	76.67	73.24	88.73	41.44
15.	पंचकुला	111.75	218.55	102.82	86.54	93.38	54.75
16.	पानीपत	60.58	95.15	83.10	96.38	92.88	57.81
17.	रेवाड़ी	53.44	67.70	91.22	98.42	100.96	54.48
18.	रोहतक	79.46	73.97	75.63	89.45	113.07	47.83
19.	सिरसा	54.93	88.58	72.21	60.60	18.90	56.47
20.	सोनीपत	92.74	153.43	164.98	181.52	131.26	115.95
21.	यमुनानगर	56.07	87.61	88.56	78.90	78.47	51.94
	जोड़	**2601.88**	**3125.29**	**2707.09**	**3028.10**	**3764.47**	**1691.93**

Adoption of a Village

200. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state the facilities granted by the State Government to the villages adopted / or likely to be adopted by its officers?

कृषि मंत्री (ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी, इस पहल का उद्देश्य ऐसे गाँवों में बेहतर सुविधाओं के अभिसरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए है।

To Say Down the Sewerage System

203. Shri Lalit Nagar : Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down the sewerage in village Tigaon togetherwith the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं श्रीमान।

New Parks in Dadri City

206. Shri Rajdeep Phogat : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop New Parks in Dadri city; if so, the time by which these are likely to be developed?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : हाँ, श्रीमान जी। माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 27.02.2015 को स्वर्गीय श्री हुकम सिंह, पूर्व मुख्य मंत्री, हरियाणा की स्मृति में एक पार्क विकसित करने की घोषणा की गई थी। इसके लिये उपयुक्त भूमि की पहचान की प्रक्रिया जारी है। इसलिये कोई निश्चित् समय सीमा उल्लेखित नहीं की गई है।

To Provide Sewerage Line and Water Supply

179. Dr. Hari Chand Middha : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sewrage amd water supply facilities have not been provided in Durga Colony, New Krishna Colony, Jain Nagar, Ram Colony and New Employees Colony of Jind city; and

[Dr. Hari Chand Middha]

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide abovesaid basic facilities in the abovesaid colonies?

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : (क) व (ख) श्रीमान जी, दुर्गा कॉलोनी व जैन नगर के पुराने क्षेत्र में सीवर लाइन तथा जल आपूर्ति की सुविधा पहले से ही मौजूद है। न्यू कृष्णा कालोनी, राम कालोनी, न्यू एम्प्लाइज कालोनी, दुर्गा कालोनी व जैन नगर की हाल ही में विकसित गलियों में सीवर लाइन तथा जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए एक अनुमान पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

Up-gradation of Schools

187. Shri Kehar Singh : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the schools from 10th to 10+2 of the villages, Manpur, Mandkola, Fulwari, Jaindapur, Nagal Jat, Andhop, Madnaka, Gharrot etc. of Hathin Assembly Constituency under the "Beti Bachao, Beti Padhao" programme; if so, the time by which the abovesaid schools are likely to be upgraded togetherwith the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, राजकीय उच्च विद्यालय, जैंदापुर को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाने की स्वीकृति पहले ही हो चुकी है। अन्य विद्यालयों को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

Expenditure on CID

196 Sh. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state the budgetary allocation for the CID Branch of Police in the State during the year 2012-13 to till date togetherwith the details of the expenditure incurred by the CID Branch of Police during the said period?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

वित्त वर्ष 2002-13 से 2015-16 (26-11-2015) गुप्तचर शाखा को दिये गये बजट के प्रति खर्च का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2002-13 से 2015-16 (26-11-2015 तक) गुप्तचर शाखा को शीर्ष "2055-पुलिस-101-गुप्तचर विभाग और सतर्कता (99)" के अन्तर्गत बजट आवंटन व खर्च का विवरण (रुपये लाख में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		
		बजट आवंटन	खर्च	बजट आवंटन	खर्च	बजट आवंटन	खर्च	वित्त विभाग द्वारा गुप्तचर शाखा व राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो को बजट आवंटन	गुप्तचर शाखा को बजट आवंटित	26-11-15 तक गुप्तचर शाखा द्वारा किया गया खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वेतन	3366.27	3366.27	3823.92	3823.92	5621.64	5621.64	6650.00	5621.64	3821.63
2	मजदूरी	10.06	10.06	13.76	13.76	15.59	15.59	17.80	11.69	11.68
3	मंहगाई भत्ता	1889.91	1889.91	2549.37	2549.37	3564.52	3564.52	4148.54	3951.63	2717.51
4	यात्रा खर्चे	170.17	170.17	281.00	281.00	243.97	243.97	264.00	182.98	138.80
5	कार्यालय खर्चे	73.53	73.53	94.61	94.61	106.14	106.14	127.50	87.46	82.75
6.	किराया दर तथा कर	5.05	5.05	4.17	4.17	4.85	4.85	5.40	5.40	3.17
7.	गुप्त सेवा खर्च	11.54	11.54	35.00	35.00	43.00	43.00	30.00	25.00	19.46
8.	लघु निर्माण कार्य	37.74	37.74	3.56	3.56	5.18	5.18	6.30	6.10	1.07
9.	मोटर वाहन	76.56	76.56	107.84	107.84	88.79	88.79	95.00	59.20	58.38
10.	सामग्री तथा आपूर्ति	31.60	31.60	49.00	49.00	45.82	45.82	60.50	40.00	17.72
11.	अन्य प्रभार	2.60	2.60	6.10	6.10	5.96	5.96	6.30	1.49	0.59
12.	पेट्रोल, तेल और स्नेहक	456.70	456.70	460.18	460.18	440.10	440.10	400.00	186.04	170.68

[Sh. Karan Singh Dalal]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	67.04	67.04	72.97	72.97	84.98	84.98	93.50	79.28	79.91
14.	अनुबंधित सेवा	19.98	19.98	32.17	32.17	53.44	53.44	60.35	39.44	16.70
15.	छुट्टी यात्रा रियासत	50.94	50.94	70.15	70.15	84.98	84.98	93.50	92.43	90.51
16.	अनुग्रह	0.25	0.25	11.34	11.34	14.22	14.22	31.50	16.48	16.47
	योग	6269.94	6269.94	7617.14	7617.14	10422.48	10422.48	12090.19	10406.26	7247.03

Community Centre in Dadri City

207. Shri Rajdeep Phogat : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any Community Centre in Dadri city; if so, the time by which it is likely to be constructed?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी, दादरी शहर में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फतेहाबाद जिले की पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच वाद-विवाद से संबंधित मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल से पहले धान खरीद घोटाले से संबंधित हमारे काम रोको प्रस्ताव के संबंध में एक बहुत ही अहम सवाल पर चर्चा चल रही थी।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट ग्रीवैंसिज की मीटिंग के दौरान स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक महिला ऑफिसर का जो अपमान किया गया है वह बहुत ही निंदनीय है। उस दलित महिला के साथ जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह अनकांस्टीच्यूशनल है और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इनको बिठाएं और इस इश्यू पर बाद में चर्चा करवाएं। (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, किसी और सदस्य ने भी इस इश्यू पर बोलना है तो उसको बुलवा लें क्योंकि मैं अब जवाब देने जा रहा हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता भुक्कल जी, एक एस.पी. डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसके लिए भी क्या आप दलित शब्द इस्तेमाल करेंगी ? एस.पी. एक मजबूत व्यक्तित्व है और पूरा जिला चलाता है। वह इतना बड़ा अधिकारी है उसको आप जाति से क्यों जोड़ रही हैं ? (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक महिला ऑफिसर के साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा दे रही है और महिलाओं का इस तरह अपमान किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, हमें बेटे और बेटियों को नशे से भी बचाना है और क्या मंत्री जी नशे की चीजें बिकने दें ? (विघ्न)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, जब अम्बाला में शैलजा जी को धमकाया जा रहा था उस समय ये कहां थे ? (विघ्न)

श्री अनिल विज : कांग्रेस ने तो समाज में आग लगाने की कसम खा रखी है। जो बात है ही नहीं उस बात को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, -----

श्री अध्यक्ष : गीता भुक्कल जी, आप प्रश्न के लिए प्रश्न कर रही हैं। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं इसलिए आप उनका जवाब धैर्य से सुनें।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी कृपया करके बैठ जायें और माननीय मंत्री जी का इस बारे में जवाब सुनें।

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, please ask the Minister to address the Chair.

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आप कृपया करके बैठ जायें और मंत्री जी को बोलने दें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जो कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य यहां पर विषय उठा रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि किसी भी मुद्दे की आधी-अधूरी जानकारी बहुत नुकसानदेह होती है। बिना किसी भी मुद्दे की पूरी जानकारी के हमें सदन में कोई बात नहीं करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आप इन सभी को बिठाइए। (शोर एवं व्यवधान) ये बिना पूरे मामले को जाने एस.पी. की तरफदारी कर रहे हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, हमें इस मामले की पूरी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपको जो इस बारे में जानकारी मिली है वह सिर्फ इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिली है। आप मंत्री जी का जवाब ध्यान से सुनिए, ये आपको वास्तविक जानकारी देंगे। आप ही तो इस मामले में मंत्री से जवाब की मांग कर रहे हैं लेकिन जब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो आप बिना वजह के खड़े होकर शोर करना शुरू कर देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है, आप जैसे सीनियर सदस्यों को यह शोभा भी नहीं देता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके बैठ जाईये और माननीय मंत्री जी इस बारे में जो अपना जवाब दे रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आप भी कृपया करके बैठ जायें और माननीय मंत्री जी को अपना जवाब देने दें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जब इन्होंने मुझे मैंशन किया है तो मैं ही जवाब दूंगा। लेकिन विचित्र बात देखिए अब ये मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : स्पीकर सर, ये कांग्रेस के साथी अपनी बातें भूल जाते हैं कि इन्होंने अपने दलित सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया ? कुमारी शैलजा का उदाहरण हमारे सामने है जिनको लोक सभा से अपनी सदस्यता छोड़कर राज्य सभा में जाना पड़ा। अब ये पता नहीं किस मुंह से दलितों के हित की बात करते हैं ?

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, जो प्रदेश में धान खरीद के मामले में इतना बड़ा घोटाला हुआ था मैंने उसके बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि पहले उसके ऊपर चर्चा करवाई जाये।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी को इसके लिए सदन में माफी मांगनी चाहिए और इसके साथ ही साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : स्पीकर सर, मैं कांग्रेस के सभी माननीय साथियों के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के एक जाने माने नेता चौधरी ईश्वर सिंह जी ने पानीपत में यह ब्यान दिया है कि हरियाणा प्रदेश के दलितों का जितना उत्पीड़न हुड्डा सरकार के समय में हुआ है उतना किसी सरकार के समय में नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, मंत्री जी अपनी जनहित की ड्यूटी पूरी कर रहे थे। अब वे अपना जवाब देना चाहते हैं तो आप सुनना ही नहीं चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, let me explain. (Interruption)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, सदन का समय इस बात को लेकर बर्बाद किया जा रहा है। हमने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

श्री असीम गोयल : स्पीकर सर, आप गीता जी को बिठाईये क्योंकि ये काफी लम्बे समय से सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब कर रही हैं और मंत्री जी को भी अपना जवाब नहीं देने दे रही हैं। ये सीनियर मैम्बर हैं इसलिए हम इनसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते लेकिन ये तो आपके कहने के बाद भी सदन की कार्यवाही को बराबर डिस्टर्ब कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : असीम जी, आप कृपया करके बैठ जाईए। बहन जी, आप भी बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) बहन जी, विपक्ष के माननीय नेता अपनी बात रख रहे हैं इसलिए आप कृपया करके बैठ जायें और उन्हें अपनी बात कहने दें। आप बार-बार खड़ी होकर इस प्रकार से सदन की कार्यवाही को बाधित न करें। अभय जी, आप बोलिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आज सदन का समय एक बात को लेकर बर्बाद किया जा रहा है। हमने आपको एक काम रोको प्रस्ताव भी दिया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इसी सदन के अंदर जब पिछली कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल था। मैं इन्हीं की सरकार के समय की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे ये सदन का समय खराब करते थे ? ये आज फिर सदन का समय खराब कर रहे हैं। पिछली विधान सभा में वर्तमान में मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार हमारी पार्टी के माननीय सदस्य थे। उस समय स्पीकर की चेयर पर श्री कुलदीप शर्मा जी विराजमान थे और कुलदीप शर्मा जी ने श्री कृष्ण लाल पंवार जी को जातिसूचक गालियां दी। यह बात श्री कृष्ण लाल पंवार जी ने विधान सभा के पिछले सत्र के दौरान यहां पर सदन में रखी थी। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या तब इन लोगों को दलित उत्पीड़न की बात नज़र नहीं आई ? आज हमारे कांग्रेस के साथी भूल गये हैं, आज ये सदन में जो प्रदेश के हित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं करते। आज जो जरूरी है, आज जो नैसेस्टी है और जिस बात को लेकर लोग परेशान हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये बिना मतलब का एक इश्यू लाकर सदन का समय बर्बाद करते हैं और अखबारों की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। हमने धान के इश्यू को लेकर जो काम रोको प्रस्ताव दिया था उस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। उसमें 10 हजार करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है। आप उस पर चर्चा करवाओ। ये बिना मतलब विधान सभा में इस प्रकार की चर्चा करके सदन का समय बर्बाद न करें। ये अपने समय में क्या करते थे उस बात को भूल गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हम हाउस में आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप इस इश्यू पर चर्चा करवाओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हाँ, इस इश्यू पर भी चर्चा करवाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Health Minister (Shri Anil Vij) : Speaker Sir, they are not serious. Let me explain. (Interruption)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(i) श्री कुलदीप शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मैं मानता हूँ कि विपक्ष सदन का महत्वपूर्ण अंग है और लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि विपक्ष के नेता का पद भी एक बहुत गम्भीर पद होता है क्योंकि उनके पास विपक्ष के सारे कामों को करने की जिम्मेदारी होती है। श्री अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि मैंने माननीय श्री कृष्ण लाल पंवार को सदन में गालियाँ दी हैं। अगर यह बात सच है तो आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। आप अभी रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं और जिनका आधा परिवार जेल में बैठा है वे इस प्रकार की बात कह रहे हैं? उन्होंने सदन के सामने *** बोला है। अगर मैंने कोई इस प्रकार की बात कही है तो आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए और अगर मैंने इस प्रकार की बात नहीं कही है तो ये सदन से माफी मांगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो कर जोर-जोर से बोलने लगे और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुये आमने-सामने आ गये।)

श्री अध्यक्ष : मार्शल, कृपया सभी सदस्यों को अपनी-अपनी सीटों पर शान्तिपूर्वक बैठाएं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय मार्शल ने सभी सदस्यों को अपनी-अपनी सीटों पर शान्तिपूर्वक बैठाया)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, *** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, *** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह श्री अभय सिंह चौटाला और श्री कुलदीप शर्मा जी का पूरा घटनाक्रम सदन की कार्यवाही में दर्ज न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

(ii) परिवहन मंत्री (श्री कृष्णलाल पंवार द्वारा)

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है जब पूर्व में श्री कुलदीप शर्मा जी स्पीकर थे उस समय इसी चेयर पर बैठकर इन्होंने मुझे थैट किया था और मैंने इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन चण्डीगढ़ में दरख्वास्त दी थी। (सेम) पिछली बार भी मैंने हाऊस में कहा था कि मेरी जो इस बारे में दरख्वास्त पैंडिंग है उस पर कार्यवाही हो और आज मैं दोबारा फिर अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से रिपीट करता हूं कि मेरी दरख्वास्त यू.टी. पुलिस स्टेशन चण्डीगढ़ में पैंडिंग है अगर हरियाणा में होती तो अब तक कार्यवाही हो जाती लेकिन मैंने चण्डीगढ़ यू.टी. पुलिस स्टेशन में माननीय कुलदीप शर्मा के खिलाफ जो दरख्वास्त दी थी उस पर क्या कार्यवाही हुई उसकी मुझे रिपोर्ट दी जाए और फर्दर कार्यवाही की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको यह जानकारी है कि यह हाऊस से रिलेटिड मामले हैं उसमें पुलिस कुछ नहीं करेगी।

श्री कुलदीप शर्मा : अगर यू.टी. पुलिस कार्यवाही करे तो करवा लो लेकिन अगर इनकी बात **** पाई गई तो --- (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : **** इस शब्द को रिकॉर्ड न किया जाए।

फतेहाबाद जिले की पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच वाद-विवाद से संबंधित मामला (पुनरारम्भ)

श्रीमती संतोष चौहान सारवान : माननीय स्पीकर महोदय, मै सदन का ध्यान दो महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ दिलाना चाहती हूँ जो कांग्रेस के राज में दलितों के विरोध में हुई। पहली घटना कांग्रेस पार्टी के राज में गोहाना में हुई जिसमें एक दलित संजय लारा की दर्दनाक मौत हुई जिसकी शादी को हुए केवल तीन महीने हुए थे और उसको घसीट-घसीट कर मारा गया था परन्तु तत्कालीन सरकार ने उस बारे में कोई कदम नहीं उठाया था। दूसरी घटना मिर्चपुर गाँव के दलितों के खिलाफ हुई और उस समय भी ये तथाकथित सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के हरिजन

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

लीडर तत्कालीन सरकार के समय मौजूद थे लेकिन इनमें से किसी ने भी वहां जाकर उन दलितों के साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। (सेम-सेम-सेम) एक 16 साल की अपंग बाल्मिकी लड़की को जिन्दा जला दिया गया और उसके पिता तारा चन्द को भी जिन्दा जला दिया गया उनकी लाश के पास मैं चार दिन तक बैठी रही और मैंने जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। आज भी वे दलित लोग तंवर के घर कैम्बरी में बैठे हैं इन्होंने उनको गांव में लौटने नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी के तथाकथित दलित नेताओं ने मिर्चपुर में जाने तक की हिम्मत नहीं की और उन लोगों के आंसू नहीं पोंछे और आज ये दलितों के हित की बात करते हैं। एक ऑफिसर का तबादला कोई पनिशमैन्ट नहीं है। एक ऑफिसर का तबादला सरकार कहीं भी कर सकती है। यह सरकार का एक्शन है। वह महिला आई.पी.एस. अधिकारी थी और आई.पी.एस. ही रहेगी लेकिन एक आई.पी.एस. अधिकारी का एक मंत्री जी से बोलने का किस प्रकार का तरीका था उसके आधार पर ही सरकार ने उस हिसाब से एक्शन लिया है।

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, यू.टी. पुलिस को आदेश दिया जाए और मेरे खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो उस पर एक्शन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, सदन में घटी हुई किसी भी घटना के बारे में कोई केस दर्ज नहीं किया जाता।

श्रीमती सन्तोष चौहान सारवान : अध्यक्ष महोदय, गोहाना में लोगों ने बिड़ला मन्दिर में जाकर शरण ली थी और उनको खाने के लिए रोटी भी नहीं थी और उनके रहने का भी कोई इन्तजाम नहीं था। मैंने वहां के लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों के लिए खाने के लिए रोटी मुहैय्या करवाई। उस समय कांग्रेस पार्टी के दलित नेता कहां थे वे उस समय वहां पर क्यों नहीं गये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी अपनी बात कहना चाहेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, बिना तथ्यों की जानकारी के कोई बात कहना यह जनरल इन्साफ के विरूद्ध बात है। यहां सदन में उपस्थित जितने भी लोग हैं उस घटना का चशमदीद मैं अकेला ही हूं इनमें से कोई नहीं है। इन लोगों को जो जानकारी मिली है वह केवल ड्रग और लिक्कर माफिया ने दी है और उसके अनुसार ये जानकारी दे रहे हैं।

श्री कुलदीप शर्मा : उस अधिकारी ने यह कहा है कि सरकार की मर्जी से शराब बिक रही है आप यह बतायें कि सरकार कौन है ?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं फतेहाबाद ग्रीवेंसिज कमेटी का चेयरमैन हूं। मैं हर महीने ग्रीवेंसिज कमेटी की मीटिंग में वहां पर जाता हूं और वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करने का मुझ पर पूरा दायित्व है। फतेहाबाद जिला शराब और ड्रग्स से ग्रसित जिला है। पंजाब की सीमा के साथ सटा हुआ जिला है। इस बारे में हर महीने मुझे वहां के लोग शिकायतें लेकर आते हैं और उन शिकायतों के अनुसार मैं वहां के अधिकारियों को हिदायत भी देता हूं। जिस दिन की यह घटना है उस दिन मेरे पास एजेन्डे में नम्बर दस पर लिखी हुई एक शिकायत आई। वह शिकायत एजेन्डे की आईटम थी उस शिकायत में उन्होंने यह कहा कि हम एक एन.जी.ओ. हैं सामाजिक सेवाओं की संस्था है। हम ड्रग्स और लिक्कर माफिया के खिलाफ

[श्री अनिल विज]

काम करते हैं लेकिन पुलिस हमारी सहायता नहीं करती और उल्टे हमें धमकाया जाता है। क्योंकि यह लिक्कर का मामला था मैंने उसी समय कहा कि एक एक्साईज विभाग का आदमी, एक स्वास्थ्य विभाग का आदमी और एक पुलिस का आदमी तीनों मिलकर जहां-जहां यह धन्धा होता है वहां पर रेड्स मारें। मैंने तो सिर्फ यह सुझाव दिया था और जैसे ही मैंने यह सुझाव दिया तो वहां की एस.पी. महोदया एक दम से जो कम्पलेंनैंट था उस पर टूट पड़ी और कहा कि यहां पर 16.00 बजे आप शिकायत लेकर क्यों आये हो ? यह बात सारे मीडिया से छुपाई गई है कि आखिर यह बात कहाँ से शुरू हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस विषय में मेरी पूरी बात सुनने के बाद यह सदन फैसला करे। मैं वहाँ पर लोगों की शिकायतें सुनने के लिए गया था तथा जो लोग वहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं तथा केवल पुलिस की बात ही सुनी जाती है। इतना ही नहीं मेरे सामने ही उन शिकायतकर्त्ताओं को धमकाया गया तथा उनको कहा गया कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई ? यही बात उस मामले की जड़ है। मैंने उनको कहा कि Madam, I am the Chairman of this meeting. मैंने उनको यह भी कहा कि यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर कोई भी आ सकता है तथा उनकी यह शिकायत आज के एजैण्डे में आईटम नं.10 पर लिस्टिड है। आप रिकार्ड मँगवाकर देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब एजैण्डे में रखी गई शिकायतें सुन ली जाती हैं तो हम उस मीटिंग में बिना एजैण्डे वाली आईटम्ज़ भी सुनते हैं। यदि एक जिले का एस.पी. लोगों को धमकाएगा कि तुम यहाँ पर शिकायत लेकर कैसे आए हो तो फिर आप ही बताएं कि जनता और सरकार के बीच में क्या रास्ता होगा ? (शोर एवं व्यवधान) Please let me speak. (Interruption) Mr. Karan Dalal, please let me speak. (Interruption) I am speaking. (Interruption) I have not interrupted you. I have not interrupted anybody. (Interruption) Please let me speak.

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन गीता भुक्कल जी, पहले आप माननीय मंत्री श्री अनिल विज को अपनी बात कम्पलीट कर लेने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, विज साहब मुझे धमका रहे हैं। आप कृपया इनको कहें कि मैं संगीता कालिया नहीं हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे खूंखार आदमी को कैसे धमका सकता हूँ ? (हँसी)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन गीता भुक्कल जी, पहले आप माननीय मंत्री जी की पूरी बात सुन लें उसके बाद आप अपनी बात कह लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती गीता भुक्कल जी, बार-बार इंट्रप्ट करके सदन का समय बर्बाद कर रही हैं। (शोर एवं व्यवधान) Please let me say. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : बहन गीता भुक्कल जी, आप बताएं कि आप वहाँ पर पब्लिक के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे अथवा किसी और के ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं इस सदन में 90 के 90 माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दूँगा। (विघ्न) चलो एक को छोड़ दो। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दूँगा। मैं सदन को बीच में छोड़कर नहीं जाऊँगा। (शोर एवं व्यवधान) Let me speak.

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी एक एस.पी. के सामने तो मैदान छोड़कर आ गए थे तथा यहाँ पर कह रहे हैं कि वे सदन को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। (हँसी)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मर्यादा में रहकर व्यवहार किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे धैर्य से माननीय मंत्री महोदय का जवाब सुन लें तथा साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से भी एक आश्वासन चाहता हूँ कि जब तक वे अपनी बात पूरी न कर लें, वे सदन को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। (हंसी)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय हम पर तो हुक्म चलाते हैं तथा एक एस.पी. के सामने मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ये कह हैं कि माननीय मंत्री महोदय एस.पी. के सामने मैदान छोड़कर चले गए, दूसरी तरफ एक महिला के उत्पीड़न की बात भी कर रहे हैं। इनके ब्यान विरोधाभासी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है जिसकी मैं सदन को जानकारी दे रहा हूँ तथा जो सदस्य बायस्ड नहीं होगा, यह बात उसकी समझ में आ भी जाएगी। (विघ्न) उसका कोई ईलाज नहीं है। (हँसी) अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैंने एस.पी. मैडम को कहा कि आप इन लोगों को क्यों धमका रहे हो ? हमारे पास तो कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आ सकता है। यदि आप मेरे सामने ही इन लोगों को धमका रही हैं तो उनका जो एलिगेशन है आप उसको सिद्ध कर रही हैं अर्थात् आप यह सिद्ध कर रही हैं कि पुलिस उनको धमकाती है। हमारे पास एक आदमी अपनी शिकायत लेकर आया और उसने कहा कि वे अपनी जान हथेली पर रखकर ड्रग्ज़ और वाईन के खिलाफ अभियान चलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे ज्यादा चिंता उस एन.जी.ओ. की हुई जो इस प्रकार के अभियान चलाती है। एस.पी. श्रीमती संगीता कालिया की उस दिन की कार्रवाई से उन सभी तमाम लोगों के हौंसले पस्त हो गए होंगे जो नशे के व्यापार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं। जो लिकर का कारोबार करते हैं, वे इनकरेज हो गए होंगे और कहते होंगे कि कर लो हमारी शिकायत क्योंकि एस.पी. ने भरे दरबार में उन एन.जी.ओज. को धमका दिया। (विघ्न) इस बात पर सारी तकरार हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को मिलाकर 89 के 89 विधायकों को पूछना चाहता हूं कि should I not watch the interest of the complainants ?(विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का काम लोगों की रक्षा करना है लेकिन ये एक एस.पी. के सामने क्यों भाग गए? (विघ्न)

श्री अनिल विज : दलाल साहब, आप आंखें बंद करके क्यों देखते हो बल्कि आंखें खोलकर सारी बात देखो। (विघ्न) आप पूरी बात तो सुन लें। अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं उस वीडियो को यहां दिखाना चाहता हूं जो वीडियो सभी जगह दिखाई जा रही है। (विघ्न) सारी वीडियो सबने नहीं देखी। मैं शुरू का पार्ट दिखाना चाहता हूं जहां उन एन.जी.ओज. को धमकाया जा रहा है। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : मंत्री जी, वह वीडियो तो सबने देख ली है।

श्री अनिज विज : नहीं, उस वीडियो का जो शुरू का पार्ट है वह मैं यहां दिखाना चाहता हूं। उस वीडियो के शुरू के पार्ट में जहां उन एन.जी.ओज. को धमकाया जा रहा है उसे मैं यहां दिखाना चाहता हूं। एन.जी.ओज. को धमकाने के लिए उस एस.पी. के अगेन्स्ट मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक एस.पी. के सामने क्यों भाग गए। (विघ्न)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, ये सुनने की हिम्मत तो रखें। ये मंत्री जी को भगोड़ा कैसे कह सकते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप इस मामले को जनहित के लिए नहीं उठा रहे हैं और आपकी बात जनहित के खिलाफ है। मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं वह जनहित में हैं। मंत्री जी का झगड़ा जनहित के लिए है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, -----

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण, राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : गीता भुक्कल जी आप 5 साल तक ईश्वर सिंह जी का और शैलजा जी का विरोध करती रही हैं और आज ईश्वर सिंह की फेवर कर रही हैं। राजपाल भूखड़ी और नरेश सेलवाल जी 5 साल तक रोते रहे लेकिन आपने उनकी कोई बात नहीं सुनी। आज आपको दलितों की याद आ रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बहुत गम्भीर बात चल रही है इसलिए आप सब ध्यान से मंत्री जी की बात सुनें। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने एक मिनट भी बोलने की परमिशन नहीं दी है। मैं जो भी बोल रही हूं जबरदस्ती बोल रही हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता भुक्कल जी, आप पूरा जवाब सुनकर अपना प्रश्न पूछना।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सबकी बात का जवाब देकर जाऊंगा। बहन जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा और आप धर्म और ईमान से इस मामले में फैसला करना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अनिल विज जी तो मुख्यमंत्री बनने का सपना ले रहे हैं। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो सपने ही नहीं आते इनको कैसे लग रहा है कि मैं सपने देखता हूं। (विघ्न) अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक मिनट की यह वीडियो यहां दिखाना चाहता हूं ताकि सारी बात स्पष्ट हो जाए। हालांकि यह वीडियो शुरू से नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, इस वीडियो को सुनाने के लिए हाउस में बड़ी स्क्रीन लगवाई जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माइक पर आवाज आ जाएगी और आप चाहेंगे तो कल स्क्रीन लगाकर दिखा देंगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यदि कोई माननीय साथी यह वीडियो लेना चाहेगा तो मैं उसको यह वीडियो दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

श्री सुभाष बराला : स्पीकर सर, दलाल साहब को सुनने का माद्दा भी रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आप कृपया करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी के बारे में भी मुझे पूरी जानकारी है। (शोर एवं व्यवधान) Speaker Sir, through you I would like to say Shri Karan Singh Dalal that he should behave like an Hon'ble Member. (Interruption) He doesn't know the manners of an Hon'ble Member. इनको एक माननीय सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इन्हें एक मैंबर के मैनर्ज़ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने सभी को इस प्रकार से धमकाने का कौन सा अधिकार आपसे प्राप्त किया है। जिसके कारण ये किसी को भी जब मर्जी धमका सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी कृपया करके बैठ जाये। सदन के माननीय नेता अपनी बात कहना चाहते हैं इसलिए उन्हें बोलने दें।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं यहां पर एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जैसे ही इस सरकार ने पहला सत्र बुलाया था तो हमने उस समय यह बात यहां पर रखी थी कि सत्र की अवधि को जितनी भी ज्यादा से ज्यादा आपसी सहमति से बढ़ाया जा सके हम उतनी बढ़ाने की हरसम्भव कोशिश करेंगे। उस समय मैंने बहुत से प्रदेशों के उदाहरण भी यहां पर रखे थे। उस समय यह बात भी सामने आई थी कि हमारे हरियाणा प्रदेश के विधान सभा सत्रों की संख्या दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम होती है। शायद औसतन

[श्री मनोहर लाल]

हमारे विधान सभा सत्रों की संख्या 13 आती थी। एक तरफ गुजरात जैसा प्रदेश भी है जो साल में विधान सभा सत्रों की 43 सिटिंग्स करता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे प्रदेश भी हैं जिन्होंने अपने विधान सभा सत्रों की मिनीमम सिटिंग्स की संख्या 35 रखी हुई है। इस बारे में हमारे पड़ोसी प्रदेश हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया जा सकता है। यह भी मैं मानता हूं कि यह सभी प्रदेशों का अपना-अपना मामला है। इससे पहले जो हमारा सितम्बर सैशन था उस समय सैशन का समय बढ़ाने की बात यहां पर आई थी तो हमने यह कहा था कि हम विधान सभा का साल का तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र भी बुला सकते हैं और संयोग से आज यह हमने तीसरा सत्र बुलाया है। इस बारे में मीडिया और बाकी लोगों की काफी प्रतिक्रियायें आई कि आपने जो कहा उसको पूरा किया। हमने रिकार्ड देखा है कि वर्ष 1992 में इस प्रथा को बंद किया गया है। उससे पहले हरियाणा की विधान सभा के वर्ष में तीन सत्र होते थे। हमने इस बार से हरियाणा की विधान सभा का तीसरा सत्र लागू किया है इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन के सभी सदस्य इस बारे में अपनी सहमति दें जिससे हम इसको भविष्य के लिए भी कंटीन्यू कर सकें। हम यही चाहते हैं कि हम सभी आपसी सहमति से विधान सभा के एक वर्ष में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन इस प्रकार से तीन सत्र बुलायें। मेरी सभी माननीय सदस्यों से यही अपेक्षा कि हमारे सभी माननीय सदस्य इस समय का सही उपयोग करेंगे और पूरे प्रदेश के सभी वर्गों की सभी समस्याओं को दूर करने में सरकार का सहयोग करेंगे न कि यहां पर किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इससे न केवल सदन का कीमती समय बर्बाद होगा अपितु पूरे प्रदेश का सभी प्रकार से नुकसान होगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, जो हमने स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किये गये दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, माननीय सदस्या बिना आपकी परमिशन के खड़ी होकर बोलना शुरू कर देती हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जैसा कि सदन के माननीय नेता अपनी बात कह रहे हैं ये अब भी बीच में खड़ी होकर सदन की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से बाधित करने की कोशिश कर रही हैं। आप इन्हें बैठने के लिए कहें।

कैप्टन अभिमन्यु : स्पीकर सर, माननीय सदस्यों का यह आचरण पूरी तरह से अनुचित है। आपको इनको इसके लिए चेतावनी देनी चाहिए और अगर ये फिर भी नहीं मानती हैं तो आपको इनको हाउस से बाहर निकाल देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप कृपया करके बैठ जायें और सदन के माननीय नेता को अपनी बात पूरी करने दें।

श्री मनोहर लाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी सभी बातें यहां पर तर्क के साथ बताऊंगा और बिना तर्क के मैं यहां पर कोई बात नहीं करूंगा। मैं यह मानता हूं कि यह बात ठीक है कि जनता में और समाज में बहुत तरह की समस्यायें हैं। अलग-अलग वर्गों की भी समस्यायें होती हैं। समाज में भी सभी तरह की घटनायें और दुर्घटनायें होती रहती हैं। उनमें कोई न कोई दोषी भी होता है। समाज में जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलवाने और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको

न्याय दिलवाने का भी एक प्लेटफॉर्म होता है। हमारी विधान सभा का यह सदन भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है यहां पर भी माननीय सदस्यों को इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के ध्यान में लाना चाहिए लेकिन जब यहां पर किसी विषय को कोई विशेष एंगल देकर बात की जाती है तो उससे हमें बड़ा कष्ट होता है। इसी प्रकार से यहां पर एक महिला आई.पी.एस. अधिकारी का विषय उठाया गया। मैं यह समझता हूं कि आई.पी.एस. और आई.ए.एस. के अधिकारी यहां तक कि हमारे माननीय सदस्य भी इतने उँचें लैवल के होते हैं कि अगर इनको किसी वर्ग विशेष या जैंडर के साथ जोड़कर देखा जायेगा तो इससे हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को इतनी हानि पहुंचा देंगे कि वह पूरी तरह से बिगड़ जायेगी। अगर हम किसी आई.पी.एस. अधिकारी को किसी कास्ट के साथ जोड़कर न्याय और अन्याय का फैसला करेंगे यह बात मैं इस सदन में कह रहा हूं कि यह बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण हो जायेगा। इसी प्रकार से अगर हम किसी भी आई.पी.एस. या आई.ए.एस. अधिकारी के जैण्डर को दृष्टि में रखकर उसके न्याय और अन्याय की बात करेंगे तो यह पूरी तरह से अनुचित हो जायेगा। मैं यह बात भी मानता हूं कि हमारे समाज में इस प्रकार के विषय होते हैं और कभी-कभी कास्ट के खिलाफ भी कोई बात हो जाती है कि किसी के द्वारा किसी को कोई जातिसूचक शब्द कह दिया गया हो। यह बात समझ में आती है कि वह शब्द कास्ट के कारण से कहा गया होगा। इसी प्रकार से किसी के द्वारा किसी के प्रति जैंडर सूचक शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया हो यह बात समझ में आती है लेकिन जब यहां पर एक शुद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल पर बात हो रही है। एक ग्रिवैंसिज़ कमेटी की मीटिंग हो रही है और मीटिंग में जो मंत्री उस कमेटी का इंचार्ज़ है वह उसका चेयरमैन है और उस चेयरमैन के नाते एग्जिक्यूटिव की एक व्यवस्था है और उस एग्जिक्यूटिव की व्यवस्था में यदि हमने मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो हम उस सिस्टम को चला नहीं पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन का ही उदाहरण ले लीजिए। आज यह सदन आपके नेतृत्व में चल रहा है, तो आपकी आज्ञा का पालन होना ही होना चाहिए। अगर यहाँ कोई यह कहे कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप क्या करेंगे, आखिर आप मार्शल को बुलायेंगे और मार्शल उनको उठा कर बाहर फेंक देंगे। यह नियम हर किसी पर लागू होता है। इसी प्रकार जो कोई भी संस्था होती है उसको चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है। वह व्यवस्था स्थाई भी होती है और अस्थाई भी होती है। कभी-कभी स्थाई चेयरमैन नहीं होता तो हम एक सिटिंग के लिए अस्थाई चेयरमैन बना लेते हैं, वह हम क्यों बनाते हैं? वह हम इसलिए बनाते हैं कि चेयर का एक सिस्टम है और वह उसी सिस्टम से चलनी चाहिए। मैंने भी वह वीडियो देखी है और जब यह वाद-विवाद हुआ तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। इस वाद-विवाद में किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है इस बात पर शायद बहस हो सकती है कि वाद-विवाद कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया। अन्ततोगत्वा जब चेयरमैन के सामने विवाद आता है तो चेयरमैन की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए, यह मेरा निश्चित मत है। अगर इन्होंने कह भी दिया, गलत कहा, ठीक कहा मैं उसमें नहीं जाऊंगा और एक आई.पी.एस. अधिकारी ने मंत्री जी की बात नहीं मानी तो यह मंत्री जी की शालीनता है कि वे विवाद को खत्म करने के लिए स्वयं उठ कर चले गये। यह मंत्री जी की शालीनता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि एक महिला का सम्मान होना चाहिए। एक तो वह महिला है और ऊपर से दलित भी है। मंत्री जी उसको धमका कर आये थे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने दलित महिला कहा है और इससे पहले यह भी कहा कि दलित महिला पर अत्याचार हुआ है। कभी कह रही हैं कि मंत्री जी भगोड़े बन कर आये हैं। ये खुद ही कन्फ्यूज्ड हैं। इन्होंने यह गलत विषय छेड़ दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आप दलित को भी छोड़ दीजिए लेकिन एक महिला का तो सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, एक महिला अधिकारी को मंत्री जी ने धमकाया और जब बात आपके पास आई तो आपने उस महिला अधिकारी का तबादला ही कर दिया जिसके लिए सारा देश निन्दा कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो बात मैंने कही है माननीय सदस्या भी उसी बात को दोहरा रही हैं। मेरा यह निवेदन है कि जो एक आई.पी.एस. या आई.ए.एस. अधिकारी है उसको दलित के नाते या महिला या पुरूष के नाते जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए यदि हमें चर्चा भी करनी हो तो उस घटनाक्रम की चर्चा तो शायद कर सकते हैं लेकिन अगर हम अपने अधिकारियों को या अपने लैजिस्लेटिव के विषय को उस रूप में बांट बैठेंगे तो यह जो नुकसान आज तक होता रहा है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि होता रहा है, यह आगे और बढ़ सकता है, इसको घटाना चाहिए। मैंने यहाँ सदन में भी कहा है और पब्लिक में भी कहता हूँ कि ये जो हमारे प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार की जातिगत चर्चाएं होती हैं उससे समाज बंटता है, जुड़ता नहीं है। जातियाँ हमेशा रहेंगी जातियाँ खत्म होने वाली नहीं हैं लेकिन ऐसे विवादों को रोकने के लिए जातियों का सन्दर्भ, जितना उसका उपयोग हो वहीं तक करना चाहिए। अगर हम जातियों के आधार पर समाज को बांट कर खड़ा करेंगे तो वह गलत है। मैंने एक नारा भी दिया था कि "हरियाणा एक-हरियाणवी एक" हरियाणा एक है और हम सब हरियाणवी एक हो कर आगे चलेंगे। इस नारे को मैंने इसीलिए दिया था कि सामाजिक एकता बनी रहे। इन बातों को लोग सदन से बाहर भी उठाते है, तो सदन के बाहर ही उठायें। राजनीतिक चर्चाएं, मंच पर चर्चाएं, सभाओं में, भाषणों में कही गई बातों का जवाब वहीं पर दिया जा सकता है। मेरा निवेदन यही है कि इस प्रकार की बात सदन में न कही जाये क्योंकि यहाँ कही गई बात का एक मैसेज जाता है। वह मैसेज प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और कभी-कभी तो विदेश में बैठे लोग भी देख लेते हैं। हम करोड़ों लोगों की आंखों के सामने बैठे हैं और जब करोड़ों लोगों के सामने बैठे हैं तो वही बात कही जाये जो अपने हरियाणा को ऊंचे स्थान पर ले जाये। हरियाणा का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इस गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुये हमें हरियाणा का स्थान देश में, दुनिया में बढ़ाना है। इस सदन में जो चर्चा होती है उसी में से ही हमारा स्थान बनेगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इन चीजों को जातिगत सन्दर्भ में न ले जायें। अगर चर्चा करनी है तो घटना की करेंगे, एग्जिक्यूटिव की करेंगे या लैजिस्लेटिव की करेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल और आई.पी.एस./आई.ए.एस. अधिकारी, ये सभी एग्जिक्यूटिव के हिस्से हैं और एग्जिक्यूटिव के हिस्से पर, व्यवहार पर चर्चा करने का लैजिस्लेटिव को अधिकार है, वह कर सकती है। लेकिन जब एग्जिक्यूटिव पर फैसले लेने होते हैं तो एग्जिक्यूटिव में मौके के ऊपर जो प्रमुख होगा उसको फैसला लेना पड़ेगा। हमने उस आई.पी.एस. अधिकारी का ट्रांसफर किया है लेकिन ट्रांसफर करके उसे कोई सजा नहीं दी है। किसी भी आई.ए.एस., आई.पी.एस., या किसी अधिकारी का ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी

और मौके के हिसाब से भी जहां ट्रांसफर करना उचित लगता है वहां किया जाता है और वही हमने किया है उसमें कहीं कोई पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में सारी बात स्पष्ट कर दी हैं लेकिन फिर भी आप शॉर्ट में अपनी बात कह लें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी एक-दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वह बहुत अच्छा कहा है। मैं एक दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि (शोर एवं व्यवधान)

पंजाब के भूतपूर्व मंत्री तथा हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब के पूर्व मंत्री माननीय पण्डित मोहन लाल जी और हरियाणा विधान सभा के पूर्व विधायक श्री दुर्गादत्त अत्री आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन में विराजमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं।

फतेहाबाद जिले की पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच वाद-विवाद से संबंधित मामला (पुनरारम्भ)

श्री अनिल विज : सर, जो एक-दो बातें सदन में उठाई जा चुकी हैं मैं उनका केवल स्पष्टीकरण दूंगा इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। सर, पहली बात तो यह है कि वहां पर जाति सूचक के बारे में कोई बात नहीं हुई यह बात रिकार्डिड हैं दलित तो उस एस.पी. को लोगों ने बनाया है। मैं तो उनको ब्राह्मण मानता था क्योंकि कालिया तो ब्राह्मण होते हैं। इसके बारे में मुझे नहीं पता था। दूसरी बात यह है कि जब एस.पी. ने यह कहा कि हम इसको नहीं रोक सकते और मैं क्या उनको गोली मार दूं। तीसरी बात यह थी कि वह एस.पी. उन एन.जी.ओज को धमका रही थी। मैं एस.पी. की गैर मौजूदगी में शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनना चाहता था। इसलिए मैंने उनको कहा कि आप बाहर चली जाईये। ये ठीक है कि मैंने उनको बाहर जाने के लिए एक बार हिन्दी में कहा और एक बार अंग्रेजी में कह दिया। हिन्दी में कहना इनको हजम हो जाता है और अंग्रेजी में कहना इनको हजम नहीं हुआ। बस इतनी सी बात है मैंने उनको कहा कि आप बाहर चले जाओ। मैं शिकायतकर्ताओं की बात अकेले में सुनना चाहता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि वह उनको धमका रही थी। सर, जब वह नहीं मानी then I adjourned the meeting और मैं वहां से आ गया। मैं भाग कर नहीं आया। मैं मीटिंग ऐडजर्न करके आया हूँ। मैं वहां पर किसी प्रकार का झगड़ा करना नहीं चाहता था। मैंने डी.जी.पी. महोदय को पत्र लिखा जिसमें मैंने एस.पी. के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं लिखा। मैंने डी.जी.पी. महोदय को यह लिखा कि मुझे चिन्ता हो रही है उस एन.जी.ओ. की जो सरकार से मदद मांगने आया था और उसको मदद न देकर के उल्टा उसको वहां पर धमकाया गया था तो आप कृपा करके उसकी सुरक्षा की हिफाजत करें क्योंकि हो सकता है कि जो —

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कालिया पण्डित होते हैं जब इनको यह पता लग गया था तो फिर इन्होंने ब्राह्मणों की कितनी इज्जत की है।

श्री अनिल विज : सरदार जी, ऐसी कोई गल नहीं हुई ना जाति-पाति दी और ना जैंडर दी जे कोई मंत्री कहीं जाता है तो वह गल ओदे नाल ही करेगा जेड़ा ओथे एस.पी. है। ओदा जैंडर की है, वह मैटर नहीं करता। मुझे तो पता भी नहीं था कि ओदी जाति की है। सरदार जी, सुन लो मंत्री को पूरा अधिकार है किसी ऑफिसर को कहे कि आप मीटिंग से बाहर चले जाओ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : क्या आपने उनको गाली नहीं निकाली ?

श्री अनिल विज : नहीं मैंने कोई गाली नहीं निकाली। आप कह रहे हैं तो आप बताईये कि कौन सी गाली निकाली।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, गाली कढने में भी आपनू संयम रखना चाहिए। जब मंत्री ही ऐसी बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप कल यहां पर एक टी.वी. लगाईये और इनको वह विडियो दिखाईये क्योंकि यह सुनी सुनाई बातें करते हैं मैंने एक शब्द भी उनको अपमानजनक नहीं कहे।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला ब्यूरोक्रेसी का है। मैं सदन के सदस्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या किसी ब्यूरोक्रेट्स की जाति का कोई नाम है क्या किसी को यह पता है कि किसी जाति का डी.सी. और किस जाति का एस.पी. कहां पर लगा हुआ है। मैं यह बात भी सदन में बताना चाहता हूं कि श्री अनिल विज साहब के बारे में जो विडियो क्लिप है वह सदन में दिखानी चाहिए। शुरूआत में जो बात सामने आई है वह यह है कि किसी एस.पी. को यह अधिकार नहीं है कि कोई जनता का आदमी ग्रीवेन्सिज कमेटी के चेयरमैन के पास जाए और एस.पी. उस आदमी को यह कहे कि आप यहां पर क्या लेने आये हो। यह गलत बात है बल्कि सदन को इस बात की निन्दा करनी चाहिए। अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस समाज को, इस प्रदेश को जात-पात के नाम से जो बांटने जा रहे हो इसके लिए यह सदन दोषी माना जायेगा। आज यह देखना है कि लैजिसलेशन का क्या काम है, कौन लैजिसलेशन चलायेगा, कौन एग्जीक्यूशन का काम करेगा ? हम इस सदन में बैठे हैं। पिछले साल से जात-पात का प्रदेश में एक ड्रामा हुआ है। कभी वहां पर दलित के साथ अन्याय हो रहा है, कभी दबंगों ने दलित के साथ यह कर दिया। कहीं वहां पर ओ.बी.सी. ने यह कर दिया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि यह जो जात-पात का मामला किसी भी दल का सदस्य सदन में उठाता है तो उसे सारे सदन को कन्डम करना चाहिए। एक विधायक की कोई जाति नहीं होती क्योंकि वह 36 बिरादरी की वोटों से विधायक बनता है, एक अधिकारी की कोई जाति नहीं होती। आज कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी झण्डा उठाकर ओ.बी.सी. की बात करता है, कभी कोई किसी की बात करता है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर वह ग्रेवेन्सिज कमेटी का मामला है। अगर आम जनता ग्रेवेन्सिज कमेटी के चेयरमैन के सामने अपनी शिकायत लेकर आयेगी और उनको अगर धमकाया जायेगा तो यह बहुत

गलत बात है। वक्त बे वक्त कुछ ऐसे अधिकारी हुए हैं जिनके बारे में अखबारों में पढ़ते हैं कि ऐसे अधिकारी किसी विधायक का टेलीफोन तक नहीं उठाते। अगर इसी तरीके से जात-पात के नाम से और जैण्डर के नाम से इस प्रकार की छूट ब्यूरोक्रेसी को दी जायेगी तो प्रजातंत्र प्रणाली का हनन होगा और प्रदेश में तानाशाही दोबारा से शुरू हो जायेगी। आज इसमें क्या बुरी बात है। अगर मंत्री किसी एस.पी. को अपमानित करता है तो एस.पी. इस बारे में कम्पलेंट करे उसे कौन रोकता है। यह बात आज नहीं है इससे पहले भी श्री ओ.पी. सिंह जीन्द के एस.पी. होते थे उन्होंने श्री मांगे राम गुप्ता जी जो इस सदन के अभी सदस्य नहीं हैं उनको और हमारे को उस एस.पी. ने अपमानित किया था और उस एस.पी. के खिलाफ इस हाउस में प्रिविलेज मोशन लाये थे उस समय चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे तब उस एस.पी. ने सदन से माफी मांगी थी। इसलिए आज जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का व्यवहार है उस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। अगर माननीय सदस्य एक तरफ की बात करेंगे तो यह बात उनके लिए ठीक नहीं रहेगी। अगर कोई ब्यूरोक्रेट गलत है तो उसकी बात को गलत कहो। अगर कोई मंत्री गलत है तो उसकी बात को गलत कहो। लेकिन यह नहीं कि वह दलित है हम दलितों का सम्मान करते हैं। लेकिन एस.पी. तो एस.पी. है क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन का काम है। आप यह बताईये कि फिर अपराधियों को कौन रोकेगा वह तो पुलिस ही रोकेगी। इसके लिए मंत्री तो आदेश देगा ही। इसलिए इस प्रकार की बातों को रूकवाओ और इस तरह की बात रोको।

विभिन्न मामलों का उठाना

जय प्रकाश : सर, पानी के बारे में मेरे दो कालिंग अटैंशन मोशन हैं उनको आप स्वीकार करो क्योंकि पानी से पीलिये का प्रकोप पूरे इलाके में फैल रहा है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने दो एडजर्न मोशन दे रखे हैं। जिसमें एक पैडी स्कैम के बारे में है इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, आपने दो एडजर्नमैंट मोशन दे रखे हैं एक सफेद मक्खी के बारे में हैं और एक पैडी स्कैम के बारे में है उनको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कन्वर्ट कर दिया है। आप पहले सफेद मक्खी वाले पर चर्चा कर लें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने पैडी स्कैम के बारे में एडजर्नमैंट मोशन दिया था उसको भी आपने कालिंग अटैंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप पहले सफेद मक्खी वाले प्रस्ताव पर चर्चा कर लें दूसरे पर बाद में चर्चा कर लेना।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पहले पैडी के स्कैम के बारे में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इस स्कैम में करोड़ों रूपयों का गबन हुआ है। यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने एक काम रोको प्रस्ताव दिया था। (शोर एवं व्यवधान) आपने स्वयं यह बात सदन में कही थी कि आप इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष : हाँ, मैंने कहा था कि आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करवाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि पहले काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बाद में टेक-अप किया जाए।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैंने आपके विषय को तथा एक दूसरे विषय, दोनों विषयों को ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में कन्वर्ट कर दिया है जिन पर मैंने चर्चा कराने की बात कही थी, मैं फिर कहता हूँ कि आपके विषय पर हम चर्चा अवश्य करवाएंगे लेकिन पहले इस विषय पर चर्चा करवा लेते हैं उसके बाद दूसरे विषय पर चर्चा करवा लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ठीक है आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तो चर्चा अवश्य करवाएं लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि पहले हमारे काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाएं। (शोर एवं व्यवधान) धान की खरीद के बहुत बड़े घोटाले के मामले में हमने आपको एक काम रोको प्रस्ताव दिया है। मैंने इस बारे में पहले भी आपसे प्रार्थना की थी उस समय आपने कहा था कि आप शून्यकाल के दौरान इस पर चर्चा का समय देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप पूरी तैयारी करके तसल्लीबख्श अपना विषय रख लेना, मैं आपको चर्चा के लिए पूरा समय दूँगा, आप चिंता न करे लेकिन अभी आप कालिंग अंटेशन मोशन पर चर्चा होने दें। (शोर एवं व्यवधान) हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा तारांकित प्रश्न क्र.सं.959 पर एक प्रश्न लगा हुआ था जिसका जवाब नहीं आया है। माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे कि मेवात जिले में पंचायत विभाग में पिछले 6 वर्षों में हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस बारे में न तो कोई लिखित में कागज़ हैं, न ही एस्टिमेट्स बनाए गए हैं, न ही टैंडर कॉल किए गए हैं तथा न ही कोई कम्पलीशन रिपोर्ट्स हैं। इसके बावजूद भी पंचायत विभाग ने सारी पेमेंट्स कर दी हैं। मैंने पिछले 20 दिन से इस बारे में विधान सभा में एक प्रश्न दिया हुआ है। यह प्रश्न भी लगा हुआ था लेकिन इसका विभाग से कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ तक कि इस केस का रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, आपका यह प्रश्न हमने विभाग को भेजा हुआ है। विभाग ने जवाब देने के लिए और समय माँगा है। जैसे ही इस प्रश्न का जवाब आएगा वह आपको भिजवा दिया जाएगा।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे इस प्रश्न का जवाब कब तक आ जाएगा ? मेवात जिले के पंचायत विभाग में भारी अनियमितताएं हुई हैं। क्या भ्रष्टाचार के इस मामले में विभाग कोई कार्रवाई करेगा ?

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, मैंने पहले भी आपको कहा है कि विभाग से इस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आया है। जैसे ही इस प्रश्न का जवाब आएगा वह आपको भिजवा दिया जाएगा।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, कम से कम हमें यह तो पता चले कि इस प्रश्न का जवाब अभी तक किन कारणों से नहीं आया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग के अधिकारी जानबूझकर तथ्यों को छुपा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग ने बिना टैंडर कॉल किए तथा बिना किसी कुटेशंज़ के पैसों की अदायगी की है। यह एक बहुत गंभीर मामला है जिसे सरकार छुपा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी जिसकी पूरी जानकारी आपको भी दी जाएगी। (शोर एवं व्यवधान) इस विषय में पंचायत विभाग से जानकारी माँगी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न बिल्कुल सीधा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नावली में मैंने यह प्रश्न देखा है जिसके बारे में मुझे जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक हमें 6 साल का रिकार्ड़ निकालना पड़ेगा तथा पिछले 6 साल का यह सारा रिकार्ड़ फील्ड से इन दिनों में आना संभव नहीं है। इस विषय में फील्ड से रिकार्ड़ मंगवाकर इस प्रश्न को अगले सत्र में लगाया जा सकता है या फिर यदि माननीय सदस्य के पास निश्चित जानकारियाँ हों कि यहाँ-यहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं तथा यदि ये ऐसी जानकारियाँ देंगे तो उनकी जाँच करवा ली जाएगी।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, यह कोई 6 साल की बात नहीं है। बेशक माननीय मुख्यमंत्री महोदय टेलीफोन करके पूछ लें, इस बारे में कार्यालयों में रिकार्ड़ उपलब्ध नहीं है। यह मामला सारे प्रशासन की नज़र में है। यह प्रश्न बहुत ही सीरियस है। हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत हूँ कि इस प्रश्न को अगले सत्र के लिए रख लिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपका यह प्रश्न अगले सत्र में टेक-अप कर लिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने पीने के पानी तथा बेरोजगारों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे, उनका क्या रहा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विचाराधीन हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि मैंने जो procurement of paddy scam पर एक काम रोको प्रस्ताव दिया है, क्या आप बाद में इस बारे में हमें बताएंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में बिजली के बढ़े हुए दामों के कारण हाहाकार मचा हुआ है इसलिए इस पर भी चर्चा करवाई जाए। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, बिजली के बढ़े हुए दामों के कारण पूरे प्रदेश से महिलाएं शक्ति भवन के सामने धरने पर बैठी हुई हैं जिसके बारे में हमने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है इसलिए इसका भी फेट बताया जाए। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट विषय है इसलिए इस पर चर्चा करवाई जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नसीम अहमद जी, इस पर भी चर्चा करवाई जाएगी। आपकी पार्टी के नेता ने भी सफेद मक्खी से नुकसान हुई फसल के बारे में दिए गए कालिंग अटैंशन मोशन पर साइन किए हैं, आपके उप नेता ने भी साइन किए हैं और आपकी पार्टी के मेन लीडर्ज ने इस पर साइन किए हैं तो फिर आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते ? (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, हम इस पर भी चर्चा करना चाहते हैं इसलिए यह भी जरूरी विषय है और बिजली का मामला भी बहुत जरूरी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नसीम अहमद जी, आज तो एक ही कालिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा करवाई जा सकती है। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बिजली वाले कालिंग अटैंशन मोशन का फेट बता दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नसीम अहमद जी, सफेद मक्खी से हुए नुकसान और धान की खरीद के घोटाले बारे सबसे ज्यादा सदस्यों ने कालिंग अटैंशन मोशन दिए हैं और सरकार इस पर चर्चा करवाने के लिए तैयार है इसलिए आप अपनी बात रखें। यदि आप इस विषय पर अपनी बात नहीं रखना चाहते तो इससे यह पता लगता है कि आप इन दोनों विषयों पर गम्भीर नहीं हैं। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, आज बिजली के बढ़े हुए दामों के कारण किसान, व्यापारी, कर्मचारी और मजदूर रो रहे हैं। आज लोगों के 20 हजार से लेकर 25 हजार रूपये तक के बिजली के बिल आ रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नसीम अहमद जी, लगता है कि आप इन दोनों विषयों पर गम्भीर नहीं हैं।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, दोनों विषय इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन आप हमें आश्वासन दे दीजिए कि आप बिजली के बढ़े हुए दामों के बारे में हमारे दिए गए कालिंग अटैंशन पर चर्चा करवाएंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अहमद जी, जब उसकी बारी आएगी तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी और यदि चर्चा न हो तब आप इस बारे में अपनी बात कहना। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, आप हमें आश्वासन दे दें कि आप इस पर चर्चा करवाएंगें तो हम चुप हो जाएंगे। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, आप हमें समय बता दीजिए कि इस पर कब चर्चा करवाई जाएगी ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जो कालिंग अटैंशन पहले दिए गए हैं इसका मतलब वे इम्पोर्टैंट नहीं हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको 13 कालिंग अटैंशन नोटिस और एक काम रोको प्रस्ताव दिया है और आपने उनमें से केवल एक एडजर्नमैंट मोशन को ही एडमिट किया है और उस एडजर्नमैंट मोशन को आपने कालिंग अटैंशन मोशन में कंवर्ट कर दिया है जबकि आपने हमें इस हाउस में आश्वस्त किया था कि आप हमारे धान वाले कालिंग अटैंशन मोशन पर भी चर्चा करवाएंगें लेकिन आपने उस पर चर्चा नहीं करवाई। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अभी किरण चौधरी जी का सफेद मक्खी से हुई कपास की फसल के नुकसान बारे कालिंग अटैंशन मोशन लगा हुआ है और उसके बाद धान की खरीद में हुए घोटाले बारे कालिंग अटैंशन मोशन लगा हुआ है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने 13 कालिंग अटैंशन मोशंज दिए हैं। ढाणियों में बिजली की समस्या के बारे में भी हमने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है जोकि बहुत जरूरी है जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन वह आपने नामंजूर कर दिया। इसी तरह बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां सेम की समस्या बहुत ज्यादा है और सेम के पानी की वजह से किसानों की जमीन बर्बाद हो गई जिसको आपने डिसअलाउ कर दिया। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने बारे भी हमने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, अगर आपने 20 कालिंग अटैंशन मोशन दिए हैं तो एक दिन में 20 के 20 तो नहीं लग सकते। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो जरूरी हैं उनको तो लगाया जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जो जरूरी कालिंग अटैंशन मोशंज हैं उसी को तो लगाया गया है और क्या आप इससे जरूरी किसी और कालिंग अटैंशन मोशन को समझ रहे हैं। आपकी पार्टी के 6 लोगों ने इस पर साइन करके दिए हुए हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या बिजली वाला कालिंग अटैंशन मोशन जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह भी जरूरी है लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। आज के लिए मैंने दो कालिंग अटैंशन मोशन फाइनल कर दिए हैं इसलिए आज इस पर चर्चा करो तथा कल उसके बारे में बता देंगें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने उसको डिसअलाउ कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, उसको डिसअलाउ नहीं किया गया है बल्कि वह विचाराधीन है।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, आपने इण्डियन नैशनल लोकदल के माननीय साथियों को इतना समय दिया और उनकी बात सुनी इसलिए अब थोड़ा सा समय हमें भी दीजिए। जो ये बात कह रहे हैं वैसी ही हमारी भी बात है क्योंकि मैंने भी धान खरीद के बारे में हुए घोटाले

[श्रीमती किरण चौधरी]

की जांच के लिए एडजर्नमैंट मोशन दिया हुआ है। मेरे द्वारा दिए गए उस एडजर्नमैंट मोशन को आपने कालिंग अटैंशन मोशन के रूप में कंवर्ट कर दिया है। मैं आपके ध्यान में यह तथ्य लाना चाहूंगी कि कालिंग अटैंशन मोशन में तो हम केवल एक प्रश्न ही पूछ पायेंगे जबकि यह विषय तो एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर इस सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इस पर बहुत ज्यादा माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं जिससे यह अपने आप ही एक प्रकार से कालिंग अटैंशन मोशन से काम रोको प्रस्ताव ही बन जायेगा। इस पर 6-7 इण्डियन नैशनल लोकदल के माननीय साथियों के नाम हैं और आपका व श्री करण सिंह दलाल का नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। इसलिए आप इस बात की चिंता बिल्कुल न करें।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, इसके अलावा हमने एक काम रोको प्रस्ताव प्रदेश में हो रहे दलित उत्पीड़न के ऊपर दिया है। वह काम रोको प्रस्ताव मूल रूप से श्री उदय भान की तरफ से है और जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इस बारे में आपको बाद में बताया जायेगा। अभी आप बैठिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव -

किसानों की कपास की फसल पर सफेद मक्खी की वजह से हुए नुकसान का मुआवज़ा देने सम्बंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती किरण चौधरी विधायिका द्वारा किसानों की कपास की फसल पर सफेद मक्खी की वजह से हुए नुकसान का मुआवज़ा देने सम्बंधी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या - 1 प्राप्त हुई है। मैंने इस ध्यानाकर्षण सूचना को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ श्री करण सिंह दलाल द्वारा किसानों की कपास की फसल के सफेद मक्खी के कारण हुए नुकसान का मुआवज़ा देने सम्बंधी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या - 10 दी गई है। समान विषय होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या - 10 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या - 1 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री करण सिंह दलाल, विधायक को भी इस पर सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दी जाती है। श्री अभय सिंह चौटाला तथा चार अन्य विधायकों श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, श्री रणबीर गंगवा, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल तथा सरदार जसविन्द्र सिंह संधू द्वारा भी उपरोक्त विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या - 18 प्राप्त हुई है। समान विषय होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या - 1 के साथ जोड़ दिया गया है। इस विषय में श्री अभय सिंह चौटाला एवं अन्य तीन विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अब मैं श्रीमती किरण चौधरी, विधायिका से अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने के लिए निवेदन करता हूं और इसके बाद सम्बंधित मंत्री इस बारे में अपना वक्तव्य देंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं इस महान सदन का ध्यान सफेद मक्खी के हमले के कारण कपास की फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवज़े का अभी तक इंतज़ार कर रहे किसानों के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं। सफेद मक्खी से कपास की फसल को हुए नुकसान

का मूल्यांकन करने के लिए यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मास पूर्व आदेश दिए गये थे परन्तु आज तक न तो कोई रिपोर्ट आई है और न ही किसानों को मुआवज़े की कोई अदायगी की गई है। यह किसानों के लिए दोहरी मार है। वे पहले असामयिक वर्षा के कारण फिर सूखा तथा बाद में कपास की फसल पर सफेद मक्खी के हमले, जिससे राज्य में कपास की फसल की 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, निरंतर फसल का नुकसान झेल रहे हैं। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। ग्वार तथा बाजरे की फसलें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। कीटों ने भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, झज्जर, नारनौल, पलवल, जीन्द, पानीपत, गुड़गांव, रिवाड़ी, मेवात, सोनीपत तथा रोहतक सहित 14 जिलों में बाजरा तथा ग्वार की फसलों को क्षतिग्रस्त किया है। वर्तमान परिस्थिति में आर्थिक तंगी से किसान अपनी दिन प्रति दिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यगण का ध्यान इस विषय पर चर्चा करने तथा किसानों को पर्याप्त मुआवज़ा उपलब्ध कराने के लिए तुरंत उपाय करवाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने का अनुरोध करती हूं क्योंकि इसके कारण हमारे किसान खुदकुशी के कगार पर आ गये हैं। इसी के कारण उनको काली दिवाली मनानी पड़ी है। स्पीकर सर, किसानों को किस प्रकार से उचित मुआवज़ा देकर सरकार उनको संतुष्ट करेगी इस बारे में हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं ? स्पीकर सर, मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी से रिकवैस्ट करूंगी कि इस बारे में सरकार की तरफ से उनका रिप्लाई भी आया है जोकि बड़ा ही गोल-मोल रिप्लाई है। इसके अंदर कुछ पता नहीं चल रहा है। इससे काम नहीं चलेगा और न ही इससे कोई भी बात बनने वाली है इसलिए हमारा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे कृपया करके पूरे तथ्यों के साथ ही इस बारे में अपना रिप्लाई हमें दें।

श्री अध्यक्ष : अब श्री करण सिंह दलाल भी इसी विषय से सम्बंधित अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ेंगे।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं इस महान सदन का ध्यान सफेद मक्खी के हमले के कारण बी.टी. काटन की फसल को हानि के लिए पलवल व मेवात जिले के किसानों को कोई मुआवज़ा अदा न करने सम्बंधी एक अत्यावश्यक एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं सरकार से इस सम्बंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : अब श्री अभय सिंह चौटाला अपना एवं अपने चार अन्य साथियों का इसी विषय से सम्बंधित कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एवं श्री बलवान सिंह, श्री रणबीर गंगवा, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल व श्री जसविन्द्र सिंह संधू, विधायकगण इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि कपास में सफेद मक्खी, धान में तनाछेदक प्लांट हापर, लीफ फोल्डर कीटों का प्रकोप हो रहा है। ग्वार, बाजरा व अन्य फसलें चेपा तेला व अन्य बीमारियों से तबाह हो गई हैं। किसान दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। सरकार किसानों को मुआवजा देने बारे वक्तव्य देकर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करे।

(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर पदासीन हुई।)

वक्तव्य-

वित्त मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कीटों के हमले के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के आंकलन के लिए सभी उपायुक्तों को विशेष गिरदावरी के आदेश दिये हैं। विशेष गिरदावरी की प्रक्रिया चल रही है और रिपोर्ट शीघ्र आने की सम्भावना है। राज्य सरकार द्वारा तय की गई राहत राशि जो कि केन्द्र सरकार द्वारा तय की गई राहत मानदण्डों की तुलना में अधिक है, के अनुसार प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए उत्सुक है, तथा खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि वितरण का कार्य सभी जिलों से अन्तिम रिपोर्टस प्राप्त होने पर तुरन्त किया जाएगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस की नेता, उनके साथी व विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला व उनके साथियों की तरफ से प्राप्त हुआ है। यह विषय बड़ा गम्भीर और महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस महान सदन में हरियाणा प्रदेश के किसानों की स्थिति को ले कर बार-बार चर्चाएं होती हैं और यह महान सदन हरियाणा प्रदेश के किसानों के हितों के प्रति निरन्तर जागरूक रहता है और उनकी आवाज उठा कर उनके पक्ष में सरकार को बोध कराने का काम करता रहा है। यह बात ठीक है कि इस बार हरियाणा प्रदेश में कपास की फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप हुआ है, यह पिछले साल भी हुआ था। यह सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादातर बी.टी. कॉटन पर हुआ है, जो देशी कपास है, या कहीं-कहीं चाई कपास है, उस पर इसका असर दिखाई नहीं दिया। हमें जैसे ही इस प्रकोप की सूचना मिली तो हमने तुरन्त इसकी स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश जारी कर दिये। यह कैश क्रॉप है लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुये इसकी स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिये क्योंकि पिछले साल भी कपास की फसल को नुकसान हुआ था और रबी की फसलों में भी किसान को नुकसान हुआ था। उपाध्यक्ष महोदया, इतिहास गवाह है कि उस वक्त गेहूँ की फसल का जितना नुकसान हुआ, हरियाणा प्रदेश के इतिहास में आज तक का सबसे ऊंची दर का 12 हजार प्रति एकड़ का मुआवजा, सबसे बड़े रकबे का आज तक का मुआवजा, सबसे तेजी से करने वाली गिरदावरी और 48 घंटे के भीतर लगभग 1200 करोड़ रुपये का कुल मुआवजा वितरित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस मुआवजा राशि के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसानों पर हमने कोई कृपा नहीं की है, किसानों को इस कम्पनसेशन के माध्यम से उनकी इन्कम को इन्श्योर करने के कॉसेप्ट के नाते यह स्कीम नहीं है। यह भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा सरकार किसानों को जो नुकसान हुआ है, उनको जो तकलीफ हुई है उसको अपने डिजास्टर रिलीफ फंड में से उस पर कुछ मरहम लगाने की सोच की नीति पर सरकार चलती है। उपाध्यक्ष महोदया, अपनी तरफ से जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकता था वह हमने किया है। कॉटन क्रॉप के साथ-साथ जब यह खबर आने लगी कि गवार और बाजरे पर भी कहीं न कहीं सूखे का प्रभाव पड़ा है और उनमें भी कुछ नुकसान हुआ है तो हमने उसकी भी गिरदावरी के आदेश दे दिये। पिछली गिरदावरी में कुछ माननीय सदस्यों ने उस वक्त शिकायतें की थी। शिकायतें मिलने के बाद हमने विचार किया कि कहाँ-कहाँ कमियाँ रही होंगी, हम किस प्रकार से गिरदावरी को बेहतर कर सकते हैं? इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिये कि इस बार जो कपास, गवार और बाजरे की गिरदावरी होगी वह केवल मात्र

पटवारी और गिरदावर के माध्यम से न हो कर, तहसीलदार और रिवैन्यू अधिकारियों के माध्यम से न हो कर एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी भी उसमें शामिल हों; वहाँ के सरपंच, नम्बरदार और जनप्रतिनिधि को जोड़ कर तीन व्यक्ति कम से कम हर गिरदावरी की प्रक्रिया में शामिल हों। उपाध्यक्ष महोदया, ये कैश क्रॉप्स हैं और कोई साइंटीफिक मैथड अवेलेबल नहीं है इसलिए 3 आदमियों की टीम बनाई गई है। उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि आज मलकियत छोटी-छोटी हो गई हैं इसलिए हर एकड़ में जा कर गिरदावरी करना बहुत लम्बा काम है। गेहूँ की फसल इकट्ठी थी और कपास की फसलों के बीच में दूसरी फसलें भी हैं तो हर रकबे में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार 25-26 प्रतिशत से ऊपर जो नुकसान होगा उसका मुआवजा अलग-अलग श्रेणियों में देती है और जहां 33 प्रतिशत से ऊपर नुकसान है उसमें 5466 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से केन्द्र सरकार सहयोग करती है। केन्द्र सरकार का एक बहुत बड़ा सहयोग इसमें शामिल रहता है। केन्द्र सरकार का मुआवजे में सवाया हिस्से के हिसाब से सहयोग है। उनके मानदण्ड भी हैं। सरकार ने आगे क्रैश क्रॉप्स को भी कम्पनसेशन देने का बीड़ा उठाया है जोकि एक नई पहल की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गिरदावरी की जैसे-जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी तो किसानों की तरफ से, कहीं किसान प्रतिनिधियों की तरफ से, कहीं जनप्रतिनिधियों की तरफ से गिरदावरी की प्रक्रिया को लेकर कुछ असन्तोष के स्वर आए। लेकिन हमारी सरकार की पूरी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा साईंटिफिक तरीके से फसल की गिरदावरी करवाई जाए। अब समय नहीं था कि इसकी कोई ड्रोन की फोटोग्राफी से करवाया जाए। पिछली बार भी हमने प्रयास किया कि किसी सैटेलाईट्स के माध्यम से गिरदावरी की कोई प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके जिससे गिरदावरी में एक प्रतिशत भी गलती की गुंजाइश न हो। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा किसान के साथ खड़े होकर उसके दुःख और तकलीफ को कम करने की है और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रमाण के साथ में कहा है और मुआवजा देकर उसको पूरा करके दिखाया है। मुझे अच्छा लग रहा है कि जो साथी पिछले 10 वर्षों में थे और जो साथी पूर्व की सरकारों में रहे हैं वह पिछले 10 वर्षों में मौसम की रिपोर्ट का, सत्तावार बारिश की रिपोर्ट का और अन्य जो प्राकृतिक प्रकोप हैं उनके पूरा रिकॉर्ड का अध्ययन कर लें और अपनी आत्मा की आवाज से अपने हृदय पर हाथ रखकर इस बात को स्वीकार करें कि क्या पिछले 10 वर्षों में जब-जब किसान के ऊपर इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप की मार हुई तो क्या पिछली सरकार ने किसानों को इतना मुआवजा देने का काम किया जितना हमारी सरकार ने पहले 6 महीने में देने का काम किया है। हमारी सरकार ने केवल इस बार का ही मुआवजा नहीं दिया बल्कि पिछले साल का मुआवजा जो पिछली सरकार द्वारा नहीं दिया गया था वह भी अब हमारी सरकार ने दिया है। अगर मुझे इजाजत दी जाएगी तो मैं इस बारे में सारे आंकड़ों के साथ बात कर सकता हूँ। पिछले सालों का मुआवजा भी हमने दिया है और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि तमाम शिकायतों और इस पूरी व्यवस्था को सुधारना होगा तथा इस व्यवस्था की तह तक जाकर और इसको पूरी तरह समझकर इसके दोषों को दूर करना होगा ताकि आगे ये दिक्कतें न आएं। केन्द्र सरकार को जब हम कोई खराबी की अनुसंशा दें तो उसमें किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न चिन्ह खड़े न हों और इसको साईंटीफिकली किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमीश्नर स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं इस व्यवस्था के तमाम विषयों की जानकारियां लेने के लिए भेजा है। उन्होंने एक-एक जगह जाकर रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से कोशिश की कि एक-

[कैप्टन अभिमन्यु]

एक पेड़ में कितनी कोटन बोल हैं, उनमें कितना वजन उतर कर आया है। कहां किस इलाके का सप्ताहिक बारिश का ग्राफ कितना रहा है। मंडियों में पिछले सालों की आवक कितनी रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल मंडियों में आवक कितनी जा रही है। इन सभी चीजों को समझने की और मिलान करने की पूरी कोशिश की गई है। कृषि विभाग की फसल की गिरदावरी का रिकॉर्ड क्या कहता है ? रेवेन्यू विभाग की गिरदावरी का रिकॉर्ड क्या कहता है? पिछली जो ये सारी दिक्कतें हमारे सामने आई जिसके आधार पर जो कुछ प्रश्न खड़े हुए उनका समाधान ढूढ़ने की एक परमानैंट कोशिश है। मैं पूरे सदन को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही इस प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट आती है, हमारी सरकार किसानों के इस कष्ट में, इस दुख और दर्द में, इस पीड़ा में उनके साथ है और उनके दर्द पर और इस जख्म पर मरहम लगाने का काम हमारी सरकार करेगी जैसे हमने रबी की फसल में किया था इस पर भी हम निश्चित तौर पर कार्य करेंगे। आदरणीय श्री करण सिंह दलाल जी ने अपने पलवल जिले की चिन्ता प्रकट की है क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उनके नाम का भी उल्लेख है, इन भाई साहब का सरकार पर पूरा भरोसा होना चाहिए क्योंकि पिछली बार भी जब रबी की फसल का जो मुआवजा दिया उसमें पलवल को पूरे हरियाणा में सर्वाधिक मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए तो दलाल साहब को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि ये सरकार के काम में कमी तो निकाल देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मेरे पास पिछले दस वर्षों का रिकार्ड है इसमें आप प्रति वर्ष का कुल मिला लीजिए फिर भी अगर पिछले दस वर्षों का मुआवजा जोड़ लिया जाए तो भी जो मुआवजा वर्तमान सरकार ने दिया है उससे कम पड़ता है। क्या पहले कभी भी ऐसा प्राकृतिक प्रकोप नहीं आया था। एक सीजन का वर्ष 2011-12 में कुल खराबे का 17.79 करोड़ रूपया, वर्ष 2012-13 में 46.53 करोड़ रूपया, वर्ष 2013-14 में 179.85 करोड़ रूपया, वर्ष 2014-15 में 141.78 करोड़ रूपया जोकि वर्तमान सरकार ने आकर के दिया है क्योंकि वर्ष 2014-15 का मुआवजा पिछली सरकार ने सिर्फ घोषणा की थी लेकिन देकर नहीं गई थी। हमारी सरकार ने किसानों का नुक्सान नहीं होने दिया और न ही होने देंगे। इसके साथ ही मैं अपना जवाब समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री आनन्द सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, चाहे प्राकृतिक प्रकोप से किसानों का नुक्सान हुआ है और चाहे फसल का सही भाव न मिलने के कारण नुक्सान हुआ है लेकिन आज किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदया : दांगी साहब, आप बैठिये, इस समय कालिंग अटैंशन मोशन पर बहस हो रही है। इसमें जिन सदस्यों के नाम दिये गये हैं उनको पहले बोलने का मौका दिया जा रहा है। इसमें आपका नाम नहीं है। आप बाद में बोल लेना।

श्री आनन्द सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं जो बात बोल रहा हूं वह हकीकत है उसके हिसाब से बोल रहा हूं। उसके ऊपर मंत्री जी अपनी बात कहने लग गये हैं।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछले दस साल का वैदर का डाटा वे कभी भी मेरे पास आकर देख सकते हैं। पिछली सरकार के समय में बीमारियों का रिकार्ड तो जरूर बनाया होगा ऐसा तो नहीं कि रिकार्ड नहीं बनाया होगा। जितना

होगा। जितना रिकार्ड पिछली सरकार ने बनाया था और कितना प्रकोप हुआ, कितना उस नुकसान की भरपाई के लिए पिछली सरकार ने मुआवजा दिया गया उसका आईना देखने में कांग्रेस के माननीय सदस्यों को अब तकलीफ क्यों हो रही है। आज आईना देखकर कांग्रेस के माननीय सदस्यों को शर्म क्यों आ रही है। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जब इनको इनका अक्ष दिखाई दे रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, वर्तमान सरकार को तो पिछले दस वर्षों का हौवा बैठ गया है ये इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आप इसका कोई समाधान करें।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, हमें पिछले दस वर्षों का हौवा नहीं बैठा बल्कि कांग्रेस पार्टी को हमारे छः महीने का हौवा बैठ गया है।

श्री बलवान सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक गम्भीर विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि पिछले विधान सभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष ने व्हाईट फलाई का मुद्दा बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था और सरकार को अवगत कराया था कि आज किसान की फसल 70 से लेकर 100 प्रतिशत तक बर्बाद हो चुकी है। सदन के नेता ने यहां पर आश्वस्त किया था कि हम बहुत जल्द फसल की गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने का काम करेंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि आज किसान मारा-मारा फिर रहा है। गेहूं की बिजाई से पहले-पहले आप किसान को मुआवजा दें ताकि वह गेहूं की बिजाई अच्छे तरीके से कर सके। जहां तक माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमने गिरदावरी करवाई। वास्तव में गिरदावरी बहुत अच्छी हुई है इसके लिए हम सरकार की प्रशंसा करते हैं। स्पीकर मैडम, गिरदावरी के बाद आज एक और टीम उस गिरदावरी की इन्कवायरी करने के लिए घूम रही है। इसलिए सरकार की कार्यप्रणाली पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जब एक बार स्पेशल गिरदावरी हो चुकी है तो फिर उसके ऊपर गिरदावरी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जहां तक माननीय मंत्री जी ने मुआवजा देने की बात कही है और नेता सदन कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी और नेता की कोई जात नहीं

17.00 बजे

होती। वे तो 36 बिरादरी के नेता होते हैं। इस विषय में थोड़ा और व्यापकता से विचार किया जाना चाहिए। यह एक स्वस्थ परम्परा है कि जिस प्रकार से ब्यरोक्रेट्स व नेताओं की कोई जाति नहीं होती है उसी प्रकार से सदन के नेता यह भी न सोचें कि किस हल्के से किस पार्टी का विधायक जीता है। मैं इस सदन में मेरे जिला फतेहाबाद की बात करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि किसानों के पिछले मुआवजे में जो बंदरबाँट हुई है वह इस बार न होने पाए क्योंकि फतेहाबाद जिले में 2 हल्कों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक बने थे तथा एक हल्के से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के हल्के में तो मुआवजा दे दिया गया है जबकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायकों के हल्कों में एक पैसा भी मुआवजे का नहीं दिया गया। (शोर एवं व्यवधान) फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के किसी एक किसान को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, यह रिकार्ड की बात है कि रतिया व फतेहाबाद हल्के में किसी भी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि मुआवजा राशि के आबंटन में इस बार भेदभाव न किया जाए तथा बंदरबाँट न की जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके

[श्री बलवान सिंह]

माध्यम से माननीय सदन के नेता व माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि वे किसान को असली खाद, बीज और दवाईयाँ दे देंगे तो किसान कभी घाटे में नहीं जाएगा। मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि माननीय कृषि मंत्री अपने नेतृत्व में एक ऐसी टीम बनाएं जो हर 3 वर्ष के बाद पेस्टीसाईड्ज़ विक्रताओं की दुकानों की चैकिंग करे ताकि किसान को असली बीज और दवाईयाँ मिल सकें क्योंकि कहीं न कहीं या तो बीज गलत है या दवाई गलत है अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है कि सफेद मक्खी का प्रकोप कंट्रोल न हो सके। इसलिए सरकार को एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो हर 3 महीने के अन्तराल में इन्क्वायरी करे तथा सदन के नेता या माननीय कृषि मंत्री को सीधे तौर पर अपनी रिपोर्ट भेजे।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि क्या बीज व खाद में कोई कठिनाई आई है ?

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : उपाध्यक्ष महोदया, बीज व खाद की वजह से ही प्रदेश के अंदर सफेद मक्खी की समस्या पैदा हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह सफेद मक्खी क्यों नहीं मर रही है ? इसका मतलब यह हुआ कि या तो बीज नकली है अथवा दवाई नकली है, एक चीज़ में कमी जरूर है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूँगा कि बारिश की कमी से सफेद मक्खी की समस्या पैदा हुई है इसलिए कोई भी दवाई सफेद मक्खी पर प्रभाव नहीं डाल रही है। हमने हिसार विश्वविद्यालय और पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त कमेटी बनाई थी तथा उनको इकट्ठे बिठाकर उनसे बातचीत की। हमारे वैज्ञानिकों ने यह बताया कि किसी पीले कपड़े अथवा पीले चार्ट पर यदि कोई ग्रीस जैसी चीज लेकर निकलेंगे तो सफेद मक्खी उस पर चिपक जाती है। वह सफेद मक्खी किसी भी पेस्टीसाईड्ज से नहीं मरती है। इसलिए सफेद मक्खी के आने का कारण मोनोक्रॉपिंग है अर्थात् एक ही प्रकार की फसल ज्यादा उगाई गई है। दूसरा कारण पूरे देश में बारिश का कम होना है। हरियाणा प्रदेश में भी इस बार बारिश कम हुई है। जब बारिश बार-बार आती है तो सफेद मक्खी उसमें धुल जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय सदस्य जो कारण बता रहे हैं उनके कारण सफेद मक्खी की समस्या नहीं आई है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस बार हमने खाद का पर्याप्त भण्डार रखा हुआ है और बीज भी पिछली बार से ज्यादा रखते हुए, किसानों को खूब अच्छी तरह से बाँटा है।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : उपाध्यक्ष महोदया, आज किसान मारा-मारा फिर रहा तथा आश लगाए बैठा है कि उसको मुआवजा कब मिलेगा ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि ये एक तारीख फिक्स कर दें कि उस तारीख तक ये किसानों को मुआवजा दे देंगे ताकि प्रदेश का किसान थोड़ा आश्वस्त हो जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, प्रदेश में सफेद मक्खी के प्रकोप का बहुत बड़ा इशू है जिससे हरियाणा राज्य के 14 जिले प्रभावित हुए हैं। इन 14 जिलों में कुछ जिले तो ऐसे भी हैं जिनमें 100 फीसदी फसलें खराब हुई हैं। सरकार ने इन जिलों में खराब

फसलों की गिरदावरी के आदेश दिए थे। पिछले सैशन में जब हमने इस बारे में अपनी बात रखी थी तो सदन के नेता ने यह आश्वसन दिया था कि वे इसकी स्पैशल गिरदावरी करवाएंगे तथा किसान की फसलों के नुकसान का मुआवजा देंगे। इन खराब फसलों की स्पैशल गिरदावरी भी हो चुकी है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, हिसार कमिश्नरी के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिलों में स्पैशल गिरदावरी हो चुकी है। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक जीन्द जिले में करीब 1,74,944 एकड़ जमीन में खड़ी फसलें खराब हुई हैं। इसी प्रकार से सफेद मक्खी की समस्या की वजह से हिसार जिले के अंदर 1,50,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में खड़ी फसलें खराब हुई हैं। फिलहाल सिरसा व फतेहाबाद जिलों का रिकार्ड मेरे पास उपलब्ध नहीं है जिसे मैं कल आपको मुहैया करा दूँगा। इन जिलों में सरकार की तरफ से स्पैशल गिरदावरी करवाई गई है। अब गिरदावरी होगी और नई फसल की बुआई भी होगी। लोगों ने गेहूं की बुआई कर ली है लिया और चने की बुआई शुरू कर दी। अब सरसों की बुआई भी नए सिरे से होगी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि नई बुआई होने के बाद अगर आप जमीन की गिरदावरी करना चाहो तो वह सम्भव नहीं है। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हमने गिरदावरी पारदर्शिता से कराई है, हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के आदमी को, पटवारी को, गांव के सरपंच को और नम्बरदार को इसमें इन्वॉल्व किया है लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने यह गिरदावरी की है उन्हीं लोगों के कहने पर गिरदावरी की उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर रही है। उच्च अधिकारियों को भेजकर नई जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं कि गिरदावरियां सही हुई हैं या नहीं। एक बार जब नई फसल की बुआई कर दी जाती है तो आप मानकर चलिए कि जो पिछली फसल खराब हो जाती है उसकी जानकारी हासिल नहीं की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गिरदावरियां आपने करवाई हैं और जो खराबे की रिपोर्ट आपके पास आई हैं क्या उनको वही मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा जो गेहूं की फसल के नुकसान का दिया गया है। जब किसान गेहूं की फसल खराब होने पर परेशान और तंग हो रहा था उस समय आपने अपनी तरफ से प्रयास किया कि जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको उसका मुआवजा मिल जाए, इस बात के लिए हम सरकार की प्रशंसा करते हैं। उस समय भी बहुत सी जगह पर किसानों को मुआवजे का पैसा नही मिल पाया और किसान के पैसे की कहीं न कहीं बांटने वालों ने बंदरबांट करने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बार भी जितनी जल्दी हो सके किसान को उसकी खराब फसल का मुआवजा दिया जाए तथा सदन को यह भी बताया जाए कि जिस तरह गेहूं की फसल के नुकसान का मुआवजा जल्दी से जल्दी बांटा गया था क्या उसी तरह अब भी एक महीने में या डेढ़ महीने में किसान को उसकी खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाएगा ? उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक चीज और सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि जुलाना के 6 गांवों में ओले पड़े थे और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था। दो तहसीलदारों ने अलग-अलग जाकर उन गांवों की पड़ताल की थी और गिरदावरी भी की थी। उन्होंने 3715 एकड़ जमीन बताई थी जहां ओला वृष्टि की वजह से नुकसान हुआ था लेकिन आज आपके डिपार्टमैंट की तरफ से यह दर्शाया जा रहा है कि जींद और जुलाना में ओलावृष्टि से 2577 एकड़ जमीन पर फसल का नुकसान हुआ है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इसकी दोबारा से इन्कवायरी कराएं ताकि जितने किसानों का ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उनको उसका मुआवजा मिल सके।

सरदार ज़सविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक मुझे याद है पिछला सत्र 2 सितम्बर से 7 सितम्बर तक चला था और उस समय से लेकर आज तक दो महीने 23 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक सरकार कह रही है कि हमारे पास खराबे की रिपोर्ट नहीं आई है। गेहूं बोने का जो टाइम होता है वह अक्टूबर के लास्ट वीक से शुरू होता है और 15 नवम्बर तक किसान की कोशिश रहती है कि वह गेहूं की बुआई कर ले लेकिन आज 30 नवम्बर हो गया है लेकिन अभी तक गिरदावरी की रिपोर्ट नहीं आई है। जो रिपोर्ट आई है सरकार उसकी दोबारा इन्कवायरी करवाने जा रही है। मंत्री जी ने दूसरी बात अपने जवाब में कही है कि हमने सबसे ज्यादा मुआवजा दिया है इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि यह पुरानी रिवायत है कि जब भी कोई नई सरकार आती है वह मुआवजा बढ़ाकर देती है। हरियाणा में सबसे पहले खराब फसल का मुआवजा देने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था और उससे पहले खराब फसल का मुआवजा नहीं दिया जाता था। हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि आज पौने तीन महीने में गिरदावरी की स्पष्ट रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई है जोकि मैं समझता हूं कि सरकार की बहुत बड़ी कमी है इसलिए सरकार को इस कमी को दूर करना चाहिए। जो स्पैशल गिरदावरी होती है वह 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर हो जानी चाहिए ताकि सारी स्टेट की रिपोर्ट सरकार के पास निर्धारित समय पर आ जाये। इस समय सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि गिरदावरी के इंतज़ार में किसानों के खेतों में सिर्फ कपास के पौधों की लकड़ियां मात्र रह गई हैं उनके ऊपर से कॉटन पूरी तरह से नदारद है। किसानों ने कपास के पौधों की लकड़ियों को इसलिए अपने खेतों में रखा हुआ है ताकि उनकी गिरदावरी हो जाये और उसके बाद वे उसको काटकर उसमें गेहूं की बिजाई कर सकें। इस प्रकार किसान का दोहरा नुकसान हो गया क्योंकि न तो वह गेहूं की बिजाई कर सका और न ही उसकी कपास की फसल को सफेद मक्खी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई गिरदावरी ही करवाई गई। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से पुरज़ोर अनुरोध है कि हर रोज़ नई-नई इंक्वायरी करवाने के बजाय इसी हफ्ते में गिरदावरी करवाकर किसानों को उनके नुकसान का मुआवज़ा दिया जाये।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने जो हमारे कालिंग अटैंशन मोशन का जवाब सदन के पटल पर रखा है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें मुख्य रूप से दो बातें कही गई हैं। जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह जी ने जो बात कही है मैं भी उसी बात के लिए सिफारिश करता हूं कि अब जो सरकार द्वारा गिरदावरी की बात की जा रही है कि गिरदावरी करवा रहे हैं या गिरदावरी करवायेंगे। इस बारे में मेरा यह कहना है कि उन खेतों में तो अब अगली फसल की बिजाई की जा चुकी है। इसलिए अब सरकार को बिना किसी पटवारी, सरपंच और अधिकारी के बिना स्वयं ही फैसला लेना पड़ेगा। सरकार ने पिछले समय में जो मुआवज़ा देने की कोशिश की है वह सरकार का सराहनीय प्रयास है। हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे लेकिन हम पूरी तरह से धन्यवाद तभी करेंगे जब सरकार इस मामले में रह गई कमियों को पूरी तरह से दूर कर देगी। ये बड़ी भारी कमियां सरकार के ध्यान में अब तक पूरी तरह से नहीं लाई जा रही हैं। आदरणीय राज्य मंत्री करण देव कम्बोज जी यहां पर बैठे हैं ये हमारे जिले के इंचार्ज़ हैं। जब कपास पर व्हाइट फ्लाई का अटैक हुआ था उसकी गिरदावरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में हां भरी थी लेकिन पलवल और मेवात जिले का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं था। तब मैंने

यहां पर खड़े होकर यह कहा था कि व्हाइट फ्लाई से पलवल और मेवात जिले के किसानों का भी नुकसान हुआ है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हम वहां का भी आकलन करवायेंगे लेकिन हमें अभी तक वहां पर इस प्रकार की कोई बात सुनने में नहीं आई है। जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जुलाना के बारे में बताया है इसी प्रकार से हमारे पलवल में भी सरकार द्वारा मुआवज़ा देने के बाद बेमौसमी बरसात ने फिर से धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस बारे में अगर माननीय मंत्री गांवों का नाम नोट करना चाहें तो वे यहां पर गांवों का नाम नोट कर लें और फिर उनके बारे में स्थानीय जिला प्रशासन से भी इस बारे में जांच करवा लें। जिन गांवों में इस प्रकार का नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है उनके नाम हैं टेलक, भड़गांव, डाडौता और अलावलपुर इत्यादि ये सभी गांव पृथला हल्के के हैं। पृथला के माननीय विधायक भी इस बारे में मेरा समर्थन करेंगे। इसी प्रकार से मेरे हल्के का एक गांव है छेरवाड़ी। इस गांव के किसानों की पूरी की पूरी धान की फसल भी बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इन्होंने इतना बड़ा नाम कमाने की कोशिश की है तो इन छोटी-मोटी बातों से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर मुआवज़ा प्राप्त करने के सम्बंध में कहीं लोगों में दर्द बाकी है तो सरकार को जल्दी से जल्दी उनकी सुध लेकर उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि वे इस बात की निष्पक्षता से जांच करवा लें और अगर वहां के लोगों का नुकसान हुआ है तो उनको उसका मुआवज़ा जल्दी से जल्दी दिया जाये। अगर माननीय मंत्री जी को यह लगे कि हमने उनको गलत सूचना दी है तो फिर वे मुआवज़ा न दें। मैं इस बारे में एक बात विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि व्हाइट फ्लाई और बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवज़ा लेने के लिए जब किसान अधिकारियों के पास गये तो अधिकारियों ने उनका मज़ाक उड़ाया और उनसे कहा कि तुम्हें तो मुआवज़ा लेने की आदत पड़ गई है अभी तो पिछले दिनों मुआवज़ा दिया था। इस पर उन किसानों ने कहा कि हम पिछले वाला मांगने नहीं आये हैं हम तो इस समय जो धान की फसल के समय में ओलावष्टि और बेमौसमी बरसात हुई है उससे हुए नुकसान का मुआवज़ा मांगने आये हैं। इस प्रकार से उनके नुकसान की कोई गिरदावरी नहीं की गई है। इसलिए मेरा एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश में जहां पर भी इस व्हाइट फ्लाई के साथ धान की फसल का बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है उसका सरकार स्वयं आंकलन करे और इस बारे में जो भी अंतिम फैसला लेना हो उसे शीघ्रता से लिया जाये और पीड़ित किसानों को अविलम्ब राहत पहुंचाई जाये। क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का कोई ठोस आश्वासन यहां पर देंगे।

अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एल.बी.एस. सीनियर सैकेंडरी स्कूल, कलानौर, जिला रोहतक के विद्यार्थी और स्टॉफ मैम्बर्स आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उनका यहां आने पर स्वागत करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, यहां पर व्हाइट फ्लाई पर चर्चा हो रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह व्हाइट फ्लाई कहां से आई? मैं इस बारे में सरकार को बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में बी.टी. कॉटन - 1 आई थी। जब हमारे यहां पर शुरू में बी.टी. कॉटन - 1 आई थी तो उसके कई साल बाद तक उसमें कोई बीमारी नहीं आई थी। आज दूसरे देशों अमेरिका और कनाडा इत्यादि में बी.टी. कॉटन - 8 और 9 की किस्म आ चुकी है। उसमें कोई बीमारी नहीं लगती। हमारे यहां पर बीमारी आने का मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां का जो कपास का बीज अर्थात बी.टी. कॉटन - 1 का बीज है वह दूषित हो चुका है। अगर हम वर्ल्ड की टेक्नीक की बात करें तो वहां पर बी.टी. कॉटन - 8 और 9 की किस्म आ चुकी है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम भी अपने बीज को अपग्रेड नहीं करेंगे तो इसमें बार-बार बीमारी आयेगी ही आयेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे आने वाले नरमे के सीज़न के लिए हमारे प्रदेश के किसानों को बी.टी. कॉटन - 8 और 9 की किस्म का बीज़ उपलब्ध करवायेंगे ताकि नरमे का उत्पादन करने वाले किसानों को नुकसान से बचाया जा सके क्योंकि आज हिन्दुस्तान में उपलब्ध बीज़ से होने वाले नुकसान से बचना नामुमकिन है।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि यह सफेद मक्खी का प्रकोप देशी कपास पर नहीं हुआ है बल्कि मोनोक्रॉपिंग के कारण इस बी.टी. कॉटन पर हुआ है। श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी ने जो कहा है कि 2-3 बड़े चैलेंज हैं, उनमें से एक है कलाईमैटिक चेंज जिसके कारण सरकार को एक ही साल में लगभग 2 हजार करोड़ रूपये का भार वहन करना पड़ा है। पिछली फसल के मुआवजे के रूप में लगभग 1100 करोड़ रूपया और कुछ ब्याज माफी में और कुछ इस फसल का मुआवजा हो जायेगा, इस प्रकार लगभग 2 हजार करोड़ रूपये का बोझ सरकार पर पड़ा है। कलाईमैटिक चेंज उसका एक कारण है क्योंकि अच्छी बारिश हो जाती तो सफेद मक्खी नहीं आती। इसी प्रकार से पिछले साल मार्च में ओले नहीं गिरते और ज्यादा बारिश नहीं होती तो वह मुआवजे का पैसा देना नहीं पड़ता। दूसरी बात जहाँ तक बीज की बात है तो इस बारे में साइंटिस्ट की कमेटी बनी है और इस पर हम काम कर रहे हैं। अगली बार किसानों को अच्छी सलाह देंगे कि और कौन से बीज उपयोग में लाये जा सकते हैं। देशी कपास भी अब अच्छी क्वालिटी की आ रही है और उसकी पैदावार भी अच्छी होती है। माननीय सदस्य का जो कन्सर्न है विभाग उस पर पूरी तरह से काम कर रहा है। कलाईमैटिक चेंज वाले विषय पर भी सभी को मिल कर बात करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हर बार इस तरह के चैलेंजिज आते रहे तो सरकार के डिजास्टर मैनेजमैंट विभाग के बजट का एक बड़ा हिस्सा इस पर जा रहा है जो कि एक चिंतनीय विषय है।

श्री रणबीर गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया, सफेद मक्खी का मामला पिछले सत्र में आया था और सदन के नेता ने पिछली बार यह कहा था कि 15 सितम्बर से लेकर 30 सितम्बर तक गिरदावरी हो जायेगी लेकिन 30 सितम्बर तक गिरदावरी नहीं हुई। हमने गांवों में जा कर देखा था, एक-एक पटवारी के पास 4-5 गांव थे क्योंकि स्टाफ की कमी थी। इसलिए वह गिरदावरी 30 अक्तूबर तक हुई। मेरे खेत में भी कई एकड़ में कपास की फसल थी, इस बार सफेद मक्खी का प्रकोप इतना ज्यादा था कि अगर खेत के बीच से आदमी निकले तो उसके कपड़े खराब हो जायें। वह फसल तो कट चुकी है। अभी एक सप्ताह पहले हिसार में माननीय उपायुक्त महोदय के साथ

चण्डीगढ़ से ए.सी.एस. साहब जा कर खेतों में चैकिंग कर रहे थे जिसकी फोटो अखबारों में भी आई थी। इस समय खेतों में सिर्फ दो प्रकार की कपास ही बची हुई हैं या तो जिनमें पानी कम आया या जो देशी कपास हैं वे बची हुई हैं बाकी तो कपास की फसल कट चुकी है। अभी श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी जिस बीज का जिक्र कर रहे थे वह बात भी ठीक है। कुछ एकड़ में हमने अपना देशी बीज बोया था उसमें यह बीमारी कम आई थी। इसलिए हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी ने ठीक ही कहा है कि जब कपास की फसल कट चुकी है और उस जमीन पर गेहूँ या सरसों की बिजाई हो चुकी है तो इस वक्त उसमें चैकिंग कैसे की जा सकती है? हमें लगता है कि पिछली बार जो मुआवजा बंटा उसमें भेदभाव किया गया था। माननीय वित्त मंत्री का विधान सभा क्षेत्र नारनौंद, हिसार में है। उस समय नारनौंद में तो मुआवजे का पैसा बंट गया लेकिन हमारे विधान सभा क्षेत्रों चाहे वह नलवा था या दूसरे हलके थे वहाँ पर मुआवजे का एक पैसा भी नहीं बांटा गया जबकि वहाँ पर फसल भी खराब हुई थी। इसलिए कहीं न कहीं सरकार की ऐसी मंशा न हो कि स्पेशल गिरदावरी के बहाने किसानों को उनके हक से वंचित रखा जाये। वित्त मंत्री जी, हम पुराने समय में अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि किसानों के पास माल के पैसे जमा करवाने के लिए नहीं होते थे इसलिए लोग जमीन अपने नाम से उतरवा देते थे, आज भी वही स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि न ही तो जमीन को आज कोई ठेके पर बोने के लिए तैयार है और न ही कोई बंटाई पर लेने को तैयार है। उपाध्यक्ष महोदया, इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि सही ढंग से गिरदावरी करके किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि यह गिरदावरी करके मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ? धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि आपने जो अपना जवाब दिया है, there is nothing specific in it. आप जानते हो कि the farmers have already suffered double whammy due to successive crop failure. अब अगर आप स्पेशल गिरदावरी की बात कर रहे हैं तो मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती हूँ कि हमारा जो लोहारू, बाढड़ा, भिवानी, लोशाम हल्का है वहां ग्वार और बाजरे की फसल सूखे के कारण बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। अब आपने स्पेशल गिरदावरी करवाने के आदेश दिये हैं जिसमें आपने कहा कि स्पेशल गिरदावरी करने तीन मैम्बर आएंगे लेकिन बहुत सारे गांवों में आपके ये तीन मैम्बर नहीं पहुंचे जिसका नतीजा यह हुआ है कि वहां ये बात कही गई है कि व्हाइट फ्लाई का जो मुआवजा है वह तो सरकार देगी। ग्वार, बाजरा और नरमा की जो फसल नष्ट हुई हैं उसके लिए जो गिरदावरी रखी जाए उसको केवल 30 प्रतिशत से नीचे रखा जाए ताकि सरकार को उसका मुआवजा न देना पड़े। इसी तरह महेन्द्रगढ़ में भी यही हाल हुआ है वहां भी इसी तरह फसल नष्ट हुई हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो स्पेशल गिरदावरी की बात कह रहे हैं जहां पर इस तरह की सारी कार्यवाही हुई हैं। सूखे के कारण जहां पर 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 60 प्रतिशत खराबा हुआ है और जहां पर आपकी यह टीम नहीं पहुंच पाई हैं क्या मंत्री जी वहां पर भी यह कम्पनसेशन पूरा दे पाएंगे या नहीं। दूसरी बात आपने एक और कही कि आपकी सरकार ने पहली बार आकर किसानों को इतना ज्यादा मुआवजा दिया है जिसको कांग्रेस सरकार 10 साल में भी नहीं दे पाई। पिछले 10 सालों में तो भगवान ने किसानों का इतना नुकसान किया ही नहीं। अभय सिंह जी मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 6 महीने में जो

[श्रीमती किरण चौधरी]

नुकसान हुआ उतना पिछले 10 साल में नहीं हुआ। इसलिए मंत्री जी द्वारा यह कहना कि आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में मुआवजा नहीं दिया यह बात तो ठीक नहीं है। अगर आपकी सरकार के समय में किसान की फसलों में नुकसान होगा और आपने किसान भाईयों का थोड़ा सा भी ख्याल रखना है तो मुआवजा तो देना पड़ेगा। यह तो आप जानते हैं कि आज के दिन हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, जो इन्होंने मुआवजा देने की बात कही है उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार ने मैक्सीमम 10 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा फिक्स किया था अब यह सरकार उसको बढ़ाकर 12 हजार रूपये दे रही है लेकिन स्टेट गवर्नमैंट का इसमें शेयर घटा है। सैंट्रल गवर्नमैंट ने अपना शेयर डेढ़ गुना कर दिया उसके हिसाब तो मुआवजा राशि 10 हजार रूपये से बढ़कर 15 हजार रूपये जानी चाहिए थी लेकिन यह सरकार 15 हजार रूपये की जगह 12 हजार रूपये प्रति एकड़ मुआवजा राशि दे रही है क्योंकि स्टेट गवर्नमैंट ने अपना शेयर कम किया है।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, हुड्डा साहब ने गोहाना में मुआवजा राशि 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की केवल घोषणा की थी लेकिन इन्होंने किसानों को यह राशि दी नहीं थी। हमारी सरकार इनकी घोषणा से आगे बढ़ी है और किसानों को मुआवजा राशि 12 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से दी गई है। जबकि इनकी सरकार के समय में तो किसानों को 6 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था लेकिन हमारी सरकार इनकी घोषणा को मानते हुए उससे आगे बढ़ी है जिसको 6 हजार रूपये से 12 हजार रूपये पर ले आई है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जो इन्होंने स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश दिये हैं। ******

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मंत्री जी यह बहस का मुद्दा नहीं है। यह किसानों का मुद्दा है। इसमें कोई दो राय नहीं है स्टेट गवर्नमैंट ने अपना शेयर घटाया है। अब जब सैंट्रल गवर्नमैंट ने मुआवजा डेढ़ गुना किया है तो आप भी कम से कम उसको डेढ़ गुना तो कीजिए जिसमें यह मुआवजा राशि 15 हजार रूपये बनती है।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : हुड्डा साहब, देखिये हम थोड़ा सा आपकी कमेटी का क्रेडिट लेंगे क्योंकि आप उस कमेटी के मुखिया थे और यह आपकी कमेटी की रिकमैंडेशन थी। जब आपकी सरकार का समय पूरा होने वाला था तब आपने गोहाना की रैली में 10 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की घोषणा की थी लेकिन उसको आप इम्प्लीमैंट नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने आते ही आपकी कमेटी को इम्प्लीमैंट किया और उससे 2 हजार रूपये ऊपर मुआवजा राशि को ले गये इसका आपने हमें क्रेडिट देना चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, सरकार कोई अच्छा काम करे वह तो अच्छी बात है लेकिन मैं ये बात सदन के पटल पर रखना चाहती हूं। (विघ्न) I will just finish.

Capt Abhimanyu : I thought you have finished.

Smt. Kiran Choudhry : No, I have not finished. If I had finished, I would have been sit down on my seat.

Capt. Abhimanyu : O.K. you have just allowed your colleague to speak on your behalf.

Smt. Kiran Choudhry : I am the leader of my Party and I know what to do. Please let me finish. मैं जो बात कह रही थी उसमें मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि जो यह स्पेशल गिरदावरी की बात कह रहे हैं अगर उसको दीवाली से पहले करवा देते तो अच्छा होता क्योंकि अबकी बार सभी किसान भाईयों ने फसल में नुकसान होने की वजह से काली दीवाली मनाई है और हमारे कुछ किसान भाई तो खुदकुशी करने के कगार पर आ गये हैं। आप अगर यह गिरदावरी सही समय पर करवाते तो अच्छा होता। गिरदावरी करवाने का मतलब तो यही होता है कि जहां पर फसल खराब हुई है उसकी जल्दी से गिरदावरी करवाकर उसके कम्पनसेशन के तुरन्त आदेश दे देने चाहिए ताकि किसान के नुकसान की भरपाई हो जाए लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पा रहा है। जहां तक यह शिकायतें आई हैं कि वे ग्वार और बाजरे की 30 प्रतिशत ही गिरदावरी करने जा रहे हैं। क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि यह न हो?

श्री रामचन्द कम्बोज : उपाध्यक्ष महोदया, पिछले साल ओलावृष्टि में मेरे हल्के के 14 गॉवों की गेहूं की पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई थी। उस समय मुआवजे के बारे में ऐसी बन्दरबांट की गई कि अभी तक मेरे हल्के की 1050 एकड़ जमीन का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उसके बाद कपास की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप शुरू हो गया उसकी वजह से फतेहपुरिया रहमतखां के एक विनोद नामक किसान ने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद मैं अपने गॉव का दौरा कर रहा था तब स्पैशल गिरदावरी की टीम मुझे मिली क्योंकि पहले तो गिरदावरी 30 अक्टूबर तक हो चुकी थी। मैंने उस टीम से पूछा था कि आप किस बात की गिरदावरी कर रहे हो क्योंकि अब तो दूसरी फसल की बिजाई हो चुकी है। तब उस टीम ने यह बताया कि जो पिछली गिरदावरी हुई है हम उसके बारे में चैक कर रहे हैं कि वह गिरदावरी सही हुई है या नहीं। मुझे तो इसमें यह शंका है क्योंकि मेरे हल्के के किसानों को पहले भी गेहूं की फसल का मुआवजा नहीं मिला है और अब कपास की फसल में सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण मेरे हल्के के दो किसानों ने खुदकुशी की है एक तो अभोली गॉव में और दूसरी फतेहपुरिया रहमतखां गॉव से है। यह मुआवजा कब तक मिलेगा क्योंकि मेरे हल्के में छोटे-छोटे किसान हैं कोई बड़े-बड़े किसान नहीं हैं उनके पास ज्यादा जमीन नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह मुआवजा कब तक किसानों को मिलेगा और गेंहूं की फसल में जो नुक्सान हुआ था उसका भी क्या मुआवजा मिलेगा क्योंकि यह बात वहां के जिला अधिकारियों के संज्ञान में भी है और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी है। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले गेहूं की फसल का मुआवजा और सफेद मक्खी का मुआवजा किसानों को कब तक मिलेगा ?

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया जी, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से तमाम प्रकार के वही विषय सामने आये हैं जिनको लेकर शिकायतें आ रही थी और जिसके कारण से हमने इस बार सोचा था कि हमने इस बार एक ऐतिहासिक मुआवजा किसानों को दिया है। उसके बाद भी उसकी प्रक्रिया में जो कमियां रही हैं वे दोबारा न हों उसके लिए हमने एक ईमानदार प्रयास करने की कोशिश की है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी की नेता अभी बता रही थी कि

[कैप्टन अभिमन्यु]

उनको यह आशंका है कि तीन अधिकारियों से जाकर जो गिरदावरी करनी चाहिए थी वह नहीं की गई। इसी प्रकार कई माननीय सदस्यों ने बन्दरबांट जैसे शब्द का उपयोग किया है। मैं इस सदन को पूरी ईमानदारी और भरोसा दिलाकर कहता हूं कि हमारी सरकार ने गेहूं की फसल की गिरदावरी करने का काम पुरी ईमानदारी से किया है और किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया। अगर राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक विरोध कोई कारण होता तो मैंने श्री करण सिंह दलाल जी को बताया कि पलवल जिले को हरियाणा में सर्वाधिक मुआवजा देने का काम किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के संबंध में विपक्ष के नेता का मैंने अखबार में एक ब्यान पढ़ा था। उनको किसी ने बताया होगा तो उनका यह ब्यान आया था कि जिन गाँवों से इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आये हैं उन गॉवों को मुआवजा नहीं दिया गया। मैं इस महान सदन के पटल पर खड़े होकर यह कहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार थे उनके गाँव में सर्वाधिक मुआवजा दिया गया है। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं और रिकॉर्ड कोई बदल नहीं सकता है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को यह बात क्लीयर करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को नारनौंद और नारनौल के बारे में गलतफहमी हुई है। मैंने नारनौंद हल्के के बारे में नहीं बल्कि नारनौल के हल्के के गांवों के बारे में बात कही थी। आज चाहे इस बारे में इन्क्वायरी करवा लें नारनौल के हल्के के गॉवों में आज भी 20 गांवों ऐसे हैं जिनमें काफी नुक्सान हुआ था और उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। यदि आपको यह लगे कि आपकी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है तो इस बात की इन्क्वायरी करवा लीजिए ताकि मेरी, आपकी व माननीय मंत्री जी की तसल्ली हो जाए।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने सदन में अपनी बात पूरी जिम्मेवारी के साथ रखी है। मैंने सदन में अपना जवाब पूरी जिम्मेवारी के साथ यह भरोसा दिलाकर दिया है कि हमारी सरकार में किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इस सदन में एक बंदरबॉंट शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान् करे ऐसी परिस्थितियाँ दुबारा ना बनें फिर भी यह प्राकृतिक प्रकोप अंतिम बार का नहीं है। प्रकृति में भविष्य में क्या होगा इस बात की जानकारी किसी को नहीं है तथा किसान पर यह विपदा प्राकृतिक प्रकोप के कारण आई है जिस पर सरकार ईमानदारी से मरहम लगाने का काम कर रही है। इसलिए पूरी प्रक्रिया को शुद्ध करने का हमारा प्रयास है। कॉंग्रेस पार्टी की आदरणीय नेत्री ने कहा कि कोई ऐसी हिदायत है कि मुआवजा 30 प्रतिशत् से नीचे रखा जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं है। जब सरकार ने ऐसी कोई हिदायत पहले कभी नहीं दी है तो हम आज इस प्रकार की हिदायत क्यों देंगे ? हाँ, गिरदावरी की प्रक्रिया में कुछ दोष सामने जरूर आए हैं। इस संबंध में एक यह बिन्दु सामने आया कि उपायुक्त को खुद मौके पर जाकर 2 प्रतिशत् रकबे की गिरदावरी करने की आवश्यकता होती है। हमारे ध्यान में आया कि अभी भी गलतियाँ कहीं न कहीं हो रही हैं तथा उच्चस्तर के अधिकारी कहीं न कहीं अपने काम में कोताही बरत रहे हैं। श्री रणबीर गंगवा, माननीय सदस्य बता रहे थे कि जब वे एक गाँव में गए तो उनको पता चला कि कुछ विशेष कारणों से उस गाँव की फसल खराब थी। इस प्रक्रिया

मैं कमिश्नर रैंक के जो अधिकारी गाँवों में गए हैं उनका 30-30 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस बात का जवाब माननीय सदस्यों का नाम उल्लेख करते हुए नहीं दे पाऊँगा। इन उच्चाधिकारियों का इतना अधिक अनुभव होते हुए उनको मालूम है कि एक जगह पर खड़े होकर पूरे रकबे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है लेकिन वे गाँवों में रैंडम सैंपलिंग करने के लिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया में जो दोष व्यक्त किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। हम सभी जन-प्रतिनिधि हैं तथा हर रोज लोगों के बीच में रहते हैं। माननीय सदस्य ने जुलाना हल्के के 5 गाँवों का जिक्र किया है। मैं इनको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैं इन 5 गाँवों की पूरी चैकिंग करवाऊँगा। हमारे माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल जी ने भी उनके पलवल हल्के के गाँवों का जिक्र किया है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, बहन किरण चौधरी जी ने भी अपने हल्के के बहुत सारे गाँवों का जिक्र किया है। (हँसी) मैं माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को बताना चाहूँगा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने मुझे यह जानकारी दी है कि उनकी उपायुक्त से बातचीत हुई है जिन्होंने चिरवाड़ी, सजवाड़ी, सोल और अलावलपुर इन 4 गाँवों की गिरदावरी को चैक करने के आदेश दिए हुए हैं तथा जैसे ही इन गाँवों की रिपोर्ट आ जाएगी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा था कि यह रिपोर्ट कब आ जाएगी ? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अभी तक आँकड़े सरकार के पास आए नहीं हैं और अखबारों में पहले ही ये आँकड़े छप रहे हैं, रकबा छप रहा है और इतना-इतना नुकसान हो गया है, यह सब छप रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे सामने कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी हम उस पर निश्चित तौर पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे पास कमिश्नर की रिपोर्ट है। हमने अपनी तरफ से नहीं बताया है कि कितना नुकसान हुआ है। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं आई है तो मैं क्या कर सकता हूँ ?

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन मैं सदन के पटल पर जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ रिपोर्ट पढ़कर सुनाई है। यह आपके कमिश्नर की रिपोर्ट है जिसको माननीय मंत्री महोदय अच्छी तरह से देख लें व पढ़ लें। यदि सरकार को कमिश्नर ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का उच्चाधिकारियों के साथ ठीक से तालमेल नहीं है।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, यह रिपोर्ट हम निश्चित तौर पर देखेंगे तथा जनता ने जो काम हमें सौंपा है उस काम को हम उतनी बखूबी से करेंगे जितना हमने पहले गेहूँ की फसल के समय करके दिखाया है। माननीय सदस्य को जानकर यह खुशी होगी कि परमात्मा चाहेगा तो अगला सत्र फिर होगा तथा जिस प्रकार से हमने पहले किसानों को ऐतिहासिक मुआवजा दिया है, उसी प्रकार से इस बार भी हम किसानों को ऐतिहासिक मुआवजा देंगे और अगले सत्र में निश्चित तौर पर आप सदन में मेजें थपथपाने के लिए मजबूर होंगे। यही भरोसा देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई जबकि मेरे पास जो रिपोर्ट है यह डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मैं नेता प्रतिपक्ष को सदन में जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट हमारे पास आएगी हम उस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, यह डिप्टी कमीश्नर की रिपोर्ट है, मंत्री जी इसको देख लें क्योंकि यह कोई फर्जी तैयार किया हुआ कागज नहीं है।

कैप्टन अभिमन्यु : अभय सिंह जी, आप यह रिपोर्ट मेरे पास भेज दीजिए हम निश्चित रूप से इसको देख लेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों तथा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने हरियाणा में बीज की कमी से सम्बन्धित एक एडजर्नमैंट मोशन दिया था कृपया मुझे उसका फेट बताया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल साहब, आपका एडजर्नमैंट मोशन कल लगेगा।

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, हमने भी दो कालिंग अटैंशन मोशन दिए हैं उनका भी फेट बताया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : जाकिर हुसैन जी, वे अंडर कंसीड्रेशन हैं उनका फेट कल बताएंगे

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने दलितों के उत्पीड़न से सम्बन्धित एक एडजर्नमैंट मोशन लगाया हुआ है मुझे उसका फेट बताया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : किरण चौधरी जी, वह अंडर कंसीड्रेशन है इसलिए उसका फेट कल बताया जाएगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

धान की खरीद में हुए घोटाले संबंधी

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे जाकिर हुसैन तथा तीन अन्य विधायक सर्वश्री जसविन्द्र सिंह संधू, नसीम अहमद, परमिन्द्र सिंह ढुल द्वारा धान की खरीद में हुए घोटाले बारे स्थगन प्रस्ताव संख्या -2 प्राप्त हुआ है। मैंने स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या-14 में बदल दिया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक ने भी उपरोक्त समान विषय से सम्बन्धित ध्यानकर्षण प्रस्ताव संख्या-3 दिया है और समान विषय का होने के कारण इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या-14 के साथ जोड़ दिया गया है। श्रीमती किरण चौधरी को सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दी जाती है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने समान विषय से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या-16 दी है और इसको भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या-14 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला जी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। श्रीमती किरण चौधरी तथा दो अन्य विधायक श्रीमती गीता भुक्कल और डा० रघुवीर सिंह कादियान द्वारा स्थगन प्रस्ताव संख्या-4 दिया गया है। मैंने इस स्थगन प्रस्ताव संख्या-4 को कालिंग अटैंशन मोशन 19 में बदल दिया है तथा समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या-14 के साथ जोड़ दिया गया है। श्रीमती किरण चौधरी, श्रीमती गीता भुक्कल तथा डा० रघुवीर सिंह कादियान भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। श्री जाकिर हुसैन प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें और इसके बाद सम्बंधित मंत्री इस बारे में अपना वक्तव्य देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति हो तो मैं इस कालिंग अर्टेशन मोशन को पढ़ देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री अभय सिंह चौटाला : मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश में धान खरीद में हुआ लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का घोटाला सामने आया है। पिछले वर्ष लगभग 31 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी जबकि इस वर्ष लगभग 42 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सरकारी एजेंसियों द्वारा धान की खरीद की गई। परंतु इस वर्ष धान में नमी की मात्रा ज्यादा होने का बहाना बनाकर किसानों को औने-पौने दामों पर धान बेचने के लिए मजबूर किया गया। किसानों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1400/ 1450 रुपये क्विंटल की दरों पर फार्म-जे दिए गए जबकि वास्तव में उनको 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कम राशि का भुगतान किया गया। अगर किसानों को औसतन 100 रुपये प्रति क्विंटल राशि की कम अदायगी से हिसाब लगाया जाए तो सरकारी एजेंसियों की मिलीभगत से यह घोटाला लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का बनता है। इस घोटाले में संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनको संरक्षण देने वाले राजनेताओं की मिलीभगत बताई जाती है। इस घोटाले की जांच न्यायालय के किसी मौजूदा न्यायाधीश या एस.आई.टी. का गठन करके करवाई जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन भी चाहूंगा कि क्या वे इस सारे मामले की जांच उस एजेंसी से करवायेंगे जिसके बारे में हमने आग्रह किया है।

वक्तव्य -

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बंधी

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्ण देव कम्बोज) : उपाध्यक्ष महोदया, किसानों को उनके धान का पूरा भुगतान किया गया है और सरकार द्वारा कोई कटौती नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28-11-2015 तक खरीदी गई कुल 4243224 मीट्रिक टन धान का कुल 6152.67 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया है तथा कम भुगतान बारे किसानों को कोई शिकायत नहीं है। यदि कोई किसान निर्धारित 17 प्रतिशत से ज्यादा नमी वाला धान मण्डी में लाता है। तो उसको झरना/पंखा लगाकर सुखाने के लिए कहा जाता है यदि वह ऐसा नहीं करता और अपना धान ज्यादा नमी पर बेचने की जिद करता है तो आढ़ती व राईस मिलर नमी का मूल्यांकन करते हैं और उसकी उपज का मूल्य मापदण्डो अनुसार निर्धारित करते है। इस प्रकार की सहमति किसानों, आढ़तियों तथा राईस मिलरों के बीच पूर्व वर्षों में होती रही है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार धान की खरीद की गई है तथा पूरा भुगतान 1450/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया गया है।

इस वर्ष राज्य की मण्डियों में धान की आमद जल्दी होने के मध्यनजर भारत सरकार की पूर्व अनुमति से राज्य सरकार द्वारा धान की खरीद 1 अक्तूबर की बजाए 24 सितम्बर से आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार और इसकी संस्थाएं 1450/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से अदायगी कर रही है। राज्य की किसी भी मण्डी से किसानों की कोई शिकायत कम भुगतान बारे प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों की ड्यूटी

[श्री कर्ण देव कम्बोज]

प्रत्येक जिले में धान की खरीद की निगरानी के लिए लगाई गई थी और उन्हें भी कम मूल्य मिलने बारे कोई शिकायत किसी भी किसान से प्राप्त नहीं हुई। सरकार द्वारा सभी मण्डियों में आढतियों, किसानों के प्रतिनिधियों तथा खरीद संस्थाओं एवं मार्किट कमेटी के अधिकारियों/कर्मचारियों की कमेटियों का गठन किया गया, जो किसानों की किसी भी खरीद सम्बन्धी शिकायत का निवारण मौके पर ही करती है। किसानों द्वारा इस कमेटी के सम्मुख भी कोई शिकायत नहीं की गई। यदि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य मिला होता तो इस सम्बन्ध में शिकायत अवश्य की गई होती। इस बारे स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य की किसी मण्डी में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर भुगतान किया गया है तो उसका कारण धान में नमी की अधिक मात्रा अथवा सफाई का न होना हो सकता है जिसके लिए आढती, राईस मिलर तथा किसान आपसी सहमति से सफाई व नमी घटने पर वजन में होने वाली कमी के बारे में निर्णय लेते है। सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए यह आरोप कि किसानों को कम भुगतान किया गया है आधारहीन व गलत है।

पूसा बासमती 1509 किस्म की धान लगभग तीन वर्ष पहले पूसा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई थी। भारत सरकार बासमती धान का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं करती। वर्तमान खरीद सीजन के दौरान पूसा 1509 का मूल्य 1100/- रुपये प्रति क्विंटल के निम्नतम स्तर तक रहा जो ग्रेड-ए किस्म के धान के समर्थन मूल्य से कम था। इसलिए राज्य सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए भारत सरकार से इसे समर्थन मूल्य पर खरीद करने की अनुमति प्राप्त की गई। भारत सरकार धान की किस्म अनुसार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती। लम्बाई तथा चौड़ाई के अनुपात अनुसार धान खरीद के लिए दो किस्में है जिसमें पहली किस्म कॉमन है तथा दूसरी ग्रेड-ए किस्म की धान है। भारत सरकार केवल उक्त दोनों किस्मों के लिए ही मापदण्ड निर्धारित करती है तथा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य किस्म अनुसार निर्धारित नहीं किए जाते। भारत सरकार द्वारा दिनांक 23-09-2015 को पूसा बासमती 1509 धान को ग्रेड-ए धान के समर्थन मूल्य 1450/- रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने की अनुमति प्रदान की गई। स्वीकृति पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि "any paddy conforming to uniform specifications, prescribed by this Department for KMS 2015-16, can be considered for procurement at MSP by the State agencies on behalf of FCI. Paddy is not procured on varietal basis. Paddy is procured as Grade "A" (L/B ratio 2.5 and above) or "Common" (L/B ratio less than 2.5) based on length/breadth ratio."

उक्त स्वीकृति के पश्चात खरीद संस्थाओं ने मण्डी में प्रवेश किया और पूसा 1509 की ग्रेड-ए के रूप में खरीद आरम्भ की गई। इसके परिणामस्वरुप व्यापारियों द्वारा भी इसकी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर करनी शुरू कर दी। यह भी सच्चाई है कि धान की बहुत सारी किस्में जैसे कि पी.आर.-II, पी.आर. 14, पी.आर. 107, पी.आर. 106, पूसा 150, पूसा 33, पंजाब नं0 1, रतना, परमल, एच.के.आर. 120 इत्यादि बिना वर्गीकरण के आधार पर ग्रेड-ए के रूप में खरीदी जाती है।

दिनांक 20-11-2015 तक राज्य की मण्डियों में पूसा 1509 किस्म की धान की कुल 599863 मीट्रिक टन की आमद हुई जिसमें से व्यापारियों द्वारा 428146 मीट्रिक टन तथा खरीद

संस्थाओं द्वारा 171717 मीट्रिक टन की खरीद की गई है। सरकार के इस कदम से किसानों को लगभग 300 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

पूसा बासमती 1121 धान भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन नीति के दायरे में नहीं आता तथा इसके बाजार भाव भी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होते हैं। मध्य एशियाई देशों को बासमती धान का निर्यात घटने के कारण इसके बाजार भाव कम हुए थे परन्तु इन देशों के लिए निर्यात खुलने से इसके बाजार भाव में बढ़ोतरी हुई तथा इसके भाव 2800/- रुपये प्रति क्विंटल तक गए है। खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय प्रेषण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है इसलिए किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, यह जो धान की खरीद का मामला है प्रति वर्ष सरकारी तौर पर धान की परचेज़ का कार्य पहली अक्तूबर से शुरू किया जाता है। इस बार धान की मण्डियों में अराईवल जल्दी होने की वजह से हमारे पास किसानों की शिकायतें आई कि उन्हें उनकी फसल का वाज़िब दाम नहीं मिल रहा है। इसी मामले पर आदरणीय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास किसानों के काफी प्रतिनिधिमण्डल मिलने के लिए आये और उन्होंने आग्रह किया कि धान सरकारी खरीद जल्दी से जल्दी शुरू की जाये। उसके बाद धान की सरकारी खरीद जल्दी से जल्दी शुरू करवाने के लिए हमने सितम्बर महीने की 22 तारीख को भारत सरकार को पत्र लिखा जिसके बाद हमें 23.09.2015 को धान की सरकारी खरीद शुरू करने की आवश्यक परमिशन प्राप्त हो गई। इसके बाद हमने 24.09.2015 को पूरे हरियाणा प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी थी। इस प्रकार से 24.09.2015 को ज्यों ही हमने धान की सरकारी खरीद शुरू की तो जो धान की 1509 वैरायटी है जो उस समय 1000-1100 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही थी उसका रेट एकदम 1000-1100 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 1500 रूपये प्रति क्विंटल से भी ऊपर चला गया था। इस प्रकार से हमने किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया। जैसा कि यहां पर बार-बार यह कहा जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में धान की मौजूदा खरीद में घोटाला हुआ है। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस बारे में हमें पूरे प्रदेश के किसी भी किसान की कोई भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हमें आज तक किसी भी किसान ने यह शिकायत नहीं की है कि उसकी धान को कम रेट पर खरीदा गया है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के बिहॉफ पर धान की खरीद की जाती है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बंध में जो नॉर्म्ज़ फिक्स किये गये हैं उनके मुताबिक हम 17 प्रतिशत मॉइस्चर के धान की खरीद की जाती है। रात के समय धान की कटाई के कारण उसमें मॉइस्चर की प्रतिशतता बढ़ जाती है। जिस धान में मॉइस्चर की प्रतिशतता निर्धारित नॉर्म्ज से ज्यादा होती है उसकी सेल-परचेज़ किसान, आढ़ती और मिलर की आपसी अण्डरस्टैंडिंग में होती है इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए वर्ष 2010 से 2015 तक के जे.फार्म लेकर आया हूं। कांग्रेस की सरकार के समय में भी धान की फसल में नमी की अधिक प्रतिशतता के कारण कट लगाये जाते थे। प्रूफ के तौर पर मैं उस समय के जे. फार्म लेकर आया हूं। कांग्रेस के मित्र जो बातें कर रहे हैं वे इसको देख लें सारे का सारा हिसाब-किताब इनके पीछे लिखा हुआ है। यह सारे का सारा हिसाब-किताब इन्हीं की सरकार के समय का है। उस समय भी धान की खरीद इसी प्रकार से की जाती थी और किसानों से मॉइस्चर काट लिया जाता था। यहां पर मैं एक किसान

[श्री कर्ण देव कम्बोज]

के जे. फार्म लेकर आया हूं ऐसे सैकड़ों किसानों के जे. फार्म मेरे पास हैं। अधिक नमी प्रतिशतता वाली धान को बेचने के लिए आढ़ती और किसान की आपस की सैटलमैंट होती है क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वह अपनी फसल को मण्डी में सुखाये और दिन रात उसकी रखवाली करे। उसको दूसरे कामों के साथ-साथ अपनी अगली फसल की बिजाई करने की भी चिंता होती है कि वह जल्दी से जल्दी उसकी भी बिजाई करे। इस प्रकार का यह सारे का सारा मामला है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि धान की खरीद में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। हमने पूरे सीज़न के दौरान धान की सेल-परचेज़ पर नज़र रखने के लिए स्थानीय स्तर पर कमेटियां बनाई थी जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी थे, फूड एण्ड सप्लाई के अधिकारी भी थे और मार्किट कमेटी के अधिकारी भी शामिल थे। मैं एक बार फिर यह बात दोहराना चाहता हूं कि इस बारे में हमें पूरे प्रदेश में कहीं से भी किसी भी किसान से एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर हमें कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त होती तो हम निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्यवाही करते।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में बताया है कि इसमें किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। सरकार का दावा है कि मंडियों में धान की आमद ज्यादा हुई है जबकि मेरा कहना यह है कि धान की आमद ज्यादा नहीं हुई बल्कि फर्जी बिलिंग ज्यादा हुई है। जो फर्जी बिलिंग हुई है वह अधिकारियों की मिलीभगत से हुई है अन्यथा आप यह मान कर चलो कि बिलिंग ज्यादा नहीं हो सकती। जब हम इस विषय पर बात करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि हम इसकी एफ.सी.आर. लेवल के अधिकारी से जांच करवायेंगे। मंत्री जी इस बारे में कह रहे हैं कि यह काम मिलर, आढ़ती और किसान का है। धान की टोटल परचेज प्रदेश सरकार की अलग-अलग एजेंसियों करती हैं। न ही तो मिलर परचेज करता है और न ही आढ़ती परचेज करता है। 1509 किस्म का जो धान है उसकी परचेज आपकी अलग-अलग एजेन्सी ने की है। जब वह धान सरकार की एजेन्सी के द्वारा खरीदा गया है तो जो किसान को 100, 150 या 200 रूपये कम मिले हैं अगर उसका औसत निकालेंगे तो वह लगभग 10 हजार करोड़ रूपये बनता है। अगर सरकारी एजेन्सी ने खरीदा है तो क्या वह पैसा सरकार की एजेन्सी के पास गया है? सरकारी एजेन्सी ने वह धान खरीद कर मिलर को इसलिए दिया है ताकि वह उस धान से चावल निकाल कर सरकार को दे सके। हमारे प्रदेश में दो किस्म के धान हैं, एक बासमती और एक साधारण। इसमें भी एक और बड़ी बात है जिस धान को हम 1509 कहते हैं, क्या सरकार उस धान को मिलर से मिलिंग के बाद 1509 के रूप में लेगी या उसको साधारण चावल के रूप में लेगी। यहाँ हाउस में यह कहा गया कि 1509 की जब खरीद होगी तो उस पर 1509 लिखा जाये लेकिन 1509 लिखने के बजाय उसको भी साधारण धान की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसलिए आपकी बिलिंग ज्यादा हुई है। यहाँ हाउस में बताया गया है कि कैटेगरीवाईज खरीद वाला वह पत्र सरकार ने वापिस ले लिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए। इसकी जाँच एफ.सी.आर. स्तर के अधिकारी से न करा कर या तो सिटिंग जज से करवाई जाये या एस.आई.टी. का गठन किया जाये ताकि ये सारी बातें सामने आ सकें। मंत्री जी, इसमें हंसने की बात नहीं है। यह किसान का इशू है और किसान की जेब काटी गई है। किसान को 10 हजार करोड़ रूपये का

चूना लगाया गया है। मैं जब यह बात कह रहा हूँ तो आप हंस रहे हो। यह पैसा मेरी जेब में नहीं, आपकी जेब में नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जेब में गया होगा जिसने आपको भी और किसान को भी चूना लगाने का काम किया है। इसलिए इस मामले को गम्भीरता से लेते हुये इसकी जाँच के आदेश देने चाहिएं। इस बारे में आपको हाउस को आश्वस्त करना चाहिए। यह जो लगभग 10 हजार करोड़ रूपया है जो कि किसान से मॉइस्चर के नाम पर लिया गया है यह आढती खा गया, मिलर खा गया या खरीदने वाली एजेन्सी खा गई, इस बारे में हाउस को पता चलना चाहिए।

श्री कर्ण देव कम्बोज : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल उठाया है कि यह बीच का गैप है जो कट लगता है यह किसकी जेब में गया है इस बारे में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जब किसान अपनी पैडी लेकर मंडी में आता है तो हम उसको 17 प्रतिशत मॉइस्चर पर खरीदते हैं। अगर पैडी में 17 प्रतिशत से अधिक मॉइस्चर है तो सभी मिलर और आढती मिल कर उससे ऊपर 1 प्रतिशत मॉइस्चर पर 15 रूपये का कट लगाते हैं क्योंकि जब मिलर उस धान को अपने मिल में ले जा कर सुखाता है तो उसकी मॉइस्चर उड़ने से उस धान का वजन कम हो जाता है। जब हम मिलर से राईस लेते हैं तो मंडी से जितना धान तुल कर जाता है उसी हिसाब से लेते हैं। मिलर का कहना यह है कि मॉइस्चर उड़ने से जो वजन में फर्क पड़ता है उसके बदले में वह 100-150 रूपये का कट लगाता है। यह मामला इस प्रकार से है। इस बारे में हमने मिलर से, आढतियों से और किसानों से भी बात की है। उपाध्यक्ष महोदया, किसान भी यही कहता है कि अगर हम अपने खेत में जीरी सुखा कर लाएंगे तो वाकई में ही हमारी फसल का वजन कम होगा। इस बात को किसान भी मानता है। जहां तक वैरीफिकेशन की बात है हमने 100 प्रतिशत वैरीफिकेशन के आदेश दिये हुए हैं जिसके लिए टीमें बनी हुई हैं जिनसे हम पूरे प्रदेश में यह वैरीफिकेशन करा रहे हैं। पहले हमने गेहूँ की फसल की भी इसी प्रकार फिजिकल वैरीफिकेशन करवाई थी और जहां-जहां इस प्रकार की कमी मिली है और जहां स्टोक कम मिला है वहां भी हम उन लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके कार्यवाही कर रहे हैं। सरकार ने पैडी में भी आदेश दिये हुए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां-जहां जिन मिलों ने अपनी पैडी दी हुई है वह लगभग 750 मिलें हैं जिनमें हमने सी.एम.आर. प्रिक्योरमैंट की पैडी दी हुई है उसके लिए सरकार ने सारी जगह टीमें बनाकर इनकी फिजिकल वैरीफिकेशन करने के आदेश दे दिये हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, जो बात मैंने पूछी है मंत्री जी ने उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मैंने इनसे यह पूछा है कि जो धान की खरीद की गई है क्या वह आढ़ती ने की है ? क्या वह मिलर ने की है या आपकी एजेंसियों ने की है। अगर आपकी एजेंसी ने धान की खरीद की है तो फिर चैक भी आपकी एजेंसी के थ्रू गये हैं। जहां तक किसान को समर्थन मूल्य देने की बात है जब केन्द्र सरकार की तरफ से एक समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है तो फिर किसान को उतना पैसा मिलना चाहिए। हमने आज तक पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। आप तो कहते हो कि मैं पिछले समर्थन मूल्य भी लेकर आया हूँ लेकिन आज तक हरियाणा की हिस्ट्री में ऐसी बातें नहीं हैं। पंजाब आपके साथ लगता हुआ सूबा है वहां पर भी इस तरह की कोई कम्प्लेंट नहीं है। क्या पंजाब के चावल में मॉइस्चर नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इस किस्म की कोई कम्प्लेंट नहीं है। (विघ्न)

भू एवं खनन राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : उपाध्यक्ष महोदया, पूरे प्रदेश से किसी एक किसान की भी हमारे पास कोई कम्प्लेंट नहीं आई हैं। यह सब पोलिटिक्ल पार्टी की तरफ से ब्यानबाजी हो रही है। हमारे पास किसी भी किसान की एक सिंगल कम्प्लेंट भी नहीं आई है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, यह मुख्यमंत्री के समक्ष किसानों ने शिकायत की है। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने सोचा था शायद विषय हो ही जाएगा लेकिन मैं सारी डिटेल बता देता हूँ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि पोलिटिक्ल पार्टियां अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ इसमें मैं और कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहती जब डायरेक्टर जनरल, फुड एण्ड सिविल सप्लाई ने डी.एफ.एस.सीज. को चिट्ठी लिखी कि धान की किस्मों के दोनों रजिस्टर अलग-अलग मेनटेन किये जाएंगे तो हफ्ते बाद दूसरी चिट्ठी लिखकर उसको विदड्रॉ क्यों किया गया इसके पीछे किसका प्रैशर था। यह तो सीधी सी बात है कि यह सब मिलर्ज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। मैं सोच रही हूँ कि यह इतना जबरदस्त फायदा किस को मिला जिससे किसान को 10 हजार करोड़ रूपये का चूना लग गया। धान की जो पूसा 1509 किस्म की फसल 4 हजार रूपये प्रति क्विंटल में बिकती थी वह अबकी बार 1100-1200 रूपये प्रति क्विंटल के बीच में बिकी है। (विघ्न) आप क्या बात कर रहे हैं। यह क्या मतलब हुआ? (विघ्न) What is this? Madam, Please maintain the House. What is this? Is it the part of Calling Attention Motion? If it is not a part of that, then why you are allowing him to speak in my speech? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये क्यों बीच में बोल रहे हैं।

श्री नायब सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, आज किसान को पूरा पैसा दिया गया है। किरण चौधरी जी सदन को गुमराह कर रही हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने सीधा स्पष्ट प्रश्न पूछा है आप हमें उसका जवाब दे दीजिए कि जब पहले तो डी.एफ.एस सीज. को ग्रेड रजिस्टर मेनटेन करने के लिए कहा गया है और हफ्ते बाद उसको हटा दिया जाता है तो ऐसा किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : डिप्टी स्पीकर मैडम, सरकार के माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बताया कि पिछले साल तकरीबन 30 लाख मीट्रिक टन और अब की बार लगभग 42 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार हुई है। यह जो 12 लाख मीट्रिक टन धान ज्यादा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें कि क्या सोईंग का एरिया ज्यादा बढ़ गया है या फिर धान की पैदावार ज्यादा हुई है। माननीय मंत्री जी ने यह माना है कि इनकी आपस में ऐसी सैटिंग होती है। एक तरफ तो जे-फार्म में 1450 रूपये की रसीद काटते हैं और किसान को दिये जाते हैं 1250 रूपये क्या यह बात लीगल है? कहने को तो

मिनिमम स्पोर्ट प्राईस के हिसाब से जे-फार्म पर 1450 रूपयें की रसीद काट दी जाती है और किसान की जेब में केवल 1200 रूपये गये फिर यह 250 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कहां गये ? उसके बारे में कोई अता-पता नहीं है या तो वह पैसा सरकार के खजाने में गया हो तब तो कोई बात है। जब सरकार खरीद करती है तो मैडम क्या यह संभव है कि हर ढेरी का मॉइश्चर चैक किया जाए। यह संभव नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहूंगा कि इसके लिए क्या क्राईटेरिया फिक्स किया गया था क्योंकि अकेली ढेरी बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद तो यह बिल्कुल दिन में डेकेती वाली बात थी और सारे किसानों को लूटा गया है जिसके लिए कम से कम यह 8 या 10 हजार करोड़ रूपये का घोटाला है। इसके बारे में जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है सरकार को स्पष्ट तौर पर सी.बी.आई. से इस मामले की जांच करवानी चाहिए। अगर आप इसकी इन्क्वायरी किसी कमिश्नर लेवल पर करवायेंगे तो जो किसानों का हजारों करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है वह बात बिल्कुल साफ होने वाली नहीं है। आप बात करते हैं और हम भी बात करते हैं कि पूर्व की केन्द्र की सरकार में हजारों-हजारों रूपये के बहुत घोटाले हुये हैं। **(इस समय श्री अध्यक्ष चेयर पर पदासीन हुए।)** आज बात की जा रही है कि पिछली हुड्डा जी की सरकार में दस साल में घोटाले हुए उनकी जांच कराई जाए। लेकिन यह घोटाला भी कोई कम नहीं है। मुख्यमंत्री जी इसको आपको सीरियस लेना चाहिए यह हमें आपसे उम्मीद है। बाकी आगे जो होना है वह तो होना है हरियाणा की जनता आपसे यह स्पष्ट चाहती है कि आप इसमें इन्साफ करेंगे और किसानों के साथ जो दस हजार करोड़ रूपये की ठगी हुई है उसको आप वापिस करवाने में उनकी मदद करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले की सी.बी.आई. जाँच होनी चाहिए।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, आप किसान हैं इसलिए जैसा कि आप खुद जानते हैं कि यह धान का मुद्दा है इसमें बहुत भारी घोटाला हुआ है जो पूरे प्रदेश के सामने आया है। दिनांक 23.11.2015 को हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमण्डल माननीय प्रतिपक्ष के नेता के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। उस समय लम्बी चौड़ी बातचीत करने के बाद और सभी तथ्य सामने रखने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया था। स्पीकर सर, इस घोटाले में बार-बार उंगली सरकारी महकमे के अधिकारियों की तरफ उठाई जा रही हैं कि उनकी मिलीभगत से पिछले दरवाजे से 250-300 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का लिया गया है और अब उस कमीशन को लीगलाईज किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने भी ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस यह बात मानी है। स्पीकर सर, किसी भी कमीशन को लीगलाईज करना चाहे वह किसी भी सरकार के द्वारा किया गया हो यह एक अच्छी परम्परा नहीं है। इस बात का यह जवाब नहीं है कि पहले वाली सरकार ने बुरा किया है तो हम भी बुरा करेंगे और कल को कोई दूसरा भी करेगा। इसके लिए सरकार को कोई अच्छा सा रास्ता निकालना चाहिये क्योंकि सरकार का काम है कि पिछली बातों को ठीक करना और आगे से उन बातों को अच्छी तरह चलाना। यही एक परम्परा है। आरोप-प्रत्यारोप तो अलग चीज है। कुल मिलाकर इसमें किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये सारी बातें सरकार के सामने आई हैं। इसमें सरकार ने भी यह माना है और उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना था कि इस साल धान की 42 लाख मीट्रिक टन परचेज हुई है और पिछली साल 31 लाख मीट्रिक टन परचेज की गई थी। तमाम सर्वे यह बताते हैं कि न तो पहले से ज्यादा धान की सोईंग की गई और

[श्री जाकिर हुसैन]

हरियाणा में तकरीबन जो धान की फसल होनी चाहिए वह 30 से 31 लाख मीट्रिक टन होनी चाहिए। जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनका यह सभी का अनुमान है लेकिन जो यह 42 लाख मीट्रिक टन अनाज आया है इस बारे में हमने उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था कि इतना अनाज खरीदा ही नहीं गया बल्कि यह दो नम्बर में 1450 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब 18.00 बजे से परचेज दिखाई गई है। जो बासमती के चावल की है और राईस मिलर्ज़ को 10-11 लाख मीट्रिक टन की एक्सैस पैमेंट हुई है। सरकार ने उनको पेमेंट कर दी है जिसको वे मार्च तक वापिस भी करेंगे। यह पैसा उनको मिलिंग के लिए दिया गया है जिसके वे चार्जिज़ लेंगे। पहली बात तो यह है कि वे इस सारे पैसे का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बात यह है कि जे-फार्म के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि चावल की क्वालिटी क्या ली गई है। जे-फार्म में 1509 किस्म कहीं भी नहीं लिखी हुई है। यह जे-फार्म अभी मैंने दिखाया है। माननीय मंत्री जी भी आ गए हैं, इस बारे में वे अपना जवाब भी सदन में देंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जे-फार्म में चावल की क्वॉलिटी ही नहीं लिखी गई है जबकि राईस मिलर्ज़ को बासमती चावल दिया गया है। इस प्रकार से जब राईस मिलर्ज़ चावल को वापिस करेगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार से धान की ट्रेन की ट्रेन लदकर आएंगी जो मोटे अर्थात् साधारण चावल की होंगी जिसका तकरीबन 900/- रुपए प्रति क्विंटल भाव है, वह चावल वे हरियाणा सरकार को वापिस करेंगे। यदि 550 मीट्रिक टन को यदि 11 लाख मीट्रिक टन से गुणा करें तो यह लाखों-करोड़ों का घोटाला बनता है। इस घोटाले में हरियाणा सरकार के अधिकारी सीधे तौर पर इन्वाल्वड हैं जिनकी मिलीभगत से यह सब हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब खुद एक नई परम्परा स्थापित करना चाहते हैं कि वे हरियाणा राज्य को भ्रष्टाचार-मुक्त करेंगे। इसलिए हमारी 23 नवम्बर को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही माँग थी और आज भी यही माँग है कि उनको इस घोटाले की जाँच से न उस दिन बचना चाहिए था तथा न ही आज बचना चाहिए। चूंकि जब अधिकारी ही इस घोटाले में संलिप्त हैं तथा अधिकारियों पर कहीं न कहीं किसी प्रकार का प्रैशर रहता है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस घोटाले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज़ से इन्क्वायरी करवाई जाए। उनसे बड़ी और कोई independent agency नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह लाखों-करोड़ों रुपए का घोटाला है जो सीधा-सीधा सरकार के सामने है। जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज़ गोदाम चैक करेंगे तो पता चलेगा कि 11 लाख मीट्रिक टन अनाज है ही नहीं जिसकी बिलिंग व पेमेंट भी हो गई है। सर, इस प्रकार से उन लोगों को बचाने का सरकार का यह एक अच्छा कदम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आज मेरा एक तारांकित प्रश्न सं० 969 लगा हुआ था जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अगले सैशन में उत्तर देने के लिए आश्वासन दिया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मेरे उस प्रश्न में भी यही बात है जो सामने ही दिख रही है। It is written on the wall कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन लोगों को क्यों बचाना चाहते हैं ? मेरी यह विनती है कि इस मामले में भी और मेवात जिले के पंचायत विभाग में हुए घोटाले में भी सीधे जाँच के आर्डर करें, अपने आप दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि सरकारी अधिकारियों से इन घोटालों की जाँच करवाना तो ऐसा होगा कि जैसे दूध की रखवाली बिल्ली करती है अर्थात् आखिर में कुछ नहीं मिलेगा, सारी चीज़ खत्म हो जाएगी तथा रिकार्ड भी खत्म कर दिया जाएगा। अध्यक्ष

महोदय, करोड़ों रुपए का घोटाला आपके सामने है। पहले प्रदेश में गेहूँ खराब हुआ तथा अब धान खराब हो रहा है। 18 करोड़ रुपए का धान तो एक जगह पर खराब हुआ है। सर, मेवात जिले में हमने गेहूँ की खरीद में देखा है कि किसान अनाज मंडी में अपनी गेहूँ लेकर आता था तथा हम सभी इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक भी वहाँ पर जाते थे। जब प्रात: 9.00 बजे किसान आता था तो उसको बोला जाता था कि तुम्हारा तो गेहूँ खराब है, इसकी तो क्वॉलिटी अच्छी नहीं है, इसमें तो फलाँ कमी है। किसान सुबह से लेकर दोपहर तक ऐसे ही व्यर्थ में बैठे-बैठे मायूस हो जाता था। दोपहर बाद किसान सोचने लगता था कि अब वह इस अनाज की ट्रॉली का क्या करे ? बड़े दु:ख की बात है कि किसान की मजबूरी का फायदा उठाते हुए 300/- रुपए प्रति क्विंटल कम भाव देकर वही गेहूँ खरीद लिया गया। फिर वह गेहूँ कैसे अच्छा हो गया ? इस प्रकार से यह ब्लैकमेलिंग सरकारी पर्चेज़ एजेंसी, विधायकों और जिलाधिकारियों के सामने हुई है। इस बात का मैं खुद भी गवाह हूँ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछली फसल के दौरान तो सरकार ने किसान का एक-एक दाना सारे लौस के साथ खरीदा है जिसका घाटा भी सरकार ने उठाया है। पिछली फसल के दौरान एक ट्रॉली भी यदि बची हो तो ये बताएं।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि मैं एक पंचायती आदमी हूँ। मैं कभी भी गलत बात नहीं कहता हूँ। यह वाकया नूँह की अनाज मण्डी में हुआ था जब सुबह जमींदार आते थे। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि चाहे कितना भी लौस हो हम गेहूँ खरीदेंगे।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने अनाज नहीं खरीदा है। सरकार ने तो अनाज खरीदा है लेकिन आढ़तियों ने लोकल सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को ब्लैकमेल किया और किसान ने मायूसी में कम भाव पर अपना अनाज बेच दिया। जैसे माननीय मंत्री जी अभी सदन में अनाज में नमी की बात कह रहे थे। अनाज में नमी की वजह से किसानों को कहा गया कि या तो वे अपना अनाज वापिस ले जाएं अन्यथा 200-250/- रुपए की कटौती करवाकर अपना अनाज बेच दें। यह ब्लैकमेलिंग गेहूँ की फसल के समय भी हुई है। मैं इस महान् सदन में गलत बात कतई नहीं कहूँगा। इस बात को माननीय मंत्री जी भी खुद एडमिट कर रहे हैं कि गेहूँ की फसल के समय भी किसान के साथ यह ब्लैकमेलिंग हुई है। (विघ्न) चूँकि बहन कविता जैन जी हर किसी माननीय सदस्य की बात में व्यर्थ की टीका-टिप्पणी करती रहती हैं इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करूँगा कि इनको पार्लियामैंटरी अफेयर्ज़ या गृह जैसा कोई बढ़िया सा विभाग दे दिया जाये तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज है कि इसमें दो और दो चार की बात है और इसमें दो और दो पांच की कहीं कोई बात नहीं हैं। हाई कोर्ट के जज से इसकी भी इन्कवायरी करवाई जाए और मेवात में पंचायती राज की भी जांच करवाई जाए क्योंकि वहां कोई कागज पत्र ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी अपील है कि हाई कोर्ट के जज से इस घोटाले की इन्कवायरी करवाई जाए तथा दोषी व्यक्तियों को जेल में भेजा जाए और किसानों को रिलीफ दिया जाए।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि 11 लाख टन फालतू धान की खरीद हुई इसलिए मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि पिछले साल कितने क्षेत्र में धान की उगाई हुई थी और इस साल कितने क्षेत्र में धान की उगाई हुई है, कितने क्षेत्र में पिछले साल नुकसान हुआ था और अब कितने क्षेत्र में नुकसान हुआ है। सरकार यह भी बताए कि कृषि डिपार्टमैंट के हिसाब से एवरेज उत्पादन कितना हुआ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, धान खरीद के घोटाले की यहां बात आ रही है। इस घोटाले का सबसे बड़ा सबूत यह होगा कि आप जिला वाइज मिलों से और आढ़तियों से आंकड़ें लें कि किस जिले में कितनी पैदावार हुई है। जिला वाइज आंकड़े आ जाने पर पता चल जाएगा कि वास्तव में कितनी गड़बड़ हुई है। जो 100, 150 या 200 रूपये की बात मंत्री जी बता रहे हैं कि नमी का काटा गया है उसके बारे में मंत्री जी साफ-साफ जवाब दें कि वह पैसा कहां गया है। वह पैसा सरकार के खाते में गया है या मिलर्स के खाते में गया है या फिर आढ़तियों के खाते में गया है। मंत्री जी इस मेन प्वांयट का जवाब गोल माल दे रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी इसका स्पष्ट जवाब दें और इस घोटाले की जांच सी.बी.आई. से करवाएं क्योंकि यह किसानों से सम्बन्धित बहुत बड़ा मामला है।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री श्याम सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी नसीम अहमद जी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा का किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। ये क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि क्षेत्रवाद कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसान अपना माल हरियाणा में बेच सकता है और हरियाणा का किसान उत्तर प्रदेश में अपना माल बेच सकता है। इंडिया सिंगल जोन है जहां किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नसीम अहमद जी, मंत्री जी इस बारे में क्लीयर कर देंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मुद्दा जोकि एडजर्नमैंट मोशन के रूप में आया था लेकिन उसको कालिंग अटैंशन मोशन के रूप में लिया गया है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक ही बात कह रहा है कि धान की खरीद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और मंत्री जी इस बात पर स्टैंड ले रहे हैं कि उनके पास एक भी किसान शिकायत लेकर नहीं आया है या मुख्यमंत्री जी को किसी ने शिकायत की हो। हमारे माननीय नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जिसमें हमने सारे तथ्य दिए है। मंडियों में हम स्वयं भी गए हैं और धरने भी दिये है और सभी जगह किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। धान की बैल्ट विशेषकर जो जी.टी.रोड की बैल्ट है जोकि बी.जे.पी. का गढ़ रहा है और बी.जे.पी. से बहुत से विधायक चुनकर आए हैं और यहां बैठे हुए हैं। यह बात हमारी समझ से बाहर है कि इनको वहां से एक भी किसान की शिकायत नहीं मिल रही है। आज सभी जगह किसान यूनियन वाले इस बात को लेकर धरना दे रहे हैं कि धान की खरीद में बहुत बड़ा घपला हुआ है। जो किसान पहले धनवान हुआ करता था वह आज आत्महत्या की राह पर जा रहा है। हमारे किसान ने पहले ओलावृष्टि की मार झेली और अब धान की खरीद में इतना बड़ा घपला

हो गया। मैं मुख्यमंत्री महोदय और सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस घोटाले की जांच सी.बी.आई. से करवाई जाए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए ताकि आर्थिक तौर पर किसान जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है उसके साथ न्याय हो सके।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, आपने मुझे इस बारे में बोलने के लिए समय दिया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी बात रिपीट न हो और जो भी बात की जाये वह राजनीति से ऊपर उठकर की जाये। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह बात रखना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। किसी भी प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं माना है कि यह राईस मिलर्ज़ की, कमिशन एजैंट्स की और फार्मरर्ज़ इन तीनों के बीच की अण्डरस्टैंडिंग थी। यह बात माननीय मंत्री जी ने ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कही है कि 15/- रूपये एक प्रतिशत अतिरिक्त नमी के लिए कट लगाने का कोई कानूनी प्रावधान है या यह राईस मिलर्ज़, कमिशन एजैंट्स और फार्मरर्ज़ इन तीनों के बीच की अण्डरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। जब इन्होंने मेंशन किया है तो मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि यह इनके नोटिस में कैसे आया। ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं कि जब 1450/- रूपये के निर्धारित रेट के उसको 1200/- रूपये ही प्राप्त हुए हैं तो बाकी के कहां जमा हुए हैं ? यह आढ़ती के खाते में जमा हुए या फिर मिलर के खाते में जमा हुए अथवा मार्केटिंग बोर्ड के खाते में जमा हुए क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड मण्डियों में कमिशन एजैंट्स और फार्मरर्ज़ का संरक्षक है। मैं यह जानना चाहूंगा कि मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी उस समय क्या कर रहे थे जब किसान को लूटा जा रहा था। इस बारे में भी बताया जाये। अगला एसपेक्ट मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि यह जो इतना बड़ा घोटाला हुआ इसमें डॉयरेक्टर जनरल, फूड एण्ड सप्लाईज़ की तरफ से 25.09.2015 को एक पत्र जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि अलग-अलग वैरायटी के अलग-अलग रजिस्टर मेनटेन किये जायें और उसमें इस बात का रिकार्ड लिखा जाये कि 1450/- रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रक्योरमैंट प्राईस ली जाये। सर, धान की 1509 वैरायटी खरीदी गई जो कि सरकार के पैसे से खरीदी गई क्योंकि सरकार ने उसकी मार्केट फीस दी। इसी प्रकार से सरकार ने उसकी लेबर दी। (विघ्न) इस प्रकार से कुल मिलाकर 55 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई। इस 55 लाख क्विंटल धान में तकरीबन 40 लाख क्विंटल परमल और पूसा धान की खरीद की गई और इस प्रकार से 1509 वैरायटी 15 लाख क्विंटल के करीब खरीदी गई। 1509 वैरायटी के बारे में सभी जानते हैं। डॉयरेक्टर जनरल, फूड एण्ड सप्लाईज़ के पत्र ने इसको डाउनग्रेड किया और डाउनग्रेड करके इसको ग्रेड 'ए' में लिया और ग्रेड 'ए' में लेकर इसको इसमें मिला दिया जिसके लिए मिलर रिस्पांसीबल नहीं था कि मिलिंग के बाद 1509 वैरायटी की धान को वापिस किया जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1509 वैरायटी का उसने क्या किया। मैं यहां पर सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि धान की 1509 वैरायटी को मिलर ने अपने पास रखा लेकिन आज वह उसके पास भी नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं कि पूरी की पूरी 1509 वैरायटी का धान केन्द्र के मंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के चहेते और अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप व रिलायंस ग्रुप सभी ने मिलकर हरियाणा के मिलर से खरीद लिया है। (विघ्न) मैं माननीय स्पीकर साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष श्री सुभाष बराला की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन करें जो कि दिल्ली के चारों तरफ जितने भी गोदाम हैं, चाहे वह अलीपुर में है, चाहे वह

[डॉ० रघुवीर सिंह कादियान]

हमीरपुर में है और चाहे वह बेखाली में है उनको चैक किया जाये। मैं यह बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आज ये सभी गोदाम 1509 वैराइटी की धान से भरे हुए हैं। अगर आप मेरे दावे की सत्यता जानना चाहते हैं तो मेरे कहे मुताबिक श्री सुभाष बराला की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक कमेटी बना दें वह इस बात की जांच कर लेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। यह मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं बल्कि यह मैं सिर्फ हरियाणा प्रदेश के किसान के हित की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें किसानों के साथ बहुत बड़ी लूट हुई है। पहले जो धान 4 हजार रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकती थी आज वह धान 2000 रूपये प्रति क्विंटल और 1200 रूपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी गई है। हरियाणा में अकेले फार्म हाउसिज़ को 50 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। यह जांच का विषय है। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है कि इसकी जांच सी.बी.आई. से या एस.आई.टी. से करवाई जानी चाहिए, तो जांच करवा ली जाये दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। मेरा यही कहना है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो रही है यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। अगर इसकी जांच नहीं करवाई गई तो यह हर बार के लिए एक प्रथा पड़ जायेगी। सभी साथियों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि किसी की शिकायत नहीं मिली यह बात ठीक नहीं है। मैं स्वयं करनाल की मंडी में गया था जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। वहाँ पर किसानों ने मीडिया के सामने शिकायत की थी कि 1450/- रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारे हस्ताक्षर करवाये हैं और हमें 1200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे दिये हैं। इस प्रकार की शिकायतें मुख्यमंत्री जी के सामने भी आई होंगी। दूसरी बात यह है कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसके पीछे कौन है यह तो जांच से ही पता चलेगा। अभी मैं निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता लेकिन घोटाले में कोई कमी नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जितने भी राईस मिलर्स हैं इन सबके आप स्टॉक चैक कर लीजिए सभी ने छत्तीसगढ़ से ऑर्डर दे रखे हैं। बाद में आपको कितना चावल वे देते हैं आपको पता चल जायेगा कि 1509 किस्म का धान कहाँ से आया है ? जो 25 तारीख को आदेश दिया गया था वह ठीक दिया गया था कि वैराईटीवाईज धान की एंट्रीज कीजिए लेकिन उसके बाद 29 तारीख को वह पत्र वापिस ले लिया गया। यह घोटाले का पहला कदम है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, लोगों को इस बात की तसल्ली होनी चाहिए और किसानों के मन में सरकार के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए। इसका एक ही तरीका है कि हरियाणा की किसी एजेन्सी से नहीं बल्कि हाई कोर्ट के सीटिंग जज के अन्तर्गत इसकी जाँच होनी चाहिए और दोषी का पता लगना चाहिए ताकि किसान का विश्वास जगे।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में कोई बात दोहराऊंगा नहीं क्योंकि इस विषय पर पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूँ कि गांवों में हुक्के पर बैठ कर लोग यह बात कहते हैं कि यह सरकार धान बोने वालों की और पंचायत का चुनाव लड़ने वालों की कमर के नीचे से मिट्टी निकालने में लगी हुई है। दूसरी बात जिसे मैं सरकार की गलती कहूँगा कि

ईराक के साथ धान एक्सपोर्ट करने की संधि उस समय क्यों की गई जब सारा धान व्यापारियों ने खरीद लिया ? यह संधि धान के मंडियों में आने से पहले भी हो सकती थी। इन्होंने व्यापारियों को ढील दी है। हमने इस बारे में अखबारों में पढ़ा है। यह संधि उस समय करनी चाहिए थी जब धान मंडियों में आना शुरू हुआ था। अगर उस समय ये संधि की गई होती तो फायदा किसानों को होता लेकिन आज वह फायदा किसानों को न मिल कर व्यापारियों के घरों में जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है उस पर अगर यह सरकार शक करती है और कहती है कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ तो भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मंडियों में अधिकारियों और मिलर्स की मिलीभगत से यह खेल खेला गया है। किसान को मॉइस्चर का डर दिखा दिया कि हम मॉइस्चर वाला धान नहीं खरीदेंगे और किसान ने सोचा कि उसका धान नहीं बिकेगा इसलिए उसे कम कीमत पर अपना धान बेचना पड़ा। किसानों से धान 1450/- रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया और उनको 1100-1200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे दिये गये। मंत्री जी ने अपने जवाब में एक बात और कही है कि इन्टर स्टेट धान के आने-जाने पर कोई बैन नहीं था। अध्यक्ष महोदय, कर्ण देव कम्बोज जी हमारे जिले के इंचार्ज हैं इनसे पूछिये कि पलवल के डिप्टी कमिश्नर ने किस बात का बैन लगा रखा था ? वहाँ पर बैन था तो न तो होडल रोड से धान लेकर एंटर हो सकते थे और न ही अलीगढ़ रोड से एंटर हो सकते थे। मैंने इस बारे में स्वयं मंत्री जी से फोन पर बात की थी। अध्यक्ष महोदय, सरकार मां-बाप की तरह होती है। जिस तरह मां-बाप के सामने परिवार में कुछ अच्छे व बुरे सब तरह के लोग होते हैं और उन सबको मां-बाप को गले लगाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसकी ज्यादा गहराई में न जाकर के लोगों के मनों को जीतने का काम करें। हरियाणा के किसानों के मन में जो एक वहम जा चुका है, जो नुकसान की आहट उनके चेहरों पर दिखाई दे रही है उसको दूर करने के लिए धान खरीद घोटाले की सी.बी.आई. से जांच कराएं या आप हाई कोर्ट के अपने किसी जज से जांच कराएं। बल्कि हमें तो आपके ऊपर विश्वास है आप खुद इसकी जांच कर दीजिए। आप सारे जिलों में जाईये और जहां कहीं इस बात की झूठ पाई जाए तो आप आगे से बेशक मुझे सदन में बोलने की इजाजत मत देना। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप खुद ही इसकी जांच कीजिए।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार अभय सिंह जी भी बोले हैं, हुड्डा साहब भी बोले हैं मुझे लग रहा था कि शायद उसमें बहुत सीरियसली कोई विषय सामने आयेगा लेकिन जो भी अच्छे कार्य हुए हैं उनको भी नेगेटिवली प्रेजेंट किया जा रहा है। अबकी बार धान खरीदा जा रहा था 1100-1200 रूपये प्रति क्विंटल पर लेकिन सरकार ने कोशिश की कि उसको 1450/- रूपये प्रति क्विंटल खरीदा जाए। बासमती धान पहले कभी खरीदा नहीं गया उसको सरकार ने खरीद में शामिल करवाया और ज्यो ही शामिल करवाया उसका भाव 1450/- रूपये प्रति क्विंटल से भी ऊपर गया और कुछ मंडियों में तो वह 1500-1600 रूपये प्रति क्विंटल तक बिका है। उसकी कुछ खरीद सरकार ने भी की जिसके लिये सरकार एक पार्टी के रूप में आई और उसका हमने भाव बढ़वाया। केन्द्र सरकार की एफ.सी.आई. इस सारे धान को अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेती है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए कोई मानक तय नहीं किये थे। लेकिन हमने केन्द्र सरकार से उसकी बिक्री करवाने की अनुमति ले ली। इस तरह से सरकार ने एक अच्छा काम किया है जिसकी वजह से किसान को अच्छे दाम मिले हैं। उसी अच्छें काम को आप घोटाले के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, अब आपने पूरी बात रख दी अब आप मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिए।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तो कह रही है कि हमने तो उस धान को अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बांटना है जो हमेशा एक ही तरह का बांट रहे हैं। अगर हरियाणा सरकार कह रही है तो आपकी मदद के लिए खरीद लेते हैं। इसमें केन्द्र सरकार ने हमारी मदद की इसके लिए हम केन्द्र सरकार के और पासवान साहब के धन्यवादी हैं। जो भाव हमारे समर्थन मूल्य से नीचे चला गया था केन्द्र सरकार को तो वह 1100/- रूपये प्रति क्विंटल में मिलता जब हरियाणा सरकार बीच में आ गई तो वही धान उनको 1450/- रूपये प्रति क्विंटल के भाव में लेना पड़ा। हमने किसान के लिए यह अच्छा काम किया है लेकिन उसी को आप घोटाले के रूप में रख रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप पूरी बात सुन लीजिए। देखो, अब तक 18-20 आदमी बोल लिये हैं। प्लीज, आप बैठिये। (विघ्न) सप्लीमैंट्री तो हो लिये और कितनी सप्लीमैंट्री लोगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे यह जानना चाहते हैं कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां खरीद सकती हैं और दूसरी तरफ आपके मंत्री यह कहते हैं कि जिस सरकारी एजेंसी ने धान खरीदा है उसके खाते में वह पैसा नहीं आया है। कहते हैं वह पैसा आढ़ती के पास चला गया, वह पैसा मिलर के पास चला गया या वह पैसा कोई तीसरा खा गया। हम यह पूछ रहे हैं कि वह पैसा कहां गया है। अगर आपकी सरकारी एजेंसी खरीद करती है और उसकी पेमेंट भी सरकारी एजेंसी करती है तो वह पैसा सीधा किसान के खाते में आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप मंत्री जी की पूरी बात सुन लें उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो उसके बाद देखेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं सवाल इस बात का नहीं है इसमें हमें कोई एतराज नहीं है कि सरकार ने फसल खरीदने का फैसला किया अच्छी बात है यह फैसला किसान के हक में है। सवाल इस बात का है कि जो शुरू में आदेश हुआ कि रजिस्टर में अलग-अलग वैरायटी की एंट्री होगी। आप अगर एल.वी. में चावल लेंगे तो क्या वह 1509 वैरायटी का चावल लेंगे पहले तो आपने आदेश दिया कि हर वैरायटी की अलग-अलग रजिस्टरों में एंट्री करो और फिर 29 तारीख को आपने वह लैटर विदड्रॉ कर लिया फिर तो वह सारा धान कॉमन पैडी के अन्दर हो गया तो सवाल इस बात का है कि क्या जिस भाव 1509 किस्म का चावल मिलता है उस चावल का भाव और दूसरे चावल का भाव एक है वह सबसे बड़ा घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मंत्री जी उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप पहले मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद अखबार में मंत्री जी की स्टेटमैंट पढ़ी थी उसमें सरकार खुद मान रही है कि 39.6 करोड़ रूपये का तो राईस मिल को फायदा हुआ है। विभाग तो 39.6 करोड़ रूपये का घोटाला मान रहा है मेरे अपने अनुमान से तो इसमें कम से कम

2 हजार करोड़ रूपये का घोटाला है इसलिए इस मामले की जांच कराने में सरकार को क्या दिक्कत है ? इसमें जांच करवाने में क्या हर्ज है। अगर घोटाला नहीं होगा तो नहीं आयेगा। जांच के बाद इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप चाहे हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवा लो अगर घोटाला नहीं होगा तो नहीं आयेगा लेकिन यह सब लोगों के संज्ञान में है कि घोटाला हुआ है। बासमती चावल की और 1509 किस्म के चावल की जो एल.वी. आनी थी अगर वह कॉमन के भाव में आयेगी तो मार्किट में 1509 किस्म के चावल का क्या रेट है और कॉमन वैरायटी के चावल का क्या रेट है वह सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं वे अपनी सीट पर बैठे हुए हैं वे अपना जवाब खुद दें। कृषि मंत्री बीच में लीपापोती करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सरकार ने जब 1450 रूपये प्रति क्विंटल खरीद का भाव रखा था और किसानों को 1200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिले तो फिर ये 250 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कहां पर गये इस बारे में सरकार स्पष्ट करे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इतने सारे सभी सदस्य इस विषय पर बोले हैं, सबके प्रश्न आ गये हैं, सभी सदस्यों की शंकाएं आ गई, सबके तथ्य आ गये। इसके बाद अगर सरकारी उत्तर जब तक पूरा नहीं आयेगा तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है क्योंकि बीच बीच में पार्टस में कोई उत्तर नहीं आता। उत्तर होता है पूरा, पहले पूरा उत्तर सुन लें, समझ लें। अगर फिर भी कोई बात रह गई तो मुझे फिर आखिर में बोलना है। मैं इस पूरे विषय के साथ शुरू से आखिर तक जुड़ा हुआ हूं। ऐसा नहीं है, सरकार में कोई भी मंत्री किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, जब संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित न हो उस समय दूसरा मंत्री उस विभाग के प्रश्न का उत्तर दे सकता है अगर मंत्री सदन में उपस्थित है तो जवाब संबंधित मंत्री को ही देना चाहिए। जब मंत्री जी सदन में बैठे हैं तो उन्हीं को उत्तर देना चाहिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मंत्री जी भी उत्तर देंगे। लेकिन कोई भी मंत्री कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इस बारे में हुड्डा साहब भी बता देंगे कि कोई भी मंत्री कभी भी उत्तर दे सकता है। यह तो हुई एक बात, दूसरा फिर भी अगर कोई शंका की बात रह जायेगी तो उस विषय को भी बता दिया जायेगा, तीसरा, चूंकि यह कृषि की उपज का कृषि विभाग का काम है। आप लोगों ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि कितने एरिया में धान बोया गया था और कितना था इसके बारे में कृषि मंत्री जी बतायेंगे। इसलिए अगर कोई उत्तर वे दे रहे हैं तो सुनना चाहिए और सुनने के बाद फिर आगे बात करेंगे।

श्री कर्ण देव कम्बोज : स्पीकर सर, यह जो 1509 वैरायटी की बात हो रही है इस वैरायटी के बारे में भारत सरकार से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है कि हम वैरायटीवाईज किसी भी पैडी की प्रोक्योरमेंट की इजाजत नहीं देंगे। भारत सरकार ने दो कैटेगरीज बनाई हैं एक तो 'ए' ग्रेड और कॉमन। 'ए' ग्रेड में जिस पैडी के चावल का साईज है उसका लैन्थ और ब्रिड्थ यानी एल.वी. 2.5 से ऊपर होगी उसको 'ए' ग्रेड की वैरायटी में लिया जायेगा और जिसकी एल.वी. 2.5 से नीचे होगी उसको कॉमन वैरायटी के तौर पर खरीदा जायेगा। जब भारत सरकार से हमें यह

[श्री कर्ण देव कम्बोज]

पत्र प्राप्त हुआ उस समय पहले तो हमने इस वैरायटी का रिकार्ड रखने का फैसला किया था कि हम इसका रिकार्ड रखेंगे। जब भारत सरकार ने यह कहा कि हम इसे 'ए' ग्रेड की वैरायटी के तौर पर प्रोक्योरमेंट की इजाजत देंगे, वैरायटी के तौर पर इजाजत नहीं देंगे। इसलिए हमने वह दूसरा पत्र जारी किया और पहले का रिकार्ड नहीं रखा क्योंकि जब किसानों की धान की प्रोक्योरमेंट का काम शुरू किया उस समय मण्डी में धान 1100 रूपये या 1200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा था और जिस दिन हमने यह प्रोक्योरमेंट करने का निर्णय लिया उसी दिन इसका रेट 1500 रूपये या 1600 रूपये प्रति क्विंटल के ऊपर बिका। माननीय सदस्य जो 1509 वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं इस वैरायटी की मण्डी में टोटल अराईवल 6 लाख मीट्रिक टन हुई है। उसमें से जो हमारी खरीद एजेंसियां हैं उनके माध्यम से हमने 1 लाख 72 हजार मीट्रिक टन खरीदी है। बाकी यह धान टोटली प्राईवेट मिल्लर ने खरीदी है। इस प्रकार 4.28 लाख मीट्रिक टन प्राईवेट मिल्लर ने जो धान खरीदी है वह एम.एस.पी. से ऊपर ही खरीदी है यानी 1500 रूपये और 1600 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ही खरीदी है। जिस दिन हमने प्रोक्योरमेंट करने की परमिशन मिली थी उससे पहले यह 1100 रूपये और 1200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही थी। उसके बाद जब हमें परमिशन मिली तो 24 तारीख से हमने पूरे हरियाणा में धान की खरीद शुरू कर दी थी। उस समय इसका रेट बहुत कम यानी 910 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से था इसलिए किसानों का सरकार पर प्रैशर था। एक सप्ताह पहले हमने प्रोक्योरमेंट करने का निर्णय लिया और भारत सरकार से इसके बारे में परमिशन ली और पूरे प्रदेश में किसानों को लगभग 300 से 400 करोड़ रूपये का फायदा हुआ है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ये हमारी बात समझ नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपकी यह बात बिल्कुल समझ में आ रही है, आप बिल्कुल चिंता न करें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हम यह पूछ रहे हैं कि 200/-रुपए किस ने दिए और किस को दिए ?

श्री कर्ण देव काम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम जो पैडी की प्रोक्योरमैंट करते हैं, उसके लिए बाकायदा सरकार के नार्म्ज़ तय हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण देव कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, सरकार के नार्म्ज़ तय हैं कि हम 17 प्रतिशत् मॉइस्चर पर पैडी खरीदेंगे। जो किसान 17 प्रतिशत् मॉइस्चर पर अपनी पैडी अनाज मण्डी में लेकर आया था उसकी पैड्डी हमने 1450/-रुपए एम.एस.पी. के हिसाब से खरीदी है। यह

मॉइस्चर संबंधी आढ़ती और किसान का पर्सनल मामला था जिसमें सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं थी। क्योंकि किसान के पास स्वयं ही समय नहीं होता है तथा ना ही अनाज मण्डी में इतना स्पेस ही होता है। (शोर एवं व्यवधान) इस बारे में सरकार की तरफ से कोई हिदायत नहीं थी। (शोर एवं व्यवधान) सरकार यह कहती है कि यदि किसान 17 प्रतिशत् मॉइस्चर के साथ पैड्डी लेकर आएगा तो हम उसे 1450/- प्रति क्विंटल भाव से खरीदेंगे। (शोर एवं व्यवधान) जब मैंने खुद अनाज मंडियों में जाकर देखा तो मुझे पैड्डी में 23-24 प्रतिशत् तक मॉइस्चर देखने को मिला। (शोर एवं व्यवधान) मैं बड़े फक्र के साथ इस महान् सदन में कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की पैड्डी 17 प्रतिशत् मॉइस्चर के साथ पाई गई वह हमने खरीद एजेंसियों के माध्यम से पूरे एम.एस.पी. पर खरीदी है। (थंपिंग)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो किसान को लूटा जा रहा है, किसान का पैसा खाया जा रहा है तथा माननीय मंत्री जी इस विषय में अपना जवाब नहीं दे पा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) वहीं दूसरी और सदन में मेजे थपथपाई जा रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कृपया आप इस मामले की इन्क्वायरी करवा दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल ऐसा जवाब है कि उसके द्वारा किसी न किसी को बचाने का रास्ता बनाया गया है। (शोर एवं व्यवधान) दोनों हाथों से किसानों को लूटा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं हमारे सामने कहा था कि वे इस घोटाले की एफ.सी.आर. से जाँच करवाएंगे लेकिन मैं चाहूँगा कि इस मामले की जाँच यदि हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज़ से करवाई जाएगी तो अच्छा रहेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन से अवश्य सहमत थे लेकिन माननीय मंत्री जी का जो जवाब आज सदन में आया है, हम उस जवाब से सहमत नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहस के दौरान सबसे अच्छी बात माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी ने की है जिसके लिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने कहा है कि क्या इस सरकार ने कोई नई प्रैक्टिस शुरू की है, क्या अनाज की खरीद में कोई नया तरीका अपनाया है तथा क्या सरकार कोई नई चीज़ें लेकर आई है ? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमने नया कुछ भी शुरू नहीं किया है। अनाज मंडियों में पर्चेज़िंग का पहले जो सिस्टम था, अभी भी वही सिस्टम लागू है। ये कट तो पहले भी लगते थे और अब भी लग रहे हैं। इसमें कोई भी नया सिस्टम लागू नहीं किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, जब प्रोसीजर सेम था ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप मंत्री जी की पूरी बात तो सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस सदन में 4 मुद्दे उठाए हैं। एक तो नमी के कट का, जिसके कारण पैड्डी के रेट्स कम कर दिए गए। दूसरा मुद्दा पैड्डी की 1509 की क्वॉलिटी का, तीसरा मुद्दा बासमती चावल के भाव का तथा चौथा मुद्दा यह है

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

कि धान की ज्यादा खरीद दिखाई गई है जबकि यह खरीद वास्तव में कम हुई है। पहले तो माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि कितने इलाके में पैड्डी की फसल बोई गई तथा इलाके की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है।(शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, 12 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दाँगी : अध्यक्ष महोदय, जब मण्डी में धान आ गया ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री दांगी जी को सवाल करके इस प्रकार नहीं भागना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दाँगी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस किसान की और कितनी जमींन में धान बोया गया है ? (शोर एवं व्यवधान) किस एजेंसी ने कितना धान खरीदा और कितना धान आया। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है कि ये सवाल करते हैं लेकिन इनको जवाब भी सुनना चाहिए। मैं इनको चारों सवालों का जवाब दूंगा। वही प्रैक्टिस थी जो पहले से चली आ रही है। वही प्रैक्टिस हर बार हुई है और कोई नई प्रैक्टिस नहीं हुई है। ये नई प्रैक्टिस बताकर एक घोटाला बता रहे हैं कि रेट में अंतर हो गया, रेट में अंतर हो गया। यह सालों साल से चली आ रही प्रैक्टिस है।(विघ्न) यहां इस बारे में 4 सवाल आए हैं और चारों के जवाब अलग अलग हैं। पहली बात नमी की काट का है तो उसका उत्तर मैंने पहले दे दिया है कि यह पहले से चली हुई प्रैक्टिस है। खरीद तो सेलर्स के माध्यम से होती है, लगातार होती है और इसी तरह से होती है। आढ़ती यदि किसान से जीरी लेकर उसको खुद सुखाता है तो वह कुछ रेट कम करके किसान को देता है और सेलर्स यदि सुखाता है तो वह भी उसको पैसे उसकी तुलना में कम देता है लेकिन यह पहले से चली आ रही प्रैक्टिस है। यह अच्छी बात है कि आपने कहा कि इसको ठीक करना चाहिए। हम सबको मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। (विघ्न) दूसरी बात यहां 1509 बासमती की आई, इसका उत्तर भी दे दिया गया है। जो धान 1100 रूपये रेट में खरीदा जा रहा था वह मिलर्स को 1450 रूपये के रेट में दिया गया है तो फिर इसमें घोटाला कहां हुआ है। वे कह रहे हैं कि एफ.सी.आई. के निर्देश आ गए कि हमको तो उसी तरह लेना है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बांटना है इसलिए उन्होंने दूसरी चिट्ठी दे दी। (विघ्न) जब लेने वाले ने वही लेना है, उसके नए पैरामीटर्ज तय नहीं किए, जो धान 1100 रूपये के रेट में खरीद सकता था उसको 1450 रूपये के रेट में खरीदना पड़ा तो उसके लिए तो अच्छा हुआ है और मिलर्स को दिक्कत हुई है अन्यथा वह 1100, 1200 या 900 रूपये के रेट में खरीदता। इसमें भी ये लोग घोटाला बता रहे हैं। (विघ्न) जो लेने वाला है वह कहता है कि मुझे एक सा चाहिए। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय भाव की बात है तो उसके बारे में हुड्डा साहब भी जानते हैं और हम सब जानते हैं।(विघ्न) वर्ष 2012 में बासमती 1121 का क्या भाव था। उस समय सारी मंडियां बासमती 1121 से भरी पड़ी थी और उसका 1700 रूपये से ऊपर का भाव नहीं था। (विघ्न) आप यहां बैठते थे और बी.जे.पी. के लोग कम थे, तब भी भाव की दिक्कत थी।

हरियाणवी में एक चुटकला है कि किसी भाई को कम बोलना आता था और उसके बड़े भाई ने उसको अपनी सुसराल में भेज दिया कि मेरी घरवाली को ले आ। वह ठीक बता नहीं पाया और वे बात गलत समझ गए और जब वह वापिस आया तो उसके भाई ने कहा कि मेरी घरवाली को ले आया तो वह कहने लगा कि वह तो विधवा हो गई। वह कहने लगा कि मैं जीवित बैठा हूं फिर कैसे वह विधवा हो गई? फिर उसने कहा पिछली बार जब बुआ विधवा हुई तो आप यहीं न बैठे थे। (विघ्न) मैं यही कहना चाहता हूं कि जब 2012 में धान 1700 रूपये के भाव में बिका तब आप लोग यहीं न बैठे थे। (विघ्न) अन्तर्राष्ट्रीय भाव को हरियाणा सरकार तय नहीं कर सकती। अन्तर्राष्ट्रीय भाव से धान का भाव अप भी होता है और डाउन भी होता रहता है। अगर अन्तर्राष्ट्रीय भाव आपके हाथ में होता तो जब चुनाव आया तो आप धान के भाव कम नहीं होने देते लेकिन उस समय धान का भाव कम हुआ और आपको वह झेलना पड़ा। (विघ्न) अगर धान के भाव 4000 रूपये होते तो हो सकता है कि आप फिर से सरकार में आ जाते इसलिए आपको भी झेलना पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय भाव में अप डाउन आ सकते हैं, यह हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं हैं। इसका दोष हमारी सरकार को मत दीजिए। आप बहुत मैच्योर पोलिटिशयन हैं इसलिए अच्छी बात कीजिए। (विघ्न) आप बताइए क्या अन्तर्राष्ट्रीय भाव को हरियाणा सरकार तय कर सकती है ? क्या हुड्डा साहब की सरकार में धान का भाव 1700 रूपये नहीं था ? (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये धान घोटाले की इन्कवायरी करवाएंगें या नहीं ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सभी अपना-अपना एंगल लेकर बैठे हैं। यदि हम अपना अपना एंगल नहीं लेंगे तो हम चीजों को ठीक संदर्भ में आगे लेकर चल सकेंगे। पहली बात तो हमारी कमिटमैंट करप्शन में जीरो परसैंट टोलरैंस की है। यह पहले दिन से है और आगे भी रहेगी। कहीं कोई करप्शन सहन नहीं किया जाएगा, चाहे कोई नेता हो, अधिकारी हो या कर्मचारी हो या जनता हो। करप्शन एक साइकिल की तरह है जिसको हमें तोड़ना होगा। सब मिलकर उस साइकिल को तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। पहले क्या होता रहा है वे अलग बातें हैं लेकिन अगर हम अब इस करप्शन की साईकिल को तोड़ना चाहते हैं तो सभी को मिलकर ही तोड़ना होगा। इसके लिए हमारा संकल्प है कि हम तोड़ेंगे। आप सहयोग दे देंगे तो भी तोड़ेंगे और अगर आप सहयोग नहीं भी दोगे तो आपके सहयोग के बिना भी इस करप्शन की साईकिल को तो हम जरूर तोड़ेंगे। जहां तक आज के विषय का सम्बंध है मैं समझता हूं कि इसमें 8-10 बातें अलग-अलग इक्ट्ठी हुई हैं। इन 8-10 बातों में किसी का इंट्रेस्ट तो किसी एक बात को सुनने में हैं तो किसी का इंट्रेस्ट कोई दूसरी बात को सुनने का है। इसलिए जब एक उत्तर दिया जाता है तो दूसरे द्वारा यह कहा जाता है कि यह नहीं पूछा जा रहा है बल्कि यह पूछा जा रहा है। हमें सभी बातों के बारे में क्रम से जानने का धैर्य रखना चाहिए। मैं इस बारे में इतना समझ पाया हूं। यह भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं समझ पाया हूं आप भी उसे माने यह आपकी अपनी मर्जी की बात है। पहले दिन से हम इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं और वह इसलिए है क्योंकि किसान का जो साल भर का चक्र है हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी सूरत में किसान का अहित नहीं होना चाहिए यह हमारी कमिटमैंट है। उसको हम कितना लाभ पहुंचा सकते हैं और उसकी फसल के भूल्य में हम कितनी बढ़ोतरी करवा सकते हैं यह अलग इश्यू है लेकिन हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि कम से कम उसका लॉस न हो। इसलिए क्रमानुसार

[श्री मनोहर लाल]

सामने यह बात रखना चाहता हूं कि 01.09.2015 से धान की खरीद शुरू हो गई जबकि वास्तव में सरकारी स्तर पर धान की प्रिक्योरमैंट शुरू होती है 01.10.2015 से। इस प्रकार से यह एक महीना ऐसा होता है जिसमें डिस्ट्रैस सेल होती है यानि यह आढ़ती की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसान से किस कीमत पर धान की खरीद करेगा और किसान अपनी धान को किस कीमत पर बेचेगा। इसका एकमात्र कारण यही है कि एफ.सी.आई. की सरकारी खरीद 01.10.2015 से शुरू होती है। इस प्रकार से जब 01.09.2015 से धान की बिक्री शुरू हुई इस बारे में मेरे पास लिखित आंकड़े हैं ये लिखित हैं इसका मतलब यही है कि ये वास्तव में अलग-अलग मण्डियों के रिकार्ड के हैं। ये 107 मण्डियों के आंकड़े हैं। इनमें सभी में चावल नहीं आया लेकिन जिनमें चावल आया वे भी लगभग 50-55 मण्डियां हैं। इन मण्डियों में अम्बाला सिटी की अनाज मण्डी में धान का मिनीमम रेट था 1210/- रूपये प्रति क्विंटल और मैक्सीमम रेट था 1411/- रूपये प्रति क्विंटल। जब तक सरकारी स्तर पर प्रिक्योरमैंट शुरू नहीं हुई अर्थात् ये 24.09.2015 तक के आंकड़े हैं। इसी प्रकार से छछरौली की अनाज मण्डी में धान का मिनीमम रेट था 1210/- रूपये प्रति क्विंटल और मैक्सीमम रेट था 1235/- रूपये प्रति क्विंटल, रादौर की अनाज मण्डी में धान का मिनीमम रेट था 1020/- रूपये प्रति क्विंटल और मैक्सीमम रेट था 1450/- रूपये प्रति क्विंटल, चीका की अनाज मण्डी में धान का मिनीमम रेट था 1000/- रूपये प्रति क्विंटल और मैक्सीमम रेट था 1385/- रूपये प्रति क्विंटल, घरौंड़ा की अनाज मण्डी में धान का मिनीमम रेट था 1011/- रूपये प्रति क्विंटल और मैक्सीमम रेट था 1450/- रूपये प्रति क्विंटल, करनाल की अनाज मण्डी में धान का मिनीमम रेट था 1100/- रूपये प्रति क्विंटल और मैक्सीमम रेट था 1625/- रूपये प्रति क्विंटल, तरावड़ी की अनाज मण्डी में धान का मिनीमम रेट था 925/- रूपये प्रति क्विंटल और मैक्सीमम रेट था 1595/- रूपये प्रति क्विंटल, इन्द्री की अनाज मण्डी में धान का मिनीमम रेट था 910/- रूपये प्रति क्विंटल और मैक्सीमम रेट था 1418/- रूपये प्रति क्विंटल, टोहाना की अनाज मण्डी में धान का मिनीमम रेट था 901/- रूपये प्रति क्विंटल और मैक्सीमम रेट था 1661/- रूपये प्रति क्विंटल, सफीदों की अनाज मण्डी में धान का मिनीमम रेट था 1161/- रूपये प्रति क्विंटल और मैक्सीमम रेट था 1411/- रूपये प्रति क्विंटल अर्थात् 910/- रूपये प्रति क्विंटल भी लोएस्ट प्राईज़ है और इसी प्रकार से मैक्सीमम 1661/- रूपये प्रति क्विंटल भी है। यह बात सर्वमान्य होगी कि किसी फसल का रेट अलग-अलग आढ़तियों, अलग-अलग जगह और अलग-अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है अर्थात् जो फसल का रेट है वह किसी एक फैक्टर पर निर्भर नहीं करता। इसी कारण जैसा मैंने अभी बताया ये सारे रेट आये। जहां तक धान की वैरायटी 1509 का सम्बंध है इसको हम डुप्लीकेट बासमती कहते हैं। यह बात हम सभी जानते हैं कि 1509 असली बासमती नहीं है। पूसा ने आज से तीन साल पहले 1509 एक प्रोडक्ट तैयार किया कि जो बासमती के नाम से बेचा जा सकता है। As it is 100 percent यह बासमती बिकती नहीं है और एक्सपोर्ट उसका होता नहीं है। एक्सपोर्टर उसको मिक्स करके उससे फायदा उठाता है। वह प्रक्योरमैंट में नहीं थी। प्रक्योरमैंट में मुख्यत : दो कैटेगरी कॉमन वैरायटी और ग्रेड 'ए' वैरायटी। ग्रेड 'ए' वैरायटी में 1509 अभी तक जो पहले शामिल नहीं थी इसलिए नहीं खरीदी जाती थी क्योंकि यह हमेशा 1450 रूपये प्रति क्विंटल से ऊपर बिकती थी। जिस प्रकार से 1121 वैरायटी का रेट ऊपर है। एफ.सी.आई. ने रेट इसका 1450 इसलिए रखा क्योंकि उनको धान की

प्रक्योरमैंट करके इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बांटना होता है। इसकी जो लोएस्ट क्वॉलिटी होती है वही बांटी जाती है और जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है उसको नहीं बांटा जाता। पी.आर. 11 और पी.आर. 14ए पी.आर. 107, पी.आर. 106ए पंजाब नम्बर 1, परमल, एच.के.आर. 120 और इनके अलावा दो वैरायटीज ऐसी भी थी जो हैं तो बासमती की वैरायटी, लेकिन वे पहले से जुड़ी हुई हैं ये हैं पूसा 150 और पूसा रत्ना 133 ये दो वैरायटीज़ ऐसी हैं जो पहले 1450/- प्रति क्विंटल के रेट में पहले कवर होती थी। जब 1509 वैरायटी का रेट नीचे आने लगा तो किसान की तरफ से शिकायतें आने लगी कि बासमती पिट गई। हमें भी पता चला कि इसका रेट काफी नीचे आ गया। उसके बाद डिपार्टमैंट की तरफ से केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया कि :-

"I am directed to inform you that the prices of PB 1509 variety are going below MSP fixed for non leviable paddy in different mandis of the State. This variety was developed by PUSA Institute, New Delhi about 2-3 years back as basmati varieties. The present rates of this variety are ranging between Rs.1150/- to 1510/- per quintal in different mandis and farmers are compelled to distress sale of this variety. In the meeting held with Agriculture Minister and Minister of State for Food and Supplies Haryana it has been decided to purchase this variety under MSP provision for which Government of India's permission is required."

सरकार से हमने अनुमति मांगी है और सरकार हमको सशर्त अनुमति दे रही है। वह शर्त क्या है? जो एफ.सी.आई. से पत्र प्राप्त हुआ है वह मैं हाउस में पढ़ कर सुनाता हूँ --

"I am directed to refer to your letter No. STA-1-2015/28823 dated 22.9.2015 on the subject cited above and to clarify that any paddy conforming to uniform specifications, prescribed by this Department for KMS 2015-16, can be considered for procurement at MSP by the State agencies on behalf of FCI. Paddy is not procured on varietal basis."

कोई वैराईटी बेसिज पर नहीं खरीदेंगे। Paddy is procured as Grade "A" (L/B ratio 2.5 and above) and "Common" (L/B ratio less than 2.5) based on length/ breadth ratio. उनकी केवल दो वैराईटी हैं ग्रेड-ए और "कॉमन"। ग्रेड-"ए" का मतलब है जिसकी लम्बाई और मोटाई 2.5 से ज्यादा है और "कॉमन" जिसकी लम्बाई और मोटाई 2.5 से कम है। उनकी ये दो स्पेसिफिकेशन हैं। हमारे हरियाणा में कॉमन वैरायटी होती ही नहीं है। कॉमन वैरायटी का भी प्रोक्योरमैंट रेट 1410 रूपये प्रति क्विंटल है। हमारे राज्य में सारी पैडी "ए" ग्रेड की ही होती है इसलिए उसका रेट 1450/- रूपये प्रति क्विंटल ही है। यह जो 1509 किस्म का धान है यह भी कॉमन वैरायटी से ऊपर है इसलिए इसको भी स्पेशली ग्रेड-ए में जोड़ दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, ठगी तो यहीं पर हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : आप पहले सुन लीजिए। अगर हम एक ही एंगल लेकर बैठे रहेंगे तो समझ में नहीं आयेगा। अगर हम यह नहीं लिखते तो 1509 किस्म के धान को कोई खरीदने वाला

[मनोहर लाल]

नहीं था। परमल तो फिर भी 1450 रूपये बिक जाती लेकिन 1509 वहीं पर 1200 या 1300 रूपये प्रति क्विंटल के भाव बिकती। हो सकता है वह बढ़ भी जाता क्योंकि जब 1450 परमल बिक जाता तो मंडी के लोग उसको भी खरीद लेते। 24 तारीख तक 1509 किस्म की धान की मंडियों में जो कुल खरीद हुई है वह लगभग 6 लाख मीट्रिक टन हुई है। इसमें से 4.28 लाख मीट्रिक टन प्राईवेट परचेज हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, जब वैरायटी बेसिज पर खरीद का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो पता कैसे चला कि कौन सी वैरायटी के धान की कितनी खरीद हुई ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप एक बार सुन लें। मुख्यमंत्री जी डिटेल में बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : कादियान साहब, आप पहले मेरी बात सुन लो अगर कहीं गलत लगे तो बाद में बता दें। पहले मेरा फलो बना रहने दें। आपको जो बात जोड़नी है वह बाद में जोड़ लें वरना मैं यह समझूंगा कि आप बाल को अपने एंगल से पकड़ कर बैठे हो और मेरी बात को सुनना नहीं चाहते हो। मंडी में आने के बाद तो पता ही होता है कि कौन सी वैरायटी की कितनी धान आई है। जब पैडी मंडी में आती है तो लिखी जाती है कि यह कौन सी वैरायटी की है। मार्कैटिंग बोर्ड उसको लिखता है। इसलिए आज भी अगर पता करना चाहें कि किस मार्कैटिंग बोर्ड में कौन सी वैरायटी कितनी आई है और किसके पास गई है तो आज भी उसका पता चल सकता है। जो 4.28 लाख मीट्रिक टन मंडी के आढ़तियों ने खरीदी है और उनसे आगे मिलर भी खरीद सकता है और कोई दूसरा भी खरीद सकता है उसका हमें पता नहीं है। अगर कभी पता लगाना हो तो उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन सरकारी ऐजेन्सीज के माध्यम से 1509 वैरायटी की धान 1.72 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई है। उसको भी मैं ऐजेन्सीवाईज बता देता हूँ। फूड एण्ड सप्लाई में 66 हजार, हैफेड में 68 हजार, एफ.सी.आई. ने कुछ नहीं खरीदा, एग्रो इण्डस्ट्रीज में 13 हजार, वेयर हाऊसिंग में 25 हजार, ये कुल मिलाकर 1.72 लाख मीट्रिक टन हुआ। सरकारी एजेंसीज जो खरीद करती है वही डाटा लिया जाता है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी एजेंसियों ने खरीद की है और उस खरीद में किसान से जो माईश्चर के नाम पर 100 रूपये से लेकर 200 रूपये तक लिये गये थे क्या वह पैसा आपकी एजेंसी को मिला है?

श्री मनोहर लाल : मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इसमें जो एक वाक्य है कि सरकारी एजेंसी ने खरीदा है उसको मैं ठीक करता हूँ। अब मैं इसमें यह कहूंगा कि सरकारी एजेंसी ने अपनी कोई खरीद नहीं की। सरकारी एजेंसी ने जो खरीद की है वह एफ.सी.आई. के लिए खरीदी है और वह सारी खरीद सीधी मिलर को गई है। उस फसल को सरकारी एजेंसी ने खरीद कर अपने किसी गोदाम में नहीं डाला है। जो पहले होता था वही इस बार हुआ है। हमने उसको 1450 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पेमेंट की है। अब जब हम पेमेंट करते हैं तो वह खरीदता तो है किसान की ढ़ेरी और किसान को यह हिदायत है कि जो क्वालिटी खरीदनी है वह 17 प्रतिशत मॉइश्चर पर खरीदनी है। जब हमें इस बात का पता लगा

तो हम भी मंडियों में गये, मैं भी गया और हमारे मंत्री भी गये। मैंने स्वयं करनाल की मंडी में जाकर एक-दो ढ़ेरियों की माइश्चर की जिसमें एक ढ़ेरी की मॉइस्चर तो 24 प्रतिशत निकली और दूसरी ढ़ेरी की लगभग 23.6 प्रतिशत मॉइस्चर निकली। मैंने इन ढ़ेरियों की मॉइस्चर दो अलग-अलग मशीनों से की और आखिर में यह कहा कि जब यह 24 प्रतिशत की 17 प्रतिशत मॉइस्चर हो जाएगी तो 7 प्रतिशत इसका वेट कम हो जाएगा। अब ये 7 प्रतिशत वेट किसका कम होगा। वह न तो आढ़ती का कम होगा क्योंकि आढ़ती ने तो तोली और तोलकर उठाकर मिलर को दे दी। यह कम होगा मिलर का क्योंकि सूखना वहां है। जब वहां सूखना है तो वह 7 प्रतिशत क्यों भुगतेगा। वह तो कहता है कि मुझे तो 17 प्रतिशत मॉइस्चर लाकर दो क्योंकि सरकार ने भी उनसे 100 किलोग्राम के पीछे 67 किलोग्राम चावल ले लेना है।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मॉइस्चर तो दी है।

श्री मनोहर लाल : उन्होंने मॉइस्चर नहीं दी वही तो मैं बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, यह बात सबकी समझ में आ रही है तो आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही। आप मुख्यमंत्री जी की पूरी बात सुन लो।

श्री मनोहर लाल : मैं आपको वही बता रहा हूँ जिसका उनको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। बीच-बीच में जो टोका टाकी हो रही है उससे विषय को क्लीयर करने में गड़बड़ हो रही है। हमने मिलर को 100 किलोग्राम जीरी दी उसने उसको सूखाया तो वह रह गई 93 किलोग्राम। हमने मिलर से 100 किलोग्राम जीरी के बदले में 67 किलोग्राम चावल लेना है। मिलर का उस 93 किलोग्राम जीरी में चावल निकला 60 किलोग्राम अब हमें तो वह 67 किलोग्राम चावल देगा तो वह हमें 7 किलोग्राम चावल कहीं से भी दे देगा हमारा चावल तो पूरा हो गया। हमने तो मिलर से 1450 रूपये में 67 किलोग्राम चावल लेना है।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मिलर के पास जो 6 लाख क्विंटल आया है वह 7 लाख मॉइस्चर वाला नहीं आया, इस तरह तो वह 13 लाख हो गया तो वह 13 लाख कहां से लाएगा।

श्री मनोहर लाल : हाँ ये बात तो ठीक है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, धान की जो 1509 किस्म है इसका 62 प्रतिशत लैवी आती है और दूसरी किस्म का 67 प्रतिशत लैवी आती है। आप एक बात बताईये जो मिलर्स उसको खरीद रहे थे क्या वह सोशल सर्विस कर रहे हैं? वह 1450 रूपये में ऐसा चावल क्यों लेकर जाएंगे जो 62 प्रतिशत लैवी है यही तो घपला है यही तो स्कैम है। इस बात को आप खुद भी मान रहे हो। हम इसी बात की इन्क्वायरी चाहते हैं। This is a biggest scam. क्या वह मिलर्स सोशल सर्विस के लिए आए थे ? आप ये बताईये क्या वह सोशल सर्विस कर रहे थे ? जब उन्हें 67 प्रतिशत लैवी देनी है लेकिन जो वह खरीद रहे हैं उसकी 62 प्रतिशत लैवी निकलती है। क्या वह उसको 1450 रूपये में खरीदेंगे ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि वह 1450 रूपये प्रति क्विंटल में खरीदकर हमको 67 प्रतिशत क्यों देंगे क्योंकि निकलता ही 62 है। जब मॉइस्चर कम हो जायेगी तो सात प्रतिशत और कम हो जायेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, 15 रूपये एक प्रतिशत में भाव घटता है यानी 105 रूपये कम हो जायेगा। हालांकि यह गलत है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जब ये सब चीजें प्रैक्टिकली करने लगेंगे तो उसका जवाब क्या मिलता है वह जवाब मैं सदन को बता रहा हूं। इस बारे में मैंने करनाल में किसान इकट्ठे किये, मैंने उनको कहा कि आप आ जाओ। मैंने किसानों से यह पूछा कि क्या आप 17 प्रतिशत की मॉइस्चर को कम करके नहीं ला सकते। तब किसानों ने कहा कि ऐसा है जी कि 7-8 साल पहले तो हम करके लाते थे लेकिन अब यह हमारे बस का नहीं है। मैंने पूछा कि 7-8 साल पहले क्यों लाते थे तब किसानों ने बताया कि उस समय हम जीरी को हाथ से काटते थे और जीरी कटते कटते दिन भर में मॉइस्चर खत्म हो जाती थी। उसके बाद उसको हाथ से झाड़ते थे इस प्रकार सारी मॉइस्चर 17 प्रतिशत तक आ जाती थी। अब हम जीरी को रात के समय में कम्बाईन से काटते हैं और जैसे ही कम्बाईन से कटती है तो उसे उठाकर हम मण्डी में ले आते हैं क्योंकि हमारे पास घर में रखने की जगह नहीं है और न ही हमारे पास टाईम है। इसलिए हम तो जैसी है वैसी ही लायेंगे आपने जो करना है वह कर लो। फिर मैंने किसानों को दूसरे विषय के बारे में कहा कि अगर इसकी व्यवस्था अगली साल के लिए सरकार करा दे क्योंकि इस साल तो नहीं हो सकती। तब किसानों ने पूछा कि आप क्या व्यवस्था करायेंगे। तब मैंने उनको कहा कि हम मण्डियों के बाहर बड़े बड़े ड्रायर लगायेंगे और आप अपनी ट्राली जीरी की भरकर लाओ और वहां पर खाली कर दो। वे बड़े बड़े ड्रायर होते हैं वे एक घण्टे में ट्राली को बाहर निकाल देंगे क्योंकि बड़े ड्रायर होते हैं उनमें 17 प्रतिशत के हिसाब से गेज मीटर लगे होते हैं। 17 प्रतिशत मॉइस्चर निकाल कर ले जाओ और बेच दो। तब किसान कहने लगे कि इसका खर्चा कौन देगा जी। मैं यह बात बिल्कुल वरबेट्म बता रहा हूं। उन्होंने पूछा कि खर्चा कौन देगा तो मैंने कहा कि खर्चा तो आप लोगों ने ही देना होगा क्योंकि जीरी तो आपके नाम की ही सुखा रहे हैं क्योंकि जो काम आपने घर पर करना था उस काम की सेवा सरकार कर रही है और इसके लिए जो भी 50, 60 या 70 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो भी खर्चा पड़ेगा वह तो आपको ही देना होगा। क्योंकि जीरी का जो भी वजन घटेगा वह आपकी जीरी का ही तो घटेगा। ड्रायर का जो भी खर्चा 50,60 या 70 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आयेगा वही आप पर खर्चा पड़ेगा। तब किसान कहने लगे कि ना जी हम तो यहीं पर बेच लेंगे। मैंने कहा कि आप जहां अब 300 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कटवा रहे हो, मैंने वैसे ही 300 रूपये बोल दिया था क्योंकि 1450 रूपये की बजाए 1150 रूपये आपको मिल रहे हैं। इसकी बजाए आपको 70 रूपये प्रति क्विंटल के खर्चे के हिसाब से ड्राई होकर जीरी मिलेगी। तब किसान यह कहने लगे कि जी 300 रूपये की तो बातें हैं हमारे यहां कभी 70 रूपये तो कभी 100 रूपये या 125 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कट जाते हैं। इसलिए किसान उसमें अपनी सर्विस को उस पैसे के बदले में खरीद रहा है ताकि उसे अपने आप जीरी को सुखाना न पड़े। इस सर्विस को वह इसलिए खरीद रहा है कि किसान को इस झंझट से किसी तरीके से निकाल दो ताकि जैसी मेरी कम्बाईन में जीरी है उसको मैं उठा करके मण्डी में डाल दूं। हमने फिर कम्बाईन वालों को बुलाया। हम इस काम के लिए कितना आगे बढ़े हैं वह बात मैं सदन में बता रहा हूं। हमने कम्बाईन वालों को कहा कि आप ही कोई ऐसा रास्ता निकाला जिसमें से यह 17 प्रतिशत निकल आये। दो तीन इंजीनियर उस काम में लग गये हैं उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी कम्बाईन तैयार करते हैं जिसमें हीटर लगा देते

हैं और ऐसा साफ्टवेयर लगा देते हैं कि उस कम्बाईन में से केवल 17 प्रतिशत मॉइस्चर की जीरी ही निकलेगी। जो 24-25 प्रतिशत मॉइस्चर निकलती है उसको खत्म कर देते हैं क्योंकि अगर वेट घटेगा तो किसान का ही घटेगा और 17 प्रतिशत पर नार्मल वेट ही आयेगा। घटने का विषय ही नहीं हैं क्योंकि नार्म्स ही 17 प्रतिशत के हैं। हमने यहां तक किया कि किसानों को एक सूचना दी गई कि आप रात को कम्बाईन न चलायें बल्कि आप दिन में कम्बाईन चलायें ताकि कुछ दो तीन प्रतिशत मॉइस्चर कम हो जायेगी। किसानों ने इसके लिए भी मना कर दिया और रात को भी कम्बाईन चलाई। इसके अलावा किसान रात को जानबूझकर भी कम्बाईन चलाते हैं। रात को कम्बाईन चली हुई और दिन में कम्बाईन चली हुई में तीन प्रतिशत मॉइस्चर का फर्क पड़ता है। किसान की बात हम सब जानते हैं क्योंकि लालच तो उसको भी है क्योंकि रात को चलायेगा तो तीन प्रतिशत मॉइस्चर ज्यादा आयेगी थोड़ा कट जायेगा, थोड़ा रह जायेगा। जब यह मामला ध्यान में आया कि हम को तो 67 प्रतिशत चावल का रिफण्ड चाहिए। 67 प्रतिशत में हो सकता है कि मिलर न दें। इधर तो मिलर देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह 62 किलो है। 1509 किस्म की जो मिलर की टूटन होती है वह भी ज्यादा होती है। (शोर एवं व्यवधान) वैसे तो टूटन 25 प्रतिशत होती है लेकिन 1509 किस्म में 45 प्रतिशत टूटन होती है। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बैठाया जाता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमने किसान को लाभ पहुंचाना है इसलिए इसके लिए हम कोई रास्ता निकालें तो कैसे निकलें ताकि अगर किसान के साथ आढ़ती कोई दो प्रतिशत ऊपर नीचे करता भी है तो क्योंकि किसान के साथ उसका समझौता है और हमें यह 1450 रूपये प्रति क्विंटल में 67 किलो देने के लिए तैयार हैं और किसान से यह 100 या 150 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से काटता भी होगा तो उनकी यह पुरानी प्रैक्टिस है। यह आज की नहीं है बल्कि वर्ष 2010 से यह प्रैक्टिस है क्योंकि उससे पहले जीरी सूखी आती थी। उस किसान ने भी यह बात मानी कि जब से कम्बाईन चली है। (विघ्न)

19.00 बजे **सरदार जसविन्द्र सिंह संधू :** अध्यक्ष महोदय, ये कम्बाईन्ज़ तो वर्ष 1970 से चल रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, 12.10.2010 की मोहन लाल की एक पर्ची में सदन में पढ़कर सुनाता हूँ जिस पर 129 क्विंटल 68 किलोग्राम तथा 1030/- रेट लिखा है। उस समय 1030/- रुपए प्रति क्विंटल रेट रहा होगा जो बाद में बढ़ा होगा। (विघ्न) इस पर्ची को मैं सदन में दिखा रहा हूँ। इस पर्ची के पीछे लिखा है कि 91 क्विंटल में से 60/- रुपए प्रति क्विंटल काटे गए अर्थात् 5460/- रुपए काटे गए तथा 38 क्विंटल में से 180/- रुपए प्रति क्विंटल काटे गए। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से पूछना चाहता हूँ कि कितना मॉइस्चर दिखाया गया तथा कितने रुपए प्रति क्विंटल काटे गए ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मैंने किसान की उस समय की ढेरी के अनुसार सदन में दी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, on the floor of the house यह बात कहना उचित नहीं है। यदि यह किसान-हितैषी सरकार होती तो 20 प्रतिशत् मॉइस्चर पर भी खरीद कर सकती थी।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जिस पर्ची का मैं इस सदन में जिक्र कर रहा हूँ वह आज की पर्ची नहीं है, वह पर्ची तो वर्ष 2010 की है जिसके मुताबिक 1,32,903/- रुपए में से 13,325/- रुपए काटकर 1,19,578/- रुपए की पैमेंट हुई है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार तो पुराना रिकार्ड़ तोड़ने में लगी हुई है। इधर बैठे ये साथी तो इनके द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा भुगत ही रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हम कोई रिकार्ड़ तोड़ने में नहीं लगे हैं बल्कि हम तो रास्ता निकालने में लगे हैं।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य में पिछली सरकार के समय में जितने स्कैंडल हुए हैं उनसे भी बड़ा यह स्कैंडल हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए यदि आप इस घोटाले की इन्क्वायरी करवाते हैं तो ठीक है अन्यथा आपकी मर्जी।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ भी कहते रहें इस बात का कोई अंत नहीं है, लेकिन कम से कम हमें पता तो चले कि कौन सा घोटाला, कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ है। किसी मामले की इन्क्वायरी करवाने के लिए हमें कुछ तथ्य जरूर चाहिएं। मैं इस महान् सदन में बताना चाहूँगा कि ऐसे-ऐसे केसिज़ हमारे पास आए हैं जिनको सी.बी.आई. में इन्क्वायरी के लिए भेज दिया गया तथा जिनके बारे में बाद में माननीय हाई कोर्ट पूछता है कि इस केस के तथ्य क्या हैं ? जब सही तथ्य नहीं मिलते हैं तो माननीय हाई कोर्ट भी उस केस को रिजैक्ट करके वापिस भेज देता है। किसी केस को इन्क्वायरी के लिए भेजना तो आसान होता है लेकिन इन्क्वायरी बिना तथ्यों के रद्द हो जाए, इसकी जिम्मेवारी भी सरकार की होती है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह विनती है कि इस मामले की जाँच के लिए विधान सभा की एक कमेटी बना दी जाए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले की जाँच के लिए हम विधान सभा की एक कमेटी तो बना देंगे परन्तु कुछ तथ्य तो हों।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, रात को कम्बाईन चलवाना किसान की चालाकी नहीं बल्कि उसकी मजबूरी होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, ऐसे भाषण सदन में देना उचित नहीं है। ऐसे भाषण तो बाहर दिए जाते हैं। कृपया आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, this is not the way. इस मुद्दे पर श्री हुड्डा साहब, श्री अभय सिंह चौटाला जी, श्रीमती किरण चौधरी जी व पूर्व स्पीकर डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी ने सदन में अपनी बात कही है। अध्यक्ष महोदय, आपने सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पूरा मौका दिया है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में एक-एक बिन्दु पर जवाब दे रहे हैं फिर भी जिस प्रकार से माननीय सदस्य सदन में व्यवहार कर रहे हैं वह ठीक नहीं है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अखबारों में आँकड़ों सहित यह छपा था कि इतने रुपए का घोटाला हुआ है। पहली बात तो यह है जैसे कि बताया गया है कि सरकार ने 1,72,000 मीट्रिक टन धान खरीदा तथा उसमें से यदि 60-65 प्रतिशत् धान भी निकला होगा तो 1,20,000 मीट्रिक टन निकला होगा। इसके अतिरिक्त रेट्स के विषय में अखबार लिखता है कि बासमती का रेट 70/- रुपए प्रति किलोग्राम है। पहली बात तो यह है कि 1509 धान की किस्म का रेट 70/-रुपए प्रति किलोग्राम नहीं है। जिस दिन यह खबर अखबार में छपी उस दिन मैंने चैक करवाया तो पाया गया कि 1509 किस्म का चावल 28/-रुपए प्रति किलोग्राम था। आज भी 1509 किस्म का चावल 34-35/- रुपए प्रति किलोग्राम है। (विघ्न) यदि कोई व्यक्ति हेराफेरी करता है तो हम थोड़े ना हेराफेरी करेंगे। चाहे कोई मिक्सिंग कितनी करे, हमारा चावल मिक्सिंग का नहीं है। माननीय साथी 1509 किस्म के चावल का रेट 70/-रुपए प्रति किलोग्राम बता रहे हैं। मैं कहता हूँ कि उस किस्म का 10-20 मीट्रिक टन चावल हम 60-65 या 50/-रुपए प्रति किलोग्राम में बेच देते हैं। (विघ्न) चलो हम 40/- रुपए प्रति किलोग्राम भाव पर ही बेच देते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, 1509 किस्म के चावल का 4,000/- प्रति क्विंटल तो थोक का भाव है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस चावल का रिटेल में क्या भाव है ? सदन के नेता तो थोक का भाव बता रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूँगा कि जिस राईस मिलर ने गड़बड़ करनी है, वह बाजार में रिटेल में तो अपना चावल बेचने से रहा, वह बाज़ार में अपना चावल होलसेल में ही बेचेगा। हुड्डा साहब, आपको भी चाहिए तो आपको भी थोक में भिजवा देंगे, रिटेल में नहीं भिजवाएंगे। आज भी बासमती 1509 का रेट 3400 रूपये प्रति क्विंटल है। (विघ्न) ये थोक में ही जाएगा क्योंकि घपले थोक में ही होते हैं। जब इतनी स्पोर्ट हमको किसान को करनी थी तो ये जो मिलर्स या आढ़ती हैं ये दो परसैंट या 4 परसैंट की गड़बड़ करते हैं। यह हम पहली बार कर रहे हैं और यदि आप सभी स्वीकार करें तो मैं सदन के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। जैसा कि धनखड़ जी ने कहा कि जब तक हम मार्किट में नहीं आएंगे तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। बासमती की दो वैरायटीज और हैं 1509 और 1121, बासमती 1121 की हलचल तो ऐसी होती है कि अगर उसका एक्सपोर्ट खुल जाए जो उसका रेट आसमान छू जाता है और एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो उसका रेट धड़ाम से गिरता है। इसमें किसी का प्रताप नहीं है, मार्किट ऊपर चली जाएगी तो इसके रेट ऊपर चले जाएंगे। एक साल ऐसा भी आया जब आढ़तियों ने इस लालच में अपने घर में धान रखा कि रेट बढ़ेगा। उन्होंने इसको 3800 रूपये के रेट में लिया जबकि यह 2000 रूपये के रेट में बिका। आज मिलर्स और आढ़ती गरे पड़े हैं। (विघ्न) वे अपने व्यापार से ही यह घाटा पूरा करेंगे या उनकी अपनी किस्मत है हमें इससे कोई

[श्री मनोहर लाल]

लेना देना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सांझा करना चाहता हूं कि आज 750 मिलर्स हैं और उनमें से 41 मिलर्स ऐसे हैं जो डिफॉल्टर्ज हो गए हैं जिन्होंने पिछला चावल का स्टाक सप्लाई नहीं किया। हमने उन 41 मिलर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसके बाद इस बार हमने उनको जीरी नहीं दी और कहा कि पहले आप पिछला स्टाक कवर करो तब आपको जीरी देंगे।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : जो राइस सेलर हैं उसने जीरी देनी थी और आपने उसकी 50 लाख की पेमैंट कर रखी थी। उसने जीरी नहीं दी और वह उसको 30 लाख में बेचकर चला गया। यह बात पिछले सदन में भी आई थी।

श्री मनोहर लाल : कादियान जी, इस तरह की परम्पराएं पता नहीं आपने कब से डाली हुई है और पता नहीं कितना स्टाक उनको देते हो। (विघ्न) पिछले सारे मामले एक साथ मत खुलवाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक एक करके बात खुलेगी तो ठीक रहेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, आप सारे मामले उजागर करो। ब्लैकलिस्ट वाला मामला खोलो। मुख्यमंत्री जी,हम आपका सम्मान करते हैं इसलिए ऐसी बात मत करो। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : मै यह प्रस्ताव रखने जा रहा हूं कि अगर केन्द्र सरकार तैयार होती है तो हम तीनों वैरायटीज के अलग अलग एम.एस.पी. तय करवाकर परचेज करवा सकते हैं। हम उनको लिखेंगें और डिमांड करेंगें हमारा काम केवल इतना ही है। यदि पूरा हाउस सहमत हो तो हम लिखने के लिए तैयार हैं। हम उससे नीचे दाम क्यों जानें देंगे।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस धान घोटाले की जांच के बारे में बताए कि सरकार जांच करवाएगी या नहीं ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस धान घोटाले की जांच करवाने में क्या दिक्कत है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस धान घोटाले की जांच करवा ली जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि घोटाला तो हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, अब तो स्थिति यह है कि अब सारा धान न तो मण्डियों में है और न ही आढ़ती के पास है क्योंकि अब सारे का सारा धान मिलर के पास चला गया है। (विघ्न)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि अब सारा धान गोदामों में जमा हो गया है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कह रहा हूं कि अब सारे का सारा धान मिलर के पास है वह उसको चाहे अपने गोदाम में रखे या और कहीं रखे यह उसकी मर्जी की बात है। इस बारे में आगे मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने मिलर के सामने यह शर्त रखी है कि उसका 20 प्रतिशत चावल आज शाम तक अर्थात 30 नवम्बर, 2015 तक हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। इस आशय के आदेश अभी जारी कर देते हैं कि आज शाम तक जिस मिलर का हमारे पास 20 प्रतिशत नहीं अपितु इसमें पांच प्रतिशत की छूट देकर 15 प्रतिशत चावल नहीं आया तो हम उसकी फिजीकल वैरीफिकेशन करवायेंगे। आने वाले 15 दिनों में फिजीकल वैरीफिकेशन के

दौरान जहां कहीं भी धान की मात्रा कम पाई जायेगी तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। मिलर ने खरीदा है तो ठीक है और अगर उसने नहीं खरीदा है और केवल कागजी कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में वह कहीं से लायेगा और अगर कहीं से लायेगा तो अभी तक लाया नहीं होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी राईस मिलों की फिजीकल वैरीफिकेशन करवा लेते हैं। अगर उसके पास निर्धारित मात्रा में चावल नहीं पाया जाता तो हम उसको दण्डित करेंगे।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो किसान से 250 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ठगे गये हैं उनका क्या होगा। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने सिद्ध कर दिया है कि किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं यही बता रहा हूं कि किसान को किसी भी प्रकार से नहीं ठगा गया। माननीय सदस्यों के एंगल की मैंने शुरू में बात की थी। ये अभी भी उसी एंगल से बात कर रहे हैं। विपक्षी सदस्यों द्वारा यही आरोप लगाया जा रहा है कि किसान से आढ़ती ने बिना धान खरीदे पर्ची बनाकर पैसा ले लिया। मैं यह बात बार-बार दोहरा रहा हूं कि किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री दूसरी बात कर रहे हैं और हम सवाल दूसरे विषय के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, संधू साहब को मैं यह बात फिर से बताना चाहूंगा कि मण्डियों से किसान का अनाज खरीदने की जैसी प्रैक्टिस पिछले समय से चली आ रही है वह वैसे ही रहेगी। इसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि किसान ने जो धान के रेट में कटौती करवाई है वह मॉइस्चर की अतिरिक्त प्रतिशतता के कारण वैसे ही करवाई है जैसे वह पहले से करवाता आ रहा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस मामले में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है इसका वास्तविक सच तो प्रॉपर जांच के बाद सामने आ जायेगा। इस बारे में हमारा यह मानना है कि इसमें घोटाला हुआ है। इसलिए इसकी सत्यता के लिए अर्थात इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करवाने के लिए आप आज ही इसकी हाई कोर्ट के किसी जज से जांच करवाने के आदेश दे दें। जांच के बाद वास्तविक स्थिति स्वत: स्पष्ट हो जायेगी।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया मैं अपनी बात को फिर से दोहरा देता हूं कि हम स्टॉक की वैरीफिकेशन करवायेंगे और स्टॉक वैरीफिकेशन हम डिपार्टमैंट के ऑफिसर की कमेटी से न करवाकर सम्बंधित डी.सी. की चेयरमैनशिप में करवायेंगे।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, हम तो यह चाहते हैं कि इस मामले की जांच के लिए विधान सभा के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये और अगर सरकार को इसमें भी एतराज़ है तो फिर इस मामले की जांच हाई कोर्ट के जज से करवा ली जाये लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सरकार को इस मामले की जांच हाई कोर्ट के जज से करवाने में भी एतराज़ है।

[श्री जाकिर हुसैन]

इस बारे में मेरा यह कहना है कि हम घुमाफिराकर बात नहीं कर रहे हैं हम इस मामले को पूरी तरह से राईट एंगल दे रहे हैं। सर, यह principle of natural justice है और एक यूनीवर्सल ट्रूथ है कि अगर कोर्ट के अंदर कोई व्यक्ति जज को भी कह दे कि मुझे आपकी इंटेग्रिटी पर डाऊट है तो जज फौरन कुर्सी छोड़कर चला जाता है और वे केस की ट्रायल भी नहीं करते। इस मामले में हमारा सीधा इल्ज़ाम यह है कि इसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है। इस मामले में बड़ा भारी घोटाला हुआ है यह पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरी आपकी मार्फ्त अपील है कि एफ.आई.आर. दर्ज़ होने के बारे में सी.आर.पी.सी. कहती है कि subject to investigation एफ.आई.आर. किसी भी धारा में दर्ज़ की जा सकती है चाहे वह भारत के महामहिम राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री के खिलाफ भी क्यों न हो। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि इंवैस्टीगेशन तो कोई भी आदमी नहीं रोक सकता। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मौजूदा मामले में इंवैस्टीगेशन को क्यों अवॉयड किया जा रहा है। हम यह चाहते हैं कि आपकी अध्यक्षता में चार दिन के अंदर ही सारे गोदाम वैरीफाई हो जायेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस मामले की जांच के लिए माननीय सदस्यों की कमेटी बना दें। सरकार से मैं फिर से यह जानना चाहता हूं कि वह इस मामले में इंवैस्टीगेशन से क्यों भाग रही है।

श्री रविन्द्र कुमार : स्पीकर सर, मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि इस मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई जाये उसमें हम सभी 6 के 6 इंडीपैंडैंट माननीय सदस्यों को भी मैंबर बनायें। हम सभी इसकी जल्दी से जल्दी जांच करके देंगे।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, हम भी यही चाहते हैं कि इस मामले में जो कमेटी बनाई जाये उसमें सभी निर्दलीय सदस्यों को भी मैंबर बनाया जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस इश्यू पर हाउस में स्पष्टीकरण दे रहे थे, इन सारे तथ्यों की जानकारी दे रहे थे उस वक्त किसी साथी ने बीच में यह कह दिया कि इस इश्यू पर स्पीकर साहब की अध्यक्षता में हाउस की एक कमेटी बना दी जाये। हम भी इस बात से सहमत हैं कि आपकी अध्यक्षता में हाउस की एक कमेटी बना दी जाये जिसमें हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ निर्दलीय विधायक भी शामिल हों। सभी पार्टियों के लीडरों से 2-2 सदस्यों के नाम ले लिए जायें। उस कमेटी को 15 दिन का समय दे दिया जाये वह जाँच करके अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर देगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह कोई मुद्दा नहीं है, यह तो एक राजनैतिक मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी कह रहे हैं कि यह मुद्दा नहीं है। ये कह रहे हैं यह राजनीतिक मुद्दा है। इन्होंने कभी खेती नहीं की है, ये इसीलिए कह रहे हैं कि यह राजनीतिक मुद्दा है जबकि यह किसान से जुड़ा हुआ एक गम्भीर मुद्दा है। किसान की बात का इनको क्या पता, ये तो अपनी चक्की चलाते थे। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन घंटे से सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला, श्रीमती किरण चौधरी तथा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा

तथा अन्य साथियों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। इस दौरान जो एक अच्छी बात हुई है वह यह है कि आज इस मुद्दे पर इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक हो गई हैं जो कि सुखद बात है। जब माननीय हाईकोर्ट द्वारा रोहतक में 222 औद्योगिक प्लाटों को रद्द करने का मुद्दा उठा था तो इंडियन नैशनल लोकदल ने अच्छा रवैया अपनाया था। अध्यक्ष महोदय, जब यह धान की खरीद की जांच का मोशन आया तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ईमानदारी से, बहुत सरलता से और प्रमाणिकता के साथ अपना जवाब दिया। उन्होंने बहुत बारीकी से तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है और सभी ने उसको तस्लीम भी किया कि मुख्यमंत्री जी तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। इसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी इस मामले में जांच करवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने फिजिकल वैरीफिकेशन की बात कह दी है, यही ये सब लोग चाहते हैं। अब चाहे वे विपक्ष की कमेटी बनाएं या सदन में सब-कमेटी बनाएं, इन प्रिंसिपल उन्होंने सदन की भावना के अनुरूप अपनी बात कह दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, हाउस की कमेटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हाउस की कमेटी और फिजिकल वैरीफिकेशन में क्या फर्क है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जिस फिजिकल वैरीफिकेशन की बात कर रहे हैं उसमें एक प्वाइंट और जोड़ लिया जाये जो कि मोशन का पार्ट भी है कि ऐसे कितने किसान हैं जिनसे जे-फार्म तो 1450 रूपये का भरवाया है और उनको रेट 1100-1200 का मिला है। यह भी जाँच का विषय है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें और बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हरियाणा की मंडियों में सौभाग्य से प्रिक्योरमैंट का सिस्टम आस-पास के प्रदेशों से अच्छा है। यह पिछले साल भर का सिस्टम हमने देखा है और एक अच्छा अनुभव रहा है। उत्तर प्रदेश और पंजाब का किसान अपनी फसल बेचने के लिए हरियाणा की मंडियों की तरफ आता है और अगर बाजरा हो तो राजस्थान का किसान भी हरियाणा की मंडियों को ही प्राथमिकता देता है। संयोग से हमारे सारे जिले किसी न किसी राज्य की सीमा के साथ लगते हैं, केवल रोहतक जिला ऐसा है जो किसी राज्य की सीमा से नहीं लगता बाकी 20 के 20 जिले किसी न किसी स्टेट के बॉर्डर से लगते हैं इसलिए हमको यह संतोष है कि हमारा प्रक्योरमैंट का सिस्टम, मंडियों का सिस्टम अच्छा है, खराब नहीं है। दूसरी बात जब यह 36 लाख मीट्रिक टन हुआ उस समय तक हमने बाहर के प्रदेशों से कोई जीरी नहीं आने दी। हमने पलवल की जीरी पर भी रोक लगा दी थी। ऐसे ही दूसरी स्टेट्स की जीरी भी रोकी हुई थी। लेकिन जब ऊपर से सैंटर गवर्नमैंट का प्रैशर बना क्योंकि सारे के सारे रोड़ जाम हो गये थे। चाहे वह पंजाब की साईड के थे, चाहे वह उत्तर प्रदेश की साईड के थे क्योंकि बाहर की स्टेटों से जीरी पहले भी आती थी लेकिन हमने इसको जब रोका तो हमारी शिकायत बहुत ऊपर तक पहुंच गई थी कि आप इस तरह बाहर के स्टेट्स की जीरी को रोक तो सकते नहीं तो फिर आपने किस कानून के तहत रोका है। हमने उनको अपने जवाब में यही कहा था कि पहले हमारे हरियाणा के किसान की सारी जीरी मार्केट

[श्री मनोहर लाल]

में आ जाए और जब वह सारी उठ जाएगी तो फिर हमें दूसरे स्टेटों की जीरी आने से कोई आपत्ति नहीं है उल्टा हमें तो फायदा ही होगा क्योंकि अगर बाहर से जीरी आएगी तो हमें और कुछ नहीं तो 4 प्रतिशत मार्केट फीस तो देकर जाएगी। इसलिए जो कहा गया है कि फर्जी बिल बने हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा में कम से कम 5 लाख मीट्रिक टन जीरी आस- पास के प्रदेशों से आई है। इसमें हमने कुछ जीरी 1509 किस्म की खरीदी उसकी भी एक लाख 72 हजार मीट्रिक टन खरीद एक्स्ट्रा हुई है क्योंकि पहले 1509 किस्म की जीरी नहीं खरीदते थे। एक आंकड़ा और है जो विभाग ने अभी दिया है वर्ष 2012-13 में भी 38.53 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीद हुई थी। वर्ष 2013-14 में खरीद नहीं हुई और वर्ष 2014-15 में भी खरीद नहीं हुई जबकि वर्ष 2015-16 में खरीद हुई तो जब दो साल खरीद नहीं हुई तो इस बार भी 42 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो गयी जिसमें से 1.72 लाख मीट्रिक टन तो एक्स्ट्रा है ही वह तो हम मान ही रहे हैं बाकि तो 40 लाख मीट्रिक टन ही बचा और बिजाई कितनी हुई है हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे कि हमने इसका आंकड़ा मंगवाया है लेकिन इसके बारे में किसी ने पूछा नहीं है। किसी सदस्य ने यह भी पूछा था कि अबकी बार बिजाई कितनी ज्यादा हुई है हो सकता है कि अबकी बार कुछ न कुछ बिजाई भी ज्यादा हुई होगी। केवल एक लाख ऊपर नीचे दो-तीन प्रतिशत ऊपर नीचे हो सकता है। हम कोई मशीन नहीं हैं कि इसमें बिजाई के हिसाब से ही निकलना है। किसान की खेती है कभी दो प्रतिशत ज्यादा हो गई कभी कम हो गई। इसलिए उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तीसरी बात जो किसान का विषय आया जो लगातार चार साल की प्रैक्टिस है वह प्रैक्टिस इस बार भी रही है। इस प्रैक्टिस को बन्द कराने का एक मात्र कारण मॉइस्चर है। उस मॉइस्चर को कैसे कम करें, कैसे किसान की सहायता करें उसके लिए दो-तीन फार्मूले बताए हैं। चौथी बात जब तक हमको विश्वास नहीं होता कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है तब तक हम इन्क्वायरी नहीं कराएंगे। इसलिए हम आऊट साईडर एजेंसी की कोई इन्क्वायरी नहीं करवायेंगे लेकिन इण्टर डिपार्टमैंटल सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। सब चीजें चैक करेंगे। उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि अम्बाला में हमने खुद जाकर एक चैकिंग की और वहां देखा कि जो वहां अनाज के कट्टों के ढ़ेर लगे हुए हैं उसके अन्दर खोखले करके लगाए हुए हैं अर्थात जो चट्टा लगा हुआ है उसके अन्दर से एक-एक हजार कट्टे गायब हैं और जब और चैकिंग हुई तो 10 चट्टे ऐसे मिले जिनमें से एक-एक हजार कट्टे गायब हैं। यह आज से नहीं कई सालों से वह प्रैक्टिस बनी हुई है। वह उसी को ढक ढका कर पूरा कर लेते हैं। अन्त में हमने जितने भी सभी एजेंसियों के स्टोर व गोदाम हैं वह सब चैक कराए हैं। जिससे एक घोटाला इस्माईलाबाद की मंडी में पकड़ा गया। पेहवा की मंडी में पकड़ा गया। पलवल की मंडी में गेहूं खराब निकला और भी दो-तीन मंडियां हैं जिनमें गेहूं डैमेज पड़ा हुआ है उसमें से आटा निकल रहा है। उसमें एक निर्णय किया है कि हर साल एक बार केवल डिपार्टमैंटल वैरीफिकेशन ही नहीं कराएंगे बल्कि इंटर डिपार्टमैंटल वैरीफिकेशन भी करवायेंगे जो कि under the Chairmanship of the District Collector होगी। डी.सी. की चेयरमैन शिप में हर साल वैरीफिकेशन होगी ताकि जैसे साल में व्यापारी अपना स्टोक चैक करता है ऐसे ही आखिर ये भी फाईनैंशियल ट्रांजैक्शनज हैं खराब होगा तो जनता का होगा इसलिए इसकी वैरीफिकेशन कराएंगे। इसी प्रकार से हमने जीरी का तय किया है कि जीरी जिन मिलों ने खरीदी है उनको हमने 100 प्रतिशत चैकिंग का

ऑर्डर कर दिया है। चैकिंग इण्टर डिपार्टमैंटल होगी और अण्डर दि चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर होगी लेकिन बाहर की एजेंसी की चैकिंग तब होगी जब हमें यह लगेगा कि कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है। हम कहते हैं कि किसान के साथ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब हम इनसे मिले थे तब जो बात इन्होंने हमसे कही थी अब ये अपनी उस बात से भी मुकर गये। इन्होंने हमें उस वक्त ये कहा था कि कम से कम मैं एफ.सी.आर. से चैकिंग कराऊंगा और वह चैकिंग भी किसी दूसरे डिपार्टमैंट के एफ.सी.आर. से कराऊंगा। अब आप डिप्टी कमिश्नर से कराने की कह रहे हैं। इसका सीधा-सीधा मतलब तो यह है कि आप इसकी जांच नहीं करवाना चाहते। अगर आप इसकी जांच नहीं करवाना चाहते तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप किसान के हक में नहीं हैं। एक तो आपने अभी हाउस की कमेटी बनाने की बात कही है।

श्री मनोहर लाल : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपके रिकॉर्ड में है आप अभी रिकॉर्ड निकाल कर देख लो। यह बात आपके रिकॉर्ड के अन्दर है। (शोर एवं व्यवधान) आपने यह कहा कि हम हाउस की कमेटी बनाएंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप अभी रिकॉर्ड निकालो। अगर आपने ये बात न कही हो फिर आप जिस एजेंसी को करो या न करो वह हमें मंजूर है लेकिन पहले आप अपनी इस बात पर आ जाओ कि आपने ये कहा था कि हम हाउस की कमेटी बनाएंगे। (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री जी, आपने हाउस की कमेटी बनाने की बात कही थी।

श्री मनोहर लाल : चौटाला जी, मैंने कमेटी बनाने की बात नहीं कही थी बल्कि एफ.सी.आर. के माध्यम से फिजिकल वैरीफिकेशन करवाने की बात कही है।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : मुख्यमंत्री जी, आपने हाउस की कमेटी बनाने की बात कही थी। मैंने इस बात को रेज किया था और आपने तब कहा था कि हम हाउस की कमेटी बना देंगे।

श्री मनोहर लाल : मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हरियाणा के दस जिलों में जीरी की पैदावार होती है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में किसी हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाए और वह कमेटी इस मामले की जांच करे तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा और सच्चाई सामने आ जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिये, आपको इस बारे में सब कुछ पता है। जब आपके पास कहने का तो कोई मुद्दा है नहीं और न ही आपने किसी विषय में अपनी बात यहां पर रखी है। किसी भी मुद्दे पर आप डट नहीं सके। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, बिना मुद्दे के विपक्ष के साथी सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं जबकि मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से सारी बातें सदन के सामने बताई हैं।

वॉक आउट

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में किसी हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाए और वह कमेटी इस मामले की जांच करे तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा और सच्चाई सामने आ जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सदन में नहीं सुनी जा रही है इसलिए हम सदन से वॉक आऊट करते हैं।

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वॉक आऊट कर गये।)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री जी ने इतनी डिटेल में अपनी बात रखी हैं उसके बाद भी आप वॉक आऊट कर रहे हैं। सारी बातें तो विस्तार से बता दी गई हैं फिर तो आपको सदन में बैठना चाहिए आप वाक आऊट क्यों कर रहे हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात उस दिन जो कही थी कि डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में उस जिले की जीरी की बिक्री के बारे में फिजिकल जांच करवा देंगे। सुनिये, अब मैं यह कह रहा हूं कि डिप्टी कमिश्नर की बजाए एक एफ.सी.आर. को एक जिले का इन्चार्ज बनाकर दस के दस जिलों की हम फिजिकल वैरीफिकेशन करवायेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में यह बात कही थी कि मैं एक कमेटी बना देता हूं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि एफ.सी.आर. के नेतृत्व में हम एक कमेटी बना देते हैं जो कि इस बारे में फिजिकल वैरीफिकेशन करेगी।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी ने, फिजिकल वैरीफिकेशन के बारे में बात कही थी।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जाकिर हुसैन जी को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी का मेलजोल नैचुरल नहीं है जो सुबह हुआ वह तो ठीक है लेकिन अब जो गाय की पूँछ पकड़कर के जो घालमेल हो रहा है यह ठीक नहीं हो रहा है यह नैचुरल नहीं था।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज पहली दफा मैं आपको आज एक बात खुलकर के बता देना चाहता हूं। इस देश के अन्दर इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी और अकाली दल दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी मंच पर ना सांझा किया और ना कभी एक दूसरे के पक्ष में गये और ना कभी हमने कांग्रेस पार्टी के साथ किसी बात पर समझौता किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपने भाषण में फरीदाबाद में यह बात कही थी कि इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी को वोट देने की बजाए कांग्रेस पार्टी को वोट दे देना। फिर भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का पक्ष लिया। हमारी पार्टी का एक भी सिंगल आदमी बिहार में जाकर के किसी सभा में किसी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करके आया हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे अदरवाईज ऐसे

आरोप मत लगाया करो। जिन बातों की किसी सदस्य को जानकारी न हो तो उसे सदन में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने इनेलो पार्टी के सदस्यों को रोक लिया वरना ये तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के साथ ही वॉक आऊट कर रहे थे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 20 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब बिहार में गये थे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी जाकर कहीं भी जाकर समझौता कर सकती है लेकिन इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई भी कार्यकर्त्ता कांग्रेस पार्टी के साथ मंच भी सांझा नहीं कर सकता। गुप्ता जी, आरोप लगाने से पहले सोचकर बोला करो कि मैं क्या कह रहा हूं। आपको किसी बात की जानकारी होती नहीं बस वैसे ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हो। (शोर एंव व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, क्या ये उनकी oath ceremony में शामिल नहीं हुए थे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, oath ceremony में जाना अलग बात है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यदि हम को कहीं पर भी यह लगा कि कोई गड़बड़ हुई है तो हम उसकी हर प्रकार की इन्क्वायरी करवाएंगे लेकिन उस दिन इन्होंने कहा था कि प्रारंभिक इन्क्वायरी में Agriculture & Food & Supplies Department के अधिकारी नहीं होने चाहिएं। हमने कहा था कि ठीक है ये अधिकारी नहीं होंगे। इनके अलावा दूसरे अधिकारी को हम इंचार्ज बना देंगे जिसकी देखरेख में सारी वैरीफिकेशन होगी। उसके बाद यदि किसी मिलर की कोई गड़बड़ पाई जाएगी तो उसका लाईसैंस भी रद्द करेंगे तथा जो भी इन्क्वायरी उस में एप्लीकेबल होगी, वह भी हम कराएंगे। (थंपिंग)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब हमने सदन में इस विषय पर चर्चा की थी तथा सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में माननीय सदन के नेता से प्रार्थना की थी कि क्या ये सदन की एक कमेटी बनाएंगे ? इस पर माननीय सदन के नेता ने एकदम हाँ की थी। (विघ्न) अगर देख लेंगे लिखा होगा तो भी हम मान लेंगे। आप रिकार्ड निकलवाईए, अभी पता लग जाएगा। माननीय सदन के नेता ने हाँ की थी। इन्होंने स्वयं यह कहा था कि वे सदन की एक कमेटी बना देंगे क्योंकि संधू साहब ने प्रार्थना की थी कि हाऊस की एक कमेटी बनाकर इस मामले की जाँच करवाई जाए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने डी.सी. व एफ.सी.आर. की कमेटी बनाने के लिए हाँ की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों किसी को बचा रहे हैं ? रिकार्ड में यह बात सौ फीसदी दर्ज है। (विघ्न) इनसे हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम किसी को बचा नहीं रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि माननीय स्पीकर महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाए जिसमें सभी पार्टियों के सदस्यों को शामिल करके इस मामले की इन्क्वायरी करवा दी जाए। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी तथा आईंदा जब इस मुद्दे पर कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़ा होकर यह कहेगा कि यह घोटाला हुआ है तो आप भी कह सकेंगे कि हमारे कहने पर आपने इन्क्वायरी करवाई थी जिसमें तथ्य गलत पाए गए हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कॉंग्रेस पार्टी के साथी तो सदन में बोले ही हैं जबकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। श्री अभय सिंह चौटाला जी के पास शुरू में तो बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने बोलने के लिए कोई मुद्दा पकड़ लिया। पहले कॉंग्रेस पार्टी के साथी धान के भाव के बारे में बोल रहे थे। मैं कहता हूँ कि यह फर्जी मुद्दा है। यदि एक भी किसान की शिकायत हो तो हम संबंधित आढ़ती का लाईसैंस रद्द कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह कॉंग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। यह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कृपया माननीय मंत्री जी को कहें कि वे हमारे सामने कॉंग्रेस पार्टी की बात न करें। हम कहीं भी कॉंग्रेस पार्टी के मुद्दे पर मिले हुए नहीं हैं। हम 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे जिसकी माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में अपनी बात को फिर दोहराता हूँ कि यदि एक भी किसान की शिकायत हो कि उसका मॉइस्चर 17 प्रतिशत था जिसकी वजह से उसको कम रेट दिया गया है तो हम उस आढ़ती का लाईसैंस रद्द कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान) हमारे पास एक भी किसान की शिकायत नहीं आई है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को कितने किसानों की शिकायत चाहिए ? हमारे पास तो हज़ारों किसानों की शिकायतें आई हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये कभी किसानों के बीच में जाते हों तो इनको किसानों की शिकायतों का पता भी चले। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में अपनी बात को फिर दोहराता हूँ कि एक भी किसान की शिकायत नहीं है। यह बिल्कुल फर्जी मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यदि यह फर्जी इश्यू है तो ये भाग क्यों रहे हैं ? इस मामले की जाँच क्यों नहीं करवाते हैं ? आखिर जाँच करवाने में इनको क्या दिक्कत है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कोई शिकायत हो तभी तो हम जाँच करवाएं। श्री अभय सिंह चौटाला जी तो केवल अपने इश्यू को गोंद लगाकर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह बिल्कुल फर्जी इश्यू है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा मुद्दा नहीं है, यह किसान का मुद्दा है। यह मेरा कोई पर्सनल इश्यू नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ कि यदि एक भी किसान की शिकायत हो कि उसका मॉइस्चर 17 प्रतिशत था जिसकी वजह से उसको कम रेट दिया गया है तो हम उस आढ़ती का लाईसैंस रद्द कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान) यह बिल्कुल फर्जी व पॉलिटिकल मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक आउट

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यदि यह सरकार हाउस की एक कमेटी बनवा कर धान की खरीद घोटाले की जाँच नहीं करवाना चाहती है तो हम as a protest सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(At this stage, all the Members of the Indian National Lok Dal, present in the House, staged a Walk-out as a protest against not accepting their plea to make a Committee of the House to enquire into the purchase of paddy scam)

घोषणाएं-

(क) अध्यक्ष द्वारा-

चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 13 (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं :-

1. श्री ज्ञान चंद गुप्ता, विधायक
2. श्रीमती संतोष चौहान सारवान, विधायक
3. श्री आनन्द सिंह दांगी, विधायक
4. श्री जाकिर हुसैन, विधायक

(ख) सचिव द्वारा-

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए विलों सम्बंधी

श्री अध्यक्ष : अब सचिव महोदय घोषणा करेंगें।

श्री सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने जुलाई, 2014, मार्च, 2015 तथा सितम्बर, 2015 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर * राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है।

जुलाई सत्र, 2014

1. भारतीय दण्ड संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014.
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता(हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014

मार्च सत्र, 2015

* हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक, 2015

सितम्बर सत्र, 2015

1. हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015
2. हरियाणा सदाचारी बंदी(अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक, 2015
3. हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन(संशोधन) विधेयक, 2015
4. हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2015
5. हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015
6. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015
7. हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015
8. हरियाणा विधान सभा(सदस्य-सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015
9. हरियाणा विधान सभा(सदस्य वेतन, भत्ता तथा पैंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015
10. हरियाणा पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2015

मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज इस मुद्दे के ऊपर 4 घंटे से बहस हो रही है। 20 साल के बाद हरियाणा विधान सभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। बी.ए.सी. की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी, इनेलो पार्टी और सभी ने इसके लिए सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री को बधाई दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो एडजर्नमैंट मोशन रखा उसको आपने कालिंग अटैंशन मोशन में कंवर्ट किया और आपने उस पर 4 घंटे से ज्यादा चर्चा करवाई। विपक्ष की तरफ से कोई माननीय विधायक नहीं बचा जिसको आपने सवाल पूछने का और अपनी बात कहने का मौका

न दिया हो। मुख्यमंत्री महोदय ने भी उदारता और गम्भीरता से उनके द्वारा उठाए गए हर मुद्दे का जवाब दिया है। जैसा कि मैंने अनहोनी एलांयस के बारे में कहा था। जयप्रकाश जी ने सही बात की, रवीन्द्र मच्छरौली जी ने भी अच्छा सुझाव दिया कि टेक चंद शर्मा जी को मिलाकर हम 6 लोगों के जिम्मे इनका हवाला करो और हम इनकी जांच एक हफ्ते में कर देंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी लोगों को आपने खुलकर डैमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कहने का मौका दिया लेकिन आज का दोनों पार्टियों का अनहोनी अलांयस और इनका विदआउट एनी इश्यू वाकआउट अनडैमोक्रेटिक रहा। मेरा 25 साल का इस महान सदन का अनुभव है लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं देखा। वर्ष 1991 में मैं अपनी पार्टी का एक मात्र एम.एल.ए. था उस समय मुझे भी यहां पर अपनी बात बड़ी मुश्किल से कहनी पड़ती थी। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ी दुखद घटना इस महान सदन में हुई है। विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आपने हद से बढ़कर उदारता दिखाई। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विपक्ष की ओर से बोली गई प्रत्येक बात को बेहद गम्भीरता से लिया और उनके द्वारा पूछे गये सभी सवालों का बड़ी सादगी के साथ जवाब दिया, ऐसा उदाहरण यहां पर पहले कभी नहीं पेश किया गया। पूरे विपक्ष ने इसका भी किसी प्रकार से सम्मान नहीं किया। यह पूरा प्रकरण एक बहुत चिंताजनक विषय है और बहुत दुखद बात है।

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं सदन के वर्तमान सत्र के दौरान किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय की गई समय-सारणी सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

"समिति की बैठक सोमवार, 30 नवम्बर, 2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।"

समिति ने सिफारिश की है कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक सोमवार, 30 नवम्बर, 2015 को 02.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्य सूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

मंगलवार, 01 दिसम्बर, 2015 को विधान सभा की बैठक 10.00 बजे प्रात : आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्य सूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की है कि 30 नवम्बर, 2015 तथा 01 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जायेगा :-

सोमवार, 30 नवम्बर, 2015	1. शोक प्रस्ताव।
(02.00 बजे मध्याह्न पश्चात्)	2. प्रश्न काल।
	3. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना।
	4. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले कागज-पत्र।

मंगलवार, 01 दिसम्बर, 2015

(10.00 बजे प्रात :)

1. प्रश्न काल।
2. निरेतर बैठक सम्बंधी नियम-15 के अधीन प्रस्ताव।
3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन सम्बंधी नियम-16 के अधीन प्रस्ताव।
4. रखे जाने वाले कागज-पत्र, यदि कोई हों।
5. विधान कार्य।
6. कोई अन्य कार्य।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर कागज-पत्र रखना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर सदन के पटल पर कागज-पत्र रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कागज़-पत्र संख्या 1 से 5 रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 प्रात: 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

19.42 बजे (तत्पश्चात् सभा मंगलवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 को प्रात : 10.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

54006—H.V.S.—H.G.P.,Chd.